सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 की कार्य सूची।

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 04–12–13 की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0:–2 **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

(1) विक्रम जन कल्याण समिति, देहरादून द्वारा दायर याचिका सं0 126/एमएस/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 के अनुपालन में विक्रम टैम्पो वाहनों को मंजिली गाड़ी परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में।

मद सं0:–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ– दिनांक 01.11.13 से दिनांक 31.07.2014 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

–सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक

20625 से 21946 तक – 1322 परमिट

ब– शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	46181	से 47340	तक –1160	परमिट
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	11773	से 12158	तक –386	परमिट
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	6149	से 6807	तक –659	परमिट
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	5664	से 5767	तक –104	परमिट
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	1876	से 2043	तक –168	परमिट
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट				
पर्वतीय मार्ग –	4403	से 4543	तक –141	परमिट
मैदानी मार्ग–			————	

7–निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं)
को जारी परमिट – 2487 से 2705 तक –219 परमिट
8–ठेका गाडी के स्थाई परमिट – 1458 से 1560 तक –113 परमिट

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– पीएसटीपी–1719, 1907, 1729, 2001, 2017, 1482, 1594, 1692, 1913 1919 1929 1934 1941 1949 1950, 1956 1963, 1963, 1984 1985, 2014, 2023, 2028, 2029, 2031, 2035, 1055, 1286, 1713, 1824, 1881, 1883, 1889, 1892, 1900, 1903, 1905, 1909, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1935, 1942, 1944, 1951, 1959, 1960, 1964, 1965, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2009, 2011, 2012, 2020, 2021, 2024, 2027

द– सैम माडल/लोअर मॉडल की वाहन लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेशों का अनुमोदन–

1. परमिट सं0 पीएसटीपी–1906 पर संचालित वाहन सं0 यूए12 2538, माडल–2003 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूए 13 0149, माडल–2000 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 13.03.14 का अनुमोदन।

2. परमिट सं0 पीएसटीपी–2159 पर संचालित वाहन सं0 यूके 07पीए– 1837, माडल–2012 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूके 07पीए–2079, माडल–2000 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 28.01.14 का अनुमोदन।

3. परमिट सं0 पीएसटीपी–2012 पर संचालित वाहन सं0 यूके 07पीए– 0469, माडल–2009 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूए 07आर– 9543, माडल–2007 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 25.02.14 का अनुमोदन।

4. परमिट सं0 पीएसटीपी–2158 पर संचालित वाहन सं0 यूके 07पीए– 0273, माडल–2009 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूए 11–0686, माडल–2008 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 10.03.14 का अनुमोदन।

5. परमिट सं0 पीएसटीपी–1790 पर संचालित वाहन सं0 यूके 08पीए– 0717, माडल–1995 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूके08पीए 0971, मॉडल 1995 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 15.03.14 का अनुमोदन।

6. परमिट सं0 पीएसटीपी–1568 पर संचालित वाहन सं0 यूके 07पीए– 0795, माडल–2002 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूके 07पीए 2264, मॉडल 2002 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 13.06.14 का अनुमोदन।

7. परमिट सं0 सीसी– 670 पर संचालित वाहन सं0 यूके 07पीसी– 0349, माडल–2007 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन सं0 यूके 14पीए 0027, मॉडल 2006 लगाने के सम्बन्ध में सचिव के आदेश दिनांक 11.04.14 का अनुमोदन।

मद सं0–4 **<u>उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी को और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अपने अधिकार/शक्ति का प्रत्यायोजन करने के सम्बन्ध में</u>:–**

दिनांक 09.11.2000 को उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो जाने के पश्चात शासनादेश सं0 171/3–7/स0परि0/कैम्प/2000–2001 दिनांक 12.01.2001 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड का गठन किया गया था तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन नही किया गया था। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–68 (5) दिये गये प्राविधानों के अनुसार अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17.01.2001 द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अधिकारों/शक्तियों का प्रतिनिदायन किया

गया था। इसके पश्चात शासन की अधिसूचना सं0 507/3–7/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 18.04.2001 द्वारा उत्तराखण्ड के संभागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 57 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.08.2004 द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अपने अधिकारों/शक्तियों का प्रतिनिदायन निम्नवत किया गया था।

अधिकारी का पद नाम जिनको अधिकार प्रदत्त किये गये	**कार्य का विवरण**
संभागीय परिवहन अधिकारी एंव उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (केवल संभाग में)।	**एक**– मंजिली गाडी, ठेका गाडी (बस, मैक्सी, टैक्सी कैब, टैम्पो–टैक्सी, ऑटो रिक्शा) प्राईवेट सेवायान, जनभार वाहन तथा नेशनल जनभार वाहन के परमिट स्वीकृत करने एंव नवीनीकरण करने की शक्ति। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली गाडी के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ही दिये जायेगें। **दो–(क)**– धारा 87(ए) के अन्तर्गत विशेष अवसरों जैसे मेला एंव धार्मिक समारोहों पर अस्थाई यात्री गाडी परमिट जिनकी वैधता सामान्यतयः एक सप्ताह से अधिक न हो, देने की शक्ति। **(ख)(1)**– सवारी गाड़ी के किसी स्थायी परमिट के समर्पित या प्रतिस्थापित होने से उत्पन्न अस्थायी रिक्ति को पूर्ण करने हेतु धारा 87(सी) के अन्तर्गत अस्थायी सवारी गाडी परमिट देने का अधिकार, यदि विवाद न हो। **(2)**– परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के समाप्त हो पर पुनः उन्हीं शर्तों पर एक बार चार माह के लिये, यदि विवाद न हो, जारी करने का अधिकार। **(ग)**– स्थायी परमिट के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने की दशा में धारा 87(डी) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट देने का अधिकार। **(घ)**– धारा 87(सी) तथा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष

	अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक वापसी फेरे के लिए वैध होंगे। **तीन**– धारा 88 के अन्तर्गत अर्न्तराज्यीय मार्गो पर जनभार वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब परमिटों को प्रतिहस्ताक्षर करने का अधिकार। **चार**– धारा 83 एंव नियमावली के नियम 85 के अन्तर्गत दूसरी समान या ऊँचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन करने का अधिकार। **पॉच**– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 89 के अधीन परमिट की द्वितीय प्रति जारी करने का अधिकार।
संभागीय परिवहन अधिकारी	**एक**– धारा 86(4) के अन्तर्गत परमिट को निलम्बन करने का अधिकार। **दो**– धारा 103 के अन्तर्गत राज्य परिवहन निगम की बसों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट देने का अधिकार। **तीन**– धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन पर्यटन गाडी के परमिट को स्वीकृत करने, नवीनीकरण करने या इन्कार करने की शक्ति।
संभाग के समस्त उपसंभागों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) एंव उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	धारा 87(सी) तथा धारा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक बार जाने एंव वापस आने के लिये वैध होंगे।
संभाग के जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी	मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड(ग) के अधीन यात्री वाहनों की शादी– विवाह के लिए अस्थायी परमिट स्वीकृत करने की शक्ति। यह परमिट केवल एक बार जाने एंव वापस आने के लिये वैध होंगे।

प्राधिकरण ने यह भी आदेश पारित किये थे कि प्रतिनिदायन उत्तर प्रदेश की मोटरयान नियमावली–1998 के उत्तराखण्ड राज्य में संशोधन होने तक मान्य होगा तथा भविष्य में नियमों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

ज्ञातब्य है कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 उत्तराखण्ड राज्य में दिसम्बर, 2011 से प्रभावी है। उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निम्न अधिकारों/शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। नियम 58 में निम्न प्राविधान हैंः–

"राज्य या कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अपनी कार्यवाहियों में अभिलिखत सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाय, निम्न प्रकार से प्रत्यायोजित कर सकता है :–

(एक) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को मंजिली गाड़ी,, ठेका गाड़ी, प्राइवेट सेवा यान या माल वाहनों की परमिट को स्वीकृत करने, इन्कार करने, नवीकरण करने या अन्तरित करने की शक्ति,

(दो) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अस्थायी और विशेष परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(तीन) अपने सम्भाग के भीतर किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अस्थायी परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(चार) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 के अधीन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करने या प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार करने की शक्ति,

(पांच) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 85 और 86 के अधीन यानों का प्रतिस्थापन 26 स्वीकृत करने या प्रतिस्थापन स्वीकृत करने से इन्कार करने से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,

(छः) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 89 के अधीन दूसरा अनुज्ञा–पत्र जारी करने की शक्ति,

(सात) अध्यक्ष को धारा 86 की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति,

(आठ) अपने सम्भाग के भीतर सचिव को अनुज्ञापत्रों को निलम्बित करने और धारा 86 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबन्धित कार्यवाही करने की शक्ति,

(नौ) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन–पत्र पर अनुज्ञा–पत्र जारी करने की शक्ति,

(दस) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने, नवीकरण करने, या इन्कार करने की शक्ति,

(ग्यारह) अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को पर्यटन गाड़ी के परमिट को स्वीकृत करने, नवीकरण करने या इन्कार करने की शक्ति, परन्तु यह कि सचिव यथा स्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष व्यक्ति के द्वारा जिसे इस नियम के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लिखित नियतकालिक रिपोर्ट देगा।"

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त शक्तियों के प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करना चॉहें।

मद सं0–5 **मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत चालानों को प्रशमन करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.04.1987 के संकल्प सं0 17 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि मोटर गाड़ी अधिनियम–1939 के धारा–60 अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार के चालानों को आर0टी0ए0 के समक्ष भेजा जाए।

1. **जनभार वाहन एंव निजी भार वाहन के मामले।**
   (क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
   (ख) 05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
   (ग) क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 ब्यक्ति अधिक ले जाने पर।
   (घ) बिना स्वास्थता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
2. **सवारी गाड़ी के मामले।**
   (क) निर्धारित क्षमता से 20 प्रतिशत सवारी ले जाने के मामले।
   (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
   (ग) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
   (घ) बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
   (ड़) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
   (च) 10 तथा 10 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
   (छ) बिना यात्रीकर जमा किये गाड़ी चलाने पर।
   (ज) नशे की हालत में गाड़ी चलाने के मामले।
3. **टैक्सी एंव ऑटो रिक्शा के मामले**
   (क) टैक्सी कैब तथा 06 सीट वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 05 व्यक्ति अधिक ले जाने के मामले और 02 सीट ऑटो रिक्शा में क्षमता से 02 सीट अधिक ले जाने के मामले।
   (ख) बिना स्वास्थ्ता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।

(ग) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
(घ) तेज तथा लापरवाही एंव नशे की हालत में गाड़ी चलाने के मामले।
(ड़) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।

प्राधिकरण को यह भी अवगत कराना है कि बैठक दिनांक 29.09.2001 में संकल्प सं0 21 द्वारा वाहनों के परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा ओवरलोड़िग के अभियोगों में प्रशमन करने हेतु निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया था।

1. **12 सीट तक की वाहनों के लिये।**

(अ)	ओवरलोड़िग के लिये	–	रू0 250 प्रति सवारी।
(ब)	मार्ग/क्षेत्र सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 2500 प्रति अभियोग।
(स)	अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 500 प्रति अभियोग।

2. **12 सीट से अधिक की वाहनों के लिये।**

(अ)	ओवरलोड़िग के लिये	–	रू0 500 प्रति सवारी।
(ब)	मार्ग/क्षेत्र सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 5000 प्रति अभियोग।
(स)	अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 1000 प्रति अभियोग।

उपरोक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि भार वाहनों के चालान शासन द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की दरों के अनुसार निस्तारित किये जायेगें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9256/प्रवर्तन/धारा–86/2014 दिनांक 27.08.14 द्वारा निवेदन किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.2001 में सवारी गाडियों के द्वारा परमिट शर्तों का उल्लघंन के अभियोगों हेतु प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। परन्तु जनभार वाहन के लिये प्रशमन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होने भार वाहनों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लघंन तथा अन्य शर्तों के उल्लघंन के लिये प्रशमन शुल्क निर्धारित करने हेतु निवेदन किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि भार वाहनों में यात्री ओवरलोड़िग के लिये राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा रू0 500/– प्रति सवारी प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 निरस्त हो चुका है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 प्रभावी है। अतः उक्त नीति में संशोधन आवश्यक है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 में आरटीए को परमिट शर्तों के उल्लघंन करने पर निलम्बन एंव निरस्त करने का अधिकार है। धारा–86 (5) में वर्णित है कि

" जहॉ कोई परमिट उपधारा(1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (म) के अधीन रद्द या निलम्बित किये जाने योग्य है। और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निशचित धनराशि देने के लिये सहमत हो जाता है। वहॉ उपधारा (1) किसी बात के होते हुये भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने की बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा, जिसके बारे में सहमति हुई है।"

प्राधिकरण द्वारा धारा–86 कार्यवाही हेतु भेजे जाने वाले चालानों के सम्बन्ध में नीति निर्धारित हुये लगभग 25 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्राधिकरण धारा–86 की कार्यवाही हेतु भेजे जाने वाले चालानों के सम्बन्ध में नयी नीति निर्धारित करने तथा अभियोगों के लिये प्रशमन शुल्क निर्धारित करने किये के सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करें।

मद सं0– 6 नई पंजीकृत वाहनों के परमिट बिलम्ब से प्राप्त करने पर प्रशमन शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।

प्रायः देखा गया है कि नई वाहन पंजीकृत होने के पश्चात वाहन स्वामियों के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये जाते हैं अथवा स्थाई परमिटों पर संचालित वाहनों के द्वारा परमिट समाप्त हो जाने के पश्चात वाहनों के परमिटों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराया जाता है। यह वाहनें बिना परमिट संचालित होती रहती हैं तथा कई महीनों पश्चात वाहन स्वामियों के द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है। परन्तु प्राधिकरण द्वारा विक्रम टैम्पो, ऑटो रिक्शा तथा स्टैज कैरिज परमिटों के अतिरिक्त अन्य वाहनों द्वारा विलम्ब से परमिट प्राप्त करने पर कोई प्रशमन शुल्क निर्धारित नहीं है।

अतः प्राधिकरण नई पंजीकृत वाहनों तथा भार वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, निजी सवारी गाड़ी तथा ठेका गाड़ी` परमिटों का नवीनीकरण विलम्ब से प्राप्त करने पर उनके वाहन स्वामियों से प्रशमन शुल्क वसूल करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 7 माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने व जारी की गई अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–93 में यह प्राविधान है कि सार्वजनिक सेवायानों को यात्रीयों के टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में तथा माल वाहनों के द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगायेगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

धारा–93 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 112 से 120 तक दिया गया है। नियम 113 यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारोबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हे अनुज्ञप्ति में विनिविष्ट किया गया हो, चलाने के लिये प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। नियमावली के नियम–114(6) में यह प्राविधान है कि अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

पूर्व में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में **"सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007"** बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा–2 निम्न प्रकार हैः–

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामान्य वाहक" से किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किय जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिय सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार–द्वार तक परिवहन

में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं की वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है;

————XXXXXXXXXXXXXXX————

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन गठित कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा–3 निम्न प्रकार हैः–

3. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहन के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व,–

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;

(ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया गया हो, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा।

अधिनियम की धारा–4 (6) में यह प्राविधान है कि अनुगत या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सड़क मार्ग वहन नियम–2011 बनाये हैं। इस नियमावली के नियम –3 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रारूप–1 में किया जायेगा। आवेदन के साथ नियम–13 के अन्तर्गत विनिदिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।

नियम–13 में विनिदिष्ट फीस निम्न प्रकार हैः–

1.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय ब्याज मुक्त प्रतिभूति निक्षेप	– रू0 5000/–
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिये फीस	– रू0 1000/– + रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
3.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये फीस	– रू0 1000/– + रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधनों के फीस	रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
5.	अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए	रू0 500/–

प्राधिकरण के आदेशों की प्रत्याशा में निम्नलिखित अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

क्र0 स0	अभिकर्ता का नाम	अनुज्ञप्ति सं0	जारी करने की तिथी एंव वैधता
1.	मै0 मसूरी देहरा हिल ट्रार्स्पोट कम्पनी, 3 आढत बाजार, देहरादून	01/आरटीए/12	दिनांक 21.09.12 से 20.09.2022 तक
2.	मै0 जस्सल ट्रार्स्पोट क0, एफ 6 ट्रासर्पोट नगर, देहरादून	02/आरटीए/12	दिनांक 30.01.2013 से 29.01.2023 तक।
3.	मै0 अजय गुडस ट्रार्स्पोट क0, होटल गंगोत्री लॉज, प्रगति विहार रोड़, ऋषिकेश।	03/आरटीए/12	दिनांक 11.03.2013 से 10.03.2023 तक।
4.	श्री तरूण कुमार तनेजा, 458 खुडबुडा, देहरादून	04/आरटीए/13	दिनांक 10.03.2013 से 09.03.2023 तक।

5.	मै0 सतीश ट्रार्स्पोट क0, केदारनाथ मार्ग , घनसाली, टिहरी गढवाल।	05/आरटीए/13	दिनांक 11.03.2013 से 10.03.2023 तक।
6.	श्री रमेश सेमवाल पुत्र सुरेन्द्र दत्त सेमवाल, 282 देहरादून रोड़, ऋषिकेश।	06/आरटीए/13	दिनांक 13.03.2013 से 12.03.2023 तक।
7.	श्री शिव सिंह रावत पुत्र श्री मान सिंह रावत, जड भरत मार्ग, मैन बाजार, उत्तरकाशी।	07/आरटीए/13	दिनांक 23.04.2013 से 22.04.2023 तक।
8.	श्री रमेश रावत पुत्र श्री ए0एस0 रावत, रावत ट्रार्स्पोट एण्ड सप्लार्यस, श्रीकोट चमियाला, टिहरी।	08/आरटीए/13	दिनांक 30.04.2013 से 29.04.2023 तक।
9.	मै0 जगदम्बा ऑयल कैरियर, 7 व्यापार सभा भवन, देहरादून रोड, ऋषिकेश।	09/आरटीए/13	दिनांक 23.11.2013 से 22.11.2023 तक।

?

अतः प्राधिकरण उपरोक्त जारी किये गये अनुज्ञप्तियों का अनुमोदन करने तथा भविष्य में माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने व जारी की गई अनुज्ञप्ति नवीकरण करने के अधिकार सचिव को प्रदत्त करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–8:– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका परमिट की अतिरिक्त शर्त के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में यह प्राविधान है कि मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होगीः–

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियो की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा।

यात्रियों की सूची

मोटर यान की संख्या ..... दिनांक .....
प्रस्थान का समय .....से .....तक।

क्रम संख्या	यात्री का नाम पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा ऐसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी,

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) परमिट धारक दिन–प्रतिदिन की वार्षिक लॉग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राइवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पहुंचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा,

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उर्पयुक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लॉगबुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लॉग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगीः परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गए किसी ठेका गाड़ी पर लागू नही होगी।

उपरोक्त शर्त (2) में यात्रियों की सूची तथा (5) में लॉग बुक का उद्धरण त्रैमासिक सम्बन्धित प्राधिकरण को भेजी जाने का प्राविधान है। परन्तु अधिकत्तर वाहन स्वामियों के द्वारा नियम 71 में दिये गये इन प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने याचिका सं0 2290, 2576/2011 तथा 2766/एमएस/2013 का दिनांक 27.05.2014 को निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं किः–

" This writ petition is disposed of with the direction to Regional Transport officer to comply with the condition of rule 70 of U.P. Motor Vehicle Rules, 1998 while granting contract carriage permit and not to allow such person in a manner that such vehicle are run like a stage carriage."

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के तत् सम्बन्धी नियम वर्तमान में उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली–2011 में नियम 71 है।

यह भी अवगत करना है कि माह अप्रैल, 2014 से माह अगस्त, 2014 के लगभग 544 (टैक्सी/मैक्सी/यूटिलिटी/बस) ठेका गाडी परमिट जारी किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:– 9 स्थाई सवारी गाडी, टैम्पो तथा ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने पर विचार व आदेश।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 81(1) में दिये गये प्राविधानों है कि स्थाई परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगें। धारा 81(2) में यह प्राविधान है कि परमिट के नवीनीकरण का आवदेन पत्र परमिट समाप्त होने की तिथी से कम से कम 15 दिन पूर्व दिया जायेगा। धारा 81(3) में यह प्राविधान है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण नवीनीकरण के लिये दिये गये आवेदन पत्र को उपधारा 2 में दिये गये विनिदिष्ट अन्तिम तिथि के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिदिष्टि समय के अन्दर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था। पूर्व में परमिटों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार नीति निर्धारित की थी।

1. **<u>स्टैज कैरिज परमिट</u>**–प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 29.09.2001 में संकल्प सं0–4 के द्वारा परिमटों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार नीति निर्धारित की थीः–

1– गत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर/अतिरिक्त कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया गया, दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक चालान के लिये रू0 500/– प्रति चालान की दर से जुर्माना देय होगा तथा यदि कर अपवंचना का अभियोग हो तो रू0 1000/– प्रति चालान की दर से देय होगा।

3. जिन परमिटों पर वाहन नहीं चल पा रही हैं उन मामलों में 6 माह का समय निशुल्क, 6 माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 1000/– प्रशमन शुल्क देय होगा। एक वर्ष से अधिक होने पर रू0 2000/– प्रतिवर्ष देय होगा।

4. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 10 दिन तक विलम्ब को क्षमा किया गया और उसके पश्चात रू0 500/– प्रतिमाह एक वर्ष तक की अवधि के लिये रू0 5000/– जुर्माना देय होगा।

5. नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली– 1988 की नियम 8(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. जिन परमिट धारकों द्वारा स्थायी परमिट समाप्त होने के पश्चात बिना अस्थायी परमिट प्राप्त किए वाहनों का संचालन किया गया है, जो एक गम्भीर अपराध है व राजस्व की भी हानि होती है। ऐसे मामलों में परमिट समाप्त होने की तिथि से 30 दिन या उसके भाग के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क देय होगा।

2. **टैम्पो परमिट**– प्राधिकरण द्वारा परमिटों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प सं0 23 द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने पर निम्नलिखित प्राविधान किया गया था।

1. एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जाये।
2. दो माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 1000/– प्रशमन शुल्क।
3. छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 2000/– प्रशमन शुल्क।
4. एक साल के पश्चात के विलम्ब के लिये रू0 1000/– प्रति वर्ष प्रशमन शुल्क।

5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 100/– प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित है।

3. **ऑटो परमिट**– प्राधिकरण द्वारा परमिटों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प सं0 24 द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने पर निम्नलिखित प्राविधान किया गया था।

1. एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जाये।
2. दो माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क।
3. छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 1000/– प्रशमन शुल्क।
4. एक साल के पश्चात के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रति वर्ष प्रशमन शुल्क।

5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 100/– प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित है।

बिलम्ब की अवधि 05 वर्ष तक प्रशमित किये जाने से उक्त प्रकार की वाहन बडी संख्या में मार्ग पर संचालित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिये कुछ नगर बस मार्गो के विवरण निम्न प्रकार हैंः–

मार्ग का नाम	स्वीकृत परमिटों की संख्या	संचालित वाहन	समर्पित वाहन
देहरादून– रायपुर– मालदेवता	14	03	11
पुरकुल गॉव–मोथरोवाला	12	07	05
सीमाद्वार–नालापानी	47	32	15
बंजारावाला– कारगी–गुलरघाटी	12	04	08

ऐसी स्थिति में मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आम जनता को परेशानी होती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त में संशोधन करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–10ः– **ठेका परमिट से आच्छादित वाहनों पर शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्राधिकरण के द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में ठेका परमिटों पर संचालित होने वाले वाहनो पर निम्नलिखित शर्ते अधिरोपित की हैंः–

1. यात्रियों से लिया गया किराया समय–समय पर मोटरगाडी अधिनियम– 1988 की धारा 67(1) जारी अधिसूचना में निर्धारित किराये से अधिक नहीं होगा।
2. सडक नियमों का कडाई से पालन किया जायेगा।
3. वाहन के प्रतिदिन संचालन के सम्बन्ध में एक लॉग बुक रखी जायेगीं(मोटर कैब को छोडकर)। जो वाहन में निरीक्षक हेतु रखी जायेगी।
4. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र परमिट की समाप्ति से 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

5. परमिट से आच्छादित वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वाहन के प्रति देय कर जमा न किया हो।
6. मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा– 84 में दी गई सवैधानिक शर्तों का पालन किया जायेगा।
7. परमिट से आच्छादित वाहन मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 39 व 49 के प्राविधानों के विपरीत प्रयोग नहीं की जायेगी और ना ही प्रयोग करने के लिये स्वीकृति दी जायेगी।
8. मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 82 के अनुसार परमिट बिना आटीए के स्वीकृत के किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
9. वाहन में क्षमता से अधिक सवारियॉ परिवहन नहीं की जायेगी।
10. टैक्सी/मैक्सी की स्थिति में परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन पहाडी मार्गो में 12 वर्ष एंव मैदानी मार्गों में 15 वर्ष तक ही किया जायेगा। ठेका परमिट से आच्छादित बसों की स्थिति में वाहन का संचालन पहाडी मार्गो में 15 वर्ष तक किया जायेगा।
11. शराब का सेवन कर वाहन का संचालन नही किया जायेगा।
12. चप्पल पहनकर वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा।
13. पहाडी मार्गो पर वाहन का संचालन रात्रि में नहीं किया जायेगा।
14. वाहन की छत पर सवारियॉ परिवहन नहीं की जायेगी।
15. परमिट से आच्छादित वाहन ऐसे किसी स्टैण्ड अथवा उसके आस–पास खडा नहीं किया जायेगा जो स्टैज कैरिज वाहनो के लिये प्रयोग किया जा रहा हो।
16. वाहन में प्राथमिक उपचार पेटिका (First Aid Box) बाक्स रखा जायेगा।
17 .चालक केबिन में टेपरिकार्ड नहीं लगा होना चाहिये।
18. वाहन के अग्र भाग में चालक एंव यात्री हेतु दो बेकेट सीट अलग होनी चाहिये।
19. वाहन को नदी नालों एंव जल स्रोतों में धोकर जल प्रदूषित नहीं किया जायेगा।
20. .पर्वतीय मार्गों पर संचालन होने पर वाहन में लकडी का गुटका रखा जायेगा।
21. वाहन स्वामी कूडा डालने हेतु वाहन में कूडा बैग (कूडादान) लगायेगे तथा सभी प्रकार का कूडा, कूडाबैग में ही डाला जायेगा।

22. वाहन का प्रयोग स्टैज कैरिज के रूप में नहीं किया जायेगा।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 2(7) में ठेका गाडी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

"ठेका गाड़ी" से एक मोटर यान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के सम्बन्ध किसी परमिट के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे सम्पूर्ण यान के उपयोग के लिये की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन, उसमें वर्णित यात्रियों के, किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर,–

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है अथवा नहींय या

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वहन में लगा है, और इन दोनों में से किसी भी दशा में, यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है, चढ़ाने या उतारने के लिए कहीं भी रूकता नहीं है, और इसके अन्तगर्त–

(i) एक बड़ी टैक्सीय और

(ii) एक मोटर टैक्सी, इस बात के होते हुय भी है कि इसके यात्रियों से अलग–अलग भाड़ा प्रभारित किए जाते हैं।

देहरादून शहर में स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से विक्रम टैम्पो एंव 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों तथा निजी नगर बसों के परमिट जारी किये गयें है। नगर बस सेवा यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा ठेका गाडी परमिट से आच्छादित विक्रम टैम्पो एंव व 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों के विरूद्ध यह आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त वाहनें फुटकर सवारी ढो रही है। उनका कहना है कि इन वाहनों को जारी परमिट ठेका गाडी परमिट की श्रेणी में आते हैं। परन्तु इन वाहनों के द्वारा स्टैज कैरिज वाहनों की तरह अलग–अलग स्थान से अलग–अलग स्थानो के लिये सवारी ढोई जा रही है।

शासन के परिपत्र सं0 02/परि0/2003 दिनांक 03.01.2003 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि किसी भी ठेका वाहन द्वारा मार्ग पर यात्रा के प्रारम्भिक बिन्दु या यात्रा के दौरान अलग–अलग यात्रियों को न तो बैठाया जायेगा और ना ही उतारा जायेगा। कोई भी ठेका वाहन किसी सार्वजनिक बस स्टैण्ड के निकट यात्रियों के बैठाने के उददेश्य से न रोकी/खडी की

जायेगी। कोई भी ठेका वाहन शहर/टाउन में किसी नियमित बस स्टैण्ड मुख्य मार्ग या हॉल्टिग स्टेशन या उसके आसपास खडी नहीं की जायेगी। यात्रियों की बुकिंग परमिट धारक के निजी गैराज तथा निजी बुकिंग कार्यालय से किया जा सकता है।

नगर बस वाहन स्वामियों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में ठेका गाडियों के संचालन के विरूद्ध याचिका सं0 2290, 2576/2011 तथा 2766/एमएस/2013 दायर की गई थी। इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुये मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.05.2014 को आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अंश निम्नवत हैंः–

" This writ is being disposed off with the direction to the Regional Transport Officer to comply with condition of Rule 70 of U.P. Motor Vehicle Rules, 1998 while granting Contract Carriage Permit and not to allow such person in a manner that such Vehicle are run like a stage carriage."

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली– 2011 के नियम 71 (उत्तर प्रदेश नियमावली 1998 के नियम 70) में प्राविधान है कि मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी का परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची 03 प्रतियों में तैयार करायेगा। सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये प्राधिकरण को भेजी जायेगी, दूसरी प्रति यान में रखी जायेगी तथा तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित रखी जायेगी। प्राप्त भाडे के भुगतान की एक रसीद जारी करेगा तथा दिन–प्रतिदिन की लॉग बुक रखेगा।

ठेका गाडी तथा मैक्सी कैब परमिटों पर इस आशय की शर्त लगायी गई है कि वाहन का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में नहीं किया जायेगा तथा वाहनों की बुकिंग परमिट धारक के निजी गैराज तथा निजी बुकिंग कार्यालय से किया जा सकता है।

देहरादून शहर में संचालित नगर बसों तथा ठेका वाहनों के मध्य फुटकर सवारी ढोने के सम्बन्ध में विवाद बढता जा रहा है। ठेका वाहनों के चालानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परमिट शर्तों के विरूद्ध ठेका वाहनों का संचालन मंजिली गाडी की तरह किये जाने की शिकायतों में सच्चाई है। ऐसे में उदार नीति से ठेका वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार करना उचित होगा एंव साथ ही विवाद को कम करने व ठेका वाहनों के स्टैज कैरिज के रूप में संचालन को प्रभावी रूप से रोकने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ठेका वाहनों को परमिट जारी करते समय अतिरिक्त शर्तें आरोपित करने पर प्राधिकरण विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–11:– देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

वर्तमान में देहरादून केन्द्र 794 विक्रम टैम्पो वाहनों को 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र में संचालन के लिये परमिट जारी किये गये हैं। देहरादून संभाग के अन्य केन्द्रो की वाहनों का देहरादून में अवैध संचालन रोकने के उददेश्य से देहरादून केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो वाहनों हेतु नीला रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना है, ताकि किसी अन्य केन्द्र की वाहनो का देहरादून में अवैध संचालन न होने पाये।

अतः प्राधिकरण देहरादून केन्द्र से संचालित वाहनों के रंग निर्धारण करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–12 स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर वाहनों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 83 मे प्राविधान है कि परमिट धारक, प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट प्रदत्त किया गया था कि अनुमति से परमिट पर आच्छादित किसी यान को उसी प्रकृति के किसी दूसरे यान से प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 85(1) में यह प्राविधान है कि यदि परमिट धारक किसी समय परमिट के अन्तर्गत आने वाली किसी यान को दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहता है तो वह नियम 126 के अधिन यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रपत्र एसआर 32 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, कारण उल्लेखित करते हुये कि क्यों प्रतिस्थापन वांछित है, आवेदन करेगा और–

(एक) यदि नया यान उसके कब्जे में हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अग्रसारित करेगा,
(दो) यदि नया यान उसके कब्जे में नहीं है तो कोई सारवान विशेषता उल्लिखित करेगा जिसके लिये नया यान पुराने से भिन्न हो।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 85(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्भागीय परिवहन स्वविवेकानुसार आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकता है –

(एक) यदि उसने आवेदन पत्र के पूर्व धारा 71 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अपने आशय का युक्तियुक्त नोटिस दिया हो, या

(दो) यदि प्रस्तावित नया यान पुराने यान से सारवान भिन्नता रखता हो।

(तीन) यदि परमिट धारक ने परमिट के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो या ऐसे मामलों के सिवाय जहां कोई जब्त यान सीधे क्रय किए गए किसी यान से प्रतिस्थापित किया गया हो किसी क्रय–विक्रय करार के उपबन्ध के अधीन पुराने यान के कब्जे से वंचित कर दिया गया हो।

(3) यदि सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण इस नियम के अधीन यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पत्र स्वीकृत करे तो वह परमिट धारक को परमिट और नये यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, यदि उसे पहले न दिया गया हो, प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और अपनी मुहर और हस्ताक्षर के अधीन तद्नुसार परमिट को ठीक करेगा और उसे धारक को वापस कर देगा।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.01.2000 के संकल्प सं0 6(3) के यह नीति निर्धारित की गई थी कि यात्री बसों के परमिटो पर वाहनें नहीं चल रही हैं उन मामलों में प्रतिस्थापन के लिये निम्नलिखित प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया थाः–

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 1000/– प्रशमन शुल्क
3. एक वर्ष से अधिक होने पर रू0 2000/– प्रति वर्ष प्रशमन शुल्क देय होगा।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.03.95 के संकल्प सं0–15 में प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि जिन मामलों में परमिट धारकों द्वारा नीचे माडल की वाहन लगाने की प्रार्थना की है, ऐसे मामलो में सचिव नीचे माडल की प्रस्तावित वाहन का तकनीकी निरीक्षण सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्राविधिक)/सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक के साथ स्वयं करेंगे तथा वाहन उपयुक्तता की स्थिति में परमिट पर लगाने की अनुमति देंगे तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिस्थापन बिलम्ब की अवधि 05 वर्ष तक प्रशमित किये जाने से स्टैज कैरिज वाहन बडी संख्या में मार्ग पर संचालित नहीं हैं। उदाहरण के लिये कुछ नगर बस मार्गों के विवरण निम्न प्रकार हैंः–

मार्ग का नाम	स्वीकृत परमिटों की संख्या	संचालित वाहन	समर्पित वाहन
देहरादून– रायपुर– मालदेवता	**14**	**03**	**11**
पुरकुल गॉव–मोथरोवाला	**12**	**07**	**05**
सीमाद्वार–नालापानी	**47**	**32**	**15**
बंजारावाला– कारगी–गुलरघाटी	**12**	**04**	**08**

ऐसी स्थिति में मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आम जनता को परेशानी होती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त नीति में संशोधन करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–13ः– <u>श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 15/11 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी–परेड ग्राउण्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश।</u>

आईएसबीटी–परेड ग्राउण्ड–सहस्त्रधारा नगर बस सेवा मार्ग की लम्बाई 30 किमी0 है। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 परमिट निजी वाहन स्वामियों को जारी किये गये हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0 175/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2008 दिनांक 24.12.08 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की थी। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने 4 परमिट बढाये जाने की संस्तुति की थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में संकल्प सं 7 द्वारा इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित हुये थेः–

मद सं0–7 के अन्तर्गत आई0एस0बी0टी0–परेड ग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने इस मार्ग पर 4 परमिटों के बढाये जाने की

संस्तुति की है। परमिटों हेतु प्राप्त 120 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट **'ध'** में दिये गये हैं, जिसमें से 01 प्रार्थनापत्र मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट फ्लीट ऑनर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया हैं। मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 4 परमिटों की संख्या बढाने की संस्तुति की गयी है, परन्तु परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन निगम को 4 परमिट फ्लीट ऑनर के रुप में स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट **नई वाहन/जेएनएनयूआरएम** योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों (अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किये जायेंगे अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्राधिकरण के इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द, 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 15/11 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस अपील का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 12.12.2011 द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अशं निम्न प्रकार हैः–

"That the appeal be and the same is allowed. Order dated 08-10-2012 passed by the respondent RTA on item no. 7 of the agenda granting four permanent stage carriage permit in favour of UKSRTC, is set aside. The RTA is directed to consider all the applications afresh. After affording all possible opportuinity of being heard to all the applicants permits shall be granted as per mechanism suggested in the body of this judgement. The RTA is further directed to complete this exercise within two month from the date of receiving a certified order of this judgement under intimation to this Tribunal. No order as to costs. Consign the record."

मा0 न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 521/एमएस/12 दायर की थी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.12 द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों को स्थगित किया गया था। परन्तु याचिकाकर्ता श्री अशोक कुमार ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.14 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत हैः–

"The only grievance of the petitioner is that the Regional Transport Authority is not considering the application of the petitioner for grant of stage carriage permit.

Mr. R.C. Arya, learned Standing Counsel appearing for the State/respondents submits that if an appropriate application is moved by the petitioner before the Regional Transport Authority seeking stage carriage permit, is shall also be considered along with other applications submitted before the Regional Transport Authority as directed by the Appellate Tribunal in accordance with law preferably within ninety days from today.

In view of the above, Mr. Ganesh Kandpal, learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this petition in the light of the statement made by Mr. R.C. Arya, learned Standing Counsel.

Permitted to be withdrawn.

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.2010 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को पुनः विचार व आदेश हेतु **परिशिष्ट–"क"** में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–14 **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश।**

श्री अशोक कुमार ने राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट देने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2010 को दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में मद सं0 8 द्वारा विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर उपलब्ध चार परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थना पत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। प्राधिकरण ने यह भी आदेश पारित किये थे कि परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट नई वाहन/जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों पर प्राप्त किये जायेगें। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण के इन आदेशों के विरूद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इस अपील का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का मुख्य अशं निम्न प्रकार हैः–

"That the appeal be and the same is allowed. Order dated 08-10-2012 passed by the respondent RTA on item no. 8 of the agenda granting four permanent stage carriage permit in favour of UKSRTC, is set aside. The RTA is directed to consider all the applications afresh. After affording all possible opportuinity of being heard to all the applicants permits shall be granted as per mechanism suggested in the body of this judgement. The RTA is further directed to complete this exercise within two month from the date of receiving a certified order of this judgement under intimation to this Tribunal. No order as to costs. Consign the record."

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.2013 में मद सं0 7 के अन्तर्गत विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण के सम्मुख श्री अशोक कुमार उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया, कि उन्हे उक्त मार्ग का परमिट जारी कर दिया जाय।

एक अन्य प्रार्थी श्री सुभाष चन्द्र ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उन्होंने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष उक्त मार्ग के परमिट प्राप्ति करने हेतु अपील सं0 16/2006 दायर की थी। इस अपील में मा0 न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

"अपीलार्थी की अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को निर्देशित किया जाता है, कि आगामी बैठक में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सम्मिलित करते हुये निर्णय में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार गुण दोष के आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र निस्तारण करें।"

श्री सुभाष चन्द्र ने सूचित किया है कि प्राधिकरण ने अपनी बैठक 08.10.2010 में केवल उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। उन्होंने मा0 न्यायाधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम को जारी परमिटों को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप हुई रिक्ति के सापेक्ष एक परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया है।

श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर स्पेशल अपील सं0 132/11 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2011 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैंः–

"It has been brought on record that applications for the route permit from Rajpur to Clement Town filed by others have been considered without considering the application made thereofor by the appellants. In the circumstances, we are unable to interfere with the order under appeal. We hope and expect that as and when applications made for the route permit from Rajpur to Clement Town are considered, application made by the appellants for the said route shall also be considered. "

उक्त आदेशों के अनुपालन में श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा निवेदन किया गया कि अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ सर्वश्री सुनील कुमार शर्मा, भीम सिंह, सचिन कुमार तथा राम कुमार सैनी (याचिकाकर्ता) के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाये।

इसके पश्चात श्री गोपाल सिंह भण्ड़ारी, राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग के ऑपरेटर तथा यूनियन के अध्यक्ष हैं, ने प्राधिकरण को अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय में एक वाद दायर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनके मार्ग में अनेक विक्रम संचालित हो रहे हैं तथा उनका मार्ग कई स्थानों पर अन्य मार्गों की नगर बसों के द्वारा ओवरलेप होता है। उन्होंने निवेदन किया, कि वर्तमान में मार्ग पर 30 वाहनें संचालित हैं एंव ओर बसों की आवश्यकता नहीं है। उनके मार्ग पर और परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एंव देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण

कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त मार्ग हेतु जारी परमिट कितनी बार हस्तान्तरित हुये है की आख्या से प्राधिकरण को अवगत करायें।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 7311/आरटीए/मार्ग सर्वेक्षण/दस–273/2014 दिनांक 06.01.2014 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने पत्र सं0 9182/प्रतर्वन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या प्रस्तुत की है जो निम्नवत हैः–

1. **नगर बस सेवा मार्गों के सर्वेक्षण हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में जून 2010 में प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। मार्ग पर पूर्व में समिति द्वारा 04 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की गयी थी।वर्तमान में उक्त मार्ग पर कई शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, आवासीय कॉलोनी स्थापित हो चुकी हैं। क्षेत्र की आबादी में भी काफी वृद्वि हुई है। उक्त के दृष्टिगत एंव प्रवर्तन कार्य के अनुभवों के अनुसार मार्ग पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।**
2. **अतः क्षेत्रीय जनता को सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त बस सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु पूर्व संस्तुति सहित मार्ग पर 06 नये परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।**

राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग हेतु जारी परमिटों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इस मार्ग हेतु जारी परमिटों मे से हस्तान्तरित परमिटों की सूचना निम्ववत हैंः–

क्र0 सं0	परमिटों की संख्या	हस्तान्तरित होने की संख्या
1.	01	04
2.	01	03
3.	04	02
4.	16	01

यह भी अवगत करना है कि श्री अशोक कुमार ने राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरूद्ध याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की है। जो अनिस्तारित है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एंव राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.2010 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को पुनः विचार व आदेश हेतु **परिशिष्ट–"ख"** में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–15 राजपुर– क्लेमेनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

श्री रामकुमार सैनी व अन्य द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण व सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2331/एम0एस0/13 दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह याचिका राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई परमिटों के आवेदनों पर विचारण एंव निस्तारण हेतु योजित की गई है।

उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेश दिनांक 12.12.13 के द्वारा याचिका का निस्तारण सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून यानि प्रतिवादी सं0 2 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई है कि उक्त आवेदन पत्रों को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत निस्तारण किया जाये। उक्त आदेश इस कार्यालय में दिनांक 21.12.2013 को प्राप्त हुये हैं।

उपरोक्त याचिका में प्रतिवादी सं0 2 सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून हैं। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.13 में निम्न लिखित निर्देश दिये हैः–

"In view of the above, the petition is disposed of with the direction to the Sectretary, State Transport Authority, Dehradun i.e. respondent no. 2 to dispose of the pending application of the petitioners within a period of one month from the date a certified copy of this order is produced before him."

उक्त आदेशों के सन्दर्भ में अवगत करना है कि :–

1. राजपुर क्लेमेन्टाउन नगर बस मार्ग संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आता है। सहायक संभागीय अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 880/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2010 दिनांक 21.06.2010 के द्वारा उक्त मार्ग की संयुक्त सर्वेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत की है। जिसमें संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा 04 रिक्तियों की संस्तुति की गई थी।

2. संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08.10.10 में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया था। जिसमें निजी आपरेटरों के 102 प्रार्थना पत्रों एंव एक प्रार्थना पत्र मण्ड़लीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परिवहन निगम द्वारा 10 परमिट फ्लीट आर्नर के रूप जारी करने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त बैठक में 04 परमिट स्कीम के अन्तर्गत निगम को स्वीकृत किये गये थे।

3. संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के उक्त आदेश दिनांक 08.10.10 को मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द की अपील सं0 1/12 में पारित आदेश दिनांक 27.07.12 के द्वारा अपास्त कर दिया था। मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैंः–

"That the appeal be and the same is allowed. Order dated 08-10-2012 passed by the respondent RTA on item no. 8 of the agenda granting four permanent stage carriage permit in favour of UKSRTC, is set aside. The RTA is directed to consider all the applications afresh. After affording all possible opportuinity of being heard to all the applicants permits shall be granted as per mechanism suggested in the body of this judgement. The RTA is further directed to complete this exercise within two month from the date of receiving a certified order of this judgement under intimation to this Tribunal. No order as to costs. Consign the record**."**

उक्त आदेशों के अनुपालन में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 04.12.13 में श्री अशोक कुमार को सुना। एक अन्य प्रार्थी श्री सुभाष चन्द ने प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायाधिकरण में अपील सं0 16/2006 दायर की गई थी। उक्त अपील में मा0 न्यायाधिकरण ने दिनांक 20.09.2006 को निम्नलिखित आदेश पारित गये हैः–

"अपीलार्थी की अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को निर्देशित किया जाता है, कि आगामी बैठक में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सम्मिलित करते हुये निर्णय में दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार गुण दोष के आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें।"

प्राधिकरण की बैठक में मार्ग के परमिट धारकों के द्वारा भी नये परमिट जारी करने में आपत्ति दर्ज करायी गई है।

4. श्री अशोक कुमार की अपील सं 1/12 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निम्नलिखित आदेशों के अनुपालन में सुनवाई के द्वौरान श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा स्पेशल अपील सं0 132/11, श्री सुनील कुमार शर्मा एंव अन्य बनाम संभागीय परिवहन प्राधिकरण एंव अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2011 की छायाप्रति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने उक्त याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किये हैंः–

"It has been brought on record that applications for the route permit from Rajpur to Clement Town filed by others have been considered without considering the application made thereofor by the appellants. In the circumstances, we are unable to interfere with the order under appeal. We hope and expect that as and when applications made for the route permit from Rajpur to Clement Town are considered, application made by the appellants for the said route shall also be considered. "

प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रार्थिगणों को सुनने के पश्चात एंव मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि मार्ग का पुनः सर्वेक्षण करा कर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

5. राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा अपील सं0 1/12, 16/2006 एंव मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0 132/2011 में दिये गये निर्देषों के अनुपालन में मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा दिनांक 04.12.13 को सुना गया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली–1998 की नियम 57 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक

परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और संभागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (संभाग के) को अपने अधिकार/शक्ति को प्रतिनिहित कर सकती है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण के परिचालन पद्धति द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2004 में (ख) (1) में सवारी गाड़ी के किसी स्थाई परमिट के **समर्पित** या **प्रतिस्थापित** होने से उत्पन्न अस्थाई रिक्ति को पूर्ण करने हेतु धारा 87 (सी) के अन्तर्गत अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट देने का अधिकार, **यदि विवाद न हो तो,** सचिव को प्रदत्त किये गये हैं।

प्रश्नगत मार्ग पर परमिटों हेतु याचिकाकर्ताओं सहित 08 अस्थाई परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. श्री रामकुमार पुत्र श्री चमन लाल, प्रतीतपुर धर्मावाला, देहरादून।
2. श्री भीम सिंह पुत्र श्री नाथीसिंह, 79 लोअर नत्थपुर, नेहरूग्राम, देहरादून।
3. श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 4बी राजा रोड़, देहरादून।
4. श्री आशिष भण्डारी पुत्र श्री सुल्तान सिंह, कुठालगॉव, पो0 राजपुर, देहरादून।
5. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, बन्दर गॉव, भगवानपुर, देहरादून।
6. श्री सचिन रावत पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह रावत, 435 हरचावला, राजपुर, देहरादून।
7. श्री शैलेन्द्र रावत पुत्र श्री एस0एस0 रावत, 86 सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून।
8. श्री योगेश पुण्ड़ीर पुत्र श्री सुरत सिंह पुण्ड़ीर, नालापानी, देहरादून।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा मामले पर विचारोपरान्त दिनांक 05.08.2004 के आदेश द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत निस्स्तारित किया जा चुका है। जिसमें निस्तारण आदेश में वर्णित है किः–

"राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा अपील सं0 1/12, 16/2006 एंव मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर स्पेषल अपील सं0 132/2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा दिनांक 04.12.13 को सुना गया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया

जाये। स्पष्ट है कि उक्त मार्ग पर स्थाई परमिट दिये जाने पर प्राधिकरण विचार कर रही है। याचिकाकर्ताओं सहित 08 अस्थाई परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हैं, ऐसे में अन्य 05 आवेदकों को सुनवाई का समान अधिकार दिये जाना हेतु उचित होगा कि अस्थाई परमिटों पर विचारण एंव निर्णय हेतु मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 132/11 तथा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा अपील सं0 1/12 एंव 16/2006 में अन्तिम निर्णय संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा लिया जाना है। चूकिः उक्त मार्ग पर परमिट जारी किये जाने पर विवाद है। ऐसी स्थिति में सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्रतिनिधायित अधिकारों का प्रयोग किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।"

सचिव द्वारा अपने स्तर से प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत उक्त प्रकरण को निस्तारित करते हुये प्रकरण को आरटीए में विचार हेतु रखने की अपेक्षा की गई है। इन आदेशों के विरूद्ध श्री रामकुमार व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं0 182/14 दायर की गई है। जो विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण आवेदनों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–16:– श्री गजेन्द्र कुमार की अपील सं0 1/13 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 10.01.2014 के अनुपालन में विक्रम टैम्पो परमिट सं0 1404 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन चन्द, नागपाल भवन, विकासनगर, देहरादून के नाम पर एक विक्रम टैम्पो परमिट सं0 1404 विकासनगर केन्द्र से जारी किया गया था। जो दिनांक 05.03.2002 तक वैध था। उक्त परमिट वाहन सं0 यूपी 14– 4002 के लिये जारी किया गया था। परमिट धारक ने परमिट के नवीनकरण हेतु दिनांक 24.01.20013 को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि परमिट में चल रही वाहन सं0 यूपी 14– 4402 दिनांक 16.04.2000 को शक्ति नहर, डाकपत्थर मे डूब गई थी। जिसमें 04 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में न्यायालय में चल रहा वाद दिनांक 31.07.2012 को निस्तारित हो गया है। इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0 3796/आरटीए/टैम्पो–1404/2013 दिनांक 24.01.2013 को सूचित किया गया था कि उनका टैम्पो परमिट दिनांक 05.03.2002 तक वैध था, जिसको समाप्त हुये लगभग 11 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2006 में पारित आदेशों के अनुसार परमिट की वैधता समाप्त होने के 05 वर्ष के बाद परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

संभागीय परिवहन अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 24.01.2013 के विरूद्ध परमिट धारक ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा अपील का निस्तारण कर दिया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत है :–

"**अपील तदानुसार निस्तारित की जाती है सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.01.2013 निरस्त किया जाता है पत्रावली को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुर्नविचार हेतु प्रेषित किया जाता है।**"

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–17 **श्री अमित डोभाल की अपील सं0 16/2011 तथा श्री सचिन कुमार की अपील सं0 17/2011 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 24.07.2012 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेशः–**

परेड ग्राउण्ड़–प्रेमनगर–परबल एक नगर बस सेवा मार्ग है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर परमिटों की सं0 16 बढ़ाकर 21 निर्धारित की जाती है। उपलब्ध रिक्तियों में से 04 रिक्ती सामान्य वर्ग के लिये एंव 01 रिक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये निर्धारित की थी। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया था।

क्र0सं0	**आवेदक का नाम तथा पता**
1.	श्री नितिन आहुजा पुत्र श्री नरेन्द आहुजा, 12 सी विंग नं0 2 प्रेमनगर देहरादून।
2.	श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री डी एम अग्रवाल, 23/12 कबाडी बाजार रुडकी देहरादून
3.	श्री राजेन्द्र भटट, पुत्र श्री बी डी भटट, 49 सुमन नगर, देहरादून।
4.	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।

अनुसूचित जाति का कोई प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित 01 रिक्ति को आगामी बैठक के लिये सुरक्षित रखा गया था। परिशिष्ट में उल्लेखित शेष प्रार्थना पत्रों को रिक्ती न होने के कारण अस्वीकृत किया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं के प्रार्थना पत्र भी थे।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष श्री अमित डोभाल ने अपील सं0 16/2011 तथा श्री सचिन कुमार ने अपील सं0 17/2011 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इन अपीलों को निस्तारण अपने आदेश दिनांक 24.07.2012 के द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्न प्रकार हैंः–

" On the basis of observations made by the this Tribunal in the body of this judgement, both of the appeals namely Appeal No. 16/11, Shri Amit Dobhal vs. Regional Transport Authority, Dehradun and appeal No. 17 of 2011, Shri Sachin Kumar vs. Regional Transport Authority, Dehradun are hereby partly allowed. The RTA determined 5 vacancies on the routs in question. Two vacancies are declared vacant. There shall be no effect on the permists granted to three persons namely Shri Nitin Ahuja, Shri Anil Agarwal and Shri Rajendra Bhatt. Cases of appellants are remitted to RTA, Dehradun for its decision afresh on their candidature. After considering their candidature and the candidature of other applicants who have already applied for the permits, the RTA shall decide for granting two permits. As discussed in the body of this judgement, before considering the candidature of applicants, the RTA shall adopt a scientific, reasonable and transparent mechanism for granting permits. The RTA is directed to decide the applications within two months from the date of getting a certify copy of this judgement and accordingly apprise this Tribunal. No order as to costs. Consign the record."

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुसूचित जाति के प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हेमराज, 196 चुक्खूवाला, देहरादून को स्वीकृत किया गया है। परन्तु श्री राकेश कुमार के द्वारा अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। एक परमिट उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत प्राप्त वाहन के लिये स्वीकृत किया था, जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक 04.12.13 में संकल्प सं0 9 में मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में किया गया था, तब से काफी समय व्यतीत हो गया है, इस दौरान शहर की जनसख्या तथा मार्ग पर यात्रियों की संख्या

में काफी वृद्वि हो गयी है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराने के पश्चात मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0 7312/आरटीए/मार्ग सर्वेक्षण/दस–273/2014 दिनांक 06.01.2014 के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9421/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 05.09.2014 के संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत हैः–

"उक्त मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से शुक्लापुर, अम्बीवाला, आरकेडिया ग्रान्ट, मिठठीबेरी तथा ठाकुर–लक्ष्मीपुर– श्यामपुर तक किया गया है। मार्ग पर जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु समिति द्वारा पूर्व में की गई संस्तुति के अनुसार वर्तमान में 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है। "

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–ग** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–18 **<u>परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर विचार एंव आदेश।</u>**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण के बैठक दिनांक 04.12.13 में मद सं0 8 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हेमराज, 196 चुक्खूवाला, देहरादून की अपील सं0 10/2006 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि श्री राकेश कुमार को अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सामान्य शर्तों के साथ 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट नई वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 06 माह (दिनांक 03.06.2014) के अन्दर

प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। यह परमिट जारी होने के पश्चात 03 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य के नाम हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा उसके पश्चात हस्तान्तरण अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को ही किया जा सकता है।

श्री राकेश कुमार ने प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 उक्त स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.14 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 16/17 जून, 2013 को केदार नाथ धाम में आयी आपदा में उनकी एक बस बह गई थी। इस कारण उनको आर्थिक हानि उठानी पड़ी इस कारण वे नया वाहन खरीदने में समर्थ नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वीकृत परमिट 5 वर्ष पुराने वाहन पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.11 में संकल्प सं0 10 में विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये थेः–

"इस विषय में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि विगत दो–तीन वर्षों से प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज/नगर बस/ऑटो रिक्शा/विक्रम आदि के परमिट निर्गत करते समय निरंतर यह निर्णय लियें है कि नई वाहनों से ही नये परमिट जारी किए जाएं। इसके पीछे मुख्य कारण यह रहे हैं कि नई वाहन उन्नत तकनीक के कारण अधिक आरामदेह, सुविधाजनक तथा अपेक्षाकृत प्रदूषण रहित होती हैं। इन वाहनों का रख–रखाव सरल होता है तथा कम टूट–फूट होने के कारण दुर्घटना की आशंका कम रहती है। स्पष्ट है कि जनहित में नई वाहन लगाने का निर्णय लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या–117/09/एमएस तथा 140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22–05–09 को अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की शर्त को सही ठहराया है। मा0 उच्च न्यायालय के इस निर्णय से भी इस बात को बल मिला है कि नए जारी किये जाने वाले परमिटों पर नई वाहन लगाने का निर्णय सही है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–19(i) कौलागढ़–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, मार्ग के बस ऑपरेटरों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.11 पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेश हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात प्राधिकरण के आदेश दिनांक 07.07.09 द्वारा इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–शिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 मे मार्ग का विस्तार ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किशन नगर होते हुऐ कनाट प्लेस–धण्टाधर–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेशन तक किया गया था। प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 01 बस संचालित हैं।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पश्चात् थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पाने से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और हमें मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवार के भरण–पोषण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमिट देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार के राजस्व की हानि भी न हो सकें।

उक्त मामले में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 18(1) में निम्न आदेश पारित किये हैंः–

"इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि "सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 27.12.08 में कौलागढ़ से विधानसभा मार्ग पर 06 सिटी बस परमिट जारी किए गए थे। कुछ समय पश्चात् थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड की सिटी बसों को भी इसी रूट के परमिट अंकित कर दिए गए जिस कारण हमारी सिटी बसों को पर्याप्त सवारी न मिल पानी से काफी आर्थिक

नुकसान उठाना पड़ा और हमे मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा, जिससे हमें बेरोजगार भी होना पड़ा और अपने परिवार के भरण–पोषण की एक बहुत बुरी स्थिति बन गयी है। उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों से परिवर्तित कर दिया जाए तथा कौलागढ़ से घण्टाघर तक का छोटे वाहन के परमिट देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सरकार को राजस्व की हानि भी न हो सकें"।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से उक्त मार्ग का पुनः सर्वे/परीक्षण कराया जाय तथा मार्ग की आर्थिक तथा लोड फैक्टर के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, तदोपरान्त मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में संयुक्त सर्वेक्षण समिति से मार्ग का पुनः सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित करने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून को लिखा गया था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 9421/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 05.09.2014 के संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत हैः–

"कौलागढ़–विधानसभा मार्ग पर कौलागढ़ से आईएसबीटी होते हुय 06 बसों के परमिट आरटीए द्वारा स्वीकृत किये गये थे। उक्त मार्ग पर बसों का संचालन हो रहा था किन्तु मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण वाहन स्वामियों के द्वारा बसों का संचालन बन्द कर दिया गया। उक्त मार्ग पर वर्तमान में कोई बस संचालित नहीं हो रही है। उक्त मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने का मुख्य कारण बसों को पर्याप्त सवारियॉ न मिलना रहा है। मार्ग पर बसों को पर्याप्त सवारियॉ न मिलने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैंः–

(1) बसों को सीटिंग क्षमता के अनुसार शीघ्र पर्याप्त सवारियॉ नहीं मिलती हैं, जिससे उनके संचालन का समायान्तराल काफी रहता है। इसके कारण जनता छोटी वाहनों से यात्रा करने में ज्यादा रूचि दिखाती है।

(2) शहर में दुपहिया, प्राईवेट व अन्य हल्के व्यावसायिक वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है। इसी वजह से छोटे वाहनों की तुलना में बसों को मार्ग पर निर्बाध रूप से चलने, सवारियों को चढ़ाने व उतारने में कठिनाई होती है।

बसों की तुलना में छोटी वाहनों को मार्ग पर सवारियॉ को इच्छित स्थान पर चढाने व उतारने में आसानी रहती है, जिससे सवारियॉ छोटी वाहनों यात्रा करने में अधिक रूचि रखती है और बसों को सवारियॉ कम मिलती है।
(3) उक्त मार्ग को अन्य नगर बस मार्ग भी ओवरलैप करते हैं।

अतः क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु समिति का मन्तब्य है कि उक्त मार्ग के नगर बस परमिटों को छोटी जीप प्रकार के स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तित किया जाना उचित होगा। छोटी वाहनों की सीटिंग क्षमता 8–9 की होती है, जिसको आसानी से सवारियॉ मिल जाती हैं जबकि बसों को काफी समय तक खडा रहना पडता है। अतः छोटी वाहनों का संचालन आर्थिक रूप से भी लाभप्रद रहेगा।"

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–घ** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–(ii) कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र की जनता द्वारा इस आशय के प्रतिवेदन दिये गये हैं कि, उनके क्षेत्र में भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाय, परन्तु पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कौलागढ से आगे का मार्ग काफी संकरा तथा मोडो वाला है, जिसमें बस सेवा संचालित किया जाना सम्भव नहीं है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून ने अपने पत्र सं0–5647/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 02–11–11 द्वारा उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात अपनी आख्या प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार हैः–

"बाजावाला तथा मसन्दावाला गांव की दूरी कौलागढ़ से लगभग 2.3 किमी है। मार्ग पक्का है तथा लगभग 2.0 से 2.5 मीटर चौड़ा है तथा हल्के वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला तक आवागमन के लिए परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों को पैदल या अन्य साधनों से कौलागढ़ आना पड़ता है।

बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र की जनता को शहर तक आने–जाने के लिए परिवहन सुविधा दिए जाने हेतु बाजावाला–मसन्दावाला से कौलागढ़ होते हुए के0डी0एम0आई0पी0ई0, ओ0एन0जी0सी0 चौक से बल्लुपुर चौक, बल्लीवाला चौक, जी0एम0एस रोड, सब्जीमंडी, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक होते हुए परेडग्राउण्ड तक हल्के वाहनों का मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। मार्ग की कुल दूरी 13.5 किमी है।"

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून की उपरोक्त आख्या के साथ कौलागढ़–विधान सभा एंव सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला, मसंदावाला तक करने तथा हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में मद सं0 18(2) द्वारा प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

"इस मद के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व अध्यक्ष, नगर बस सेवा, अनारवाला–गढ़ीकैण्ट–आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड ने आपत्ति की है कि उपरोक्त मार्ग पर अलग से ठेका परमिट के टाटा मैजिक को संचालित कराना सिटी बस वालों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। क्योंकि अत्यधिक संख्या में विक्रम व सिटी बसें संचालित होने के कारण प्रतिस्पर्धा बारम्बार बनी रहती है, जिस कारण दुर्घटनायें एवं मारपीट व झगड़े होते रहते हैं, इसके साथ ही बस मालिक आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं, जिससे बसों के रख रखाव में भी मुष्किलों का सामना करना पड़ता है।"

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि, **कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से कराकर विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, समिति का दायित्व होगा कि, वह परीक्षण कर यह बतायें कि, इस मार्ग की Economic Inviability के क्या कारण रहे हैं और उनके निराकरण के उपाय व इस क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मार्ग में किस प्रकार के परिवर्तन उचित होंगे। तदोपरान्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"**

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून को मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति से पुनः सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित करने हेतु को लिखा गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन),

देहरादून ने अपने पत्र सं0 9421/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 05.09.2014 के संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत हैः–

"कौलागढ़–विधान सभा मार्ग पर पूर्व में कौलागढ से आईएसबीटी होते हुये बसों का संचालन हो रहा था। उक्त मार्ग पर वर्तमान में कोई बस संचालित नहीं हो रही है। उक्त मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने का कारण पर्याप्त सवारियॉ ना मिलना रहा है। जिसके निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैंः–

(1) **बसों को सीटिंग क्षमता के अनुसार शीघ्र पर्याप्त सवारियॉ नहीं मिलती हैं, जिससे उनके संचालन का समायान्तराल काफी रहता है। इसके कारण जनता छोटी वाहनों से यात्रा करने में ज्यादा रूचि दिखाती है। क्योंकि छोटी वाहनों को श्रीघ ही 7–8 सवारियॉ मिल जाती हैं, जिससे इनका संचालन का समयान्तराल भी काफी कम होता है। इससे बसों को पर्याप्त सवारियॉ नहीं मिलती हैं।**

(2) **उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पश्चात वर्तमान में देहरादून शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे नई नई कॉलोनियों का विकास हुआ। नये नये हासपिटल, शिक्षण संस्थान खुले। उक्त विकास के कारण वाहनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। जबकि इसके अनुपात मार्गों का चौडीकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। दुपहिया, छोटे चार पहिया वाहनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इसी वजह से छोटे वाहन की तुलना में बसों को मार्ग पर निर्बाध रूप से चलने, सवारियों को चढाने व उतारने में कठिनाई होती है। बसों की तुलना में छोटी वाहनों को मार्ग पर सवारियों को इच्छित स्थान पर चढाने व उतारने में आसानी रहती है। जिससे सवारियॉ छोटी वाहनों यात्रा करने में अधिक रूचि रखती है और बसों को सवारियॉ कम मिलती है।**

(3) **उक्त मार्ग पर बसों को पर्याप्त सवारियॉ न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है कि थाना कैन्ट परेड ग्राउण्ड मार्ग उक्त मार्ग को ओ0एनजीसी चौक से आईएसबीटी होते हुये रिस्पना तक ओवरलेप करता है।**

बाजावाला तथा मसन्दावाला गॉव की दूरी कौलागढ से लगभग 2.3 किमी0 के लगभग हैं मार्ग पक्का है तथा लगभग 2.0 से 2.5 मीटर चौडा है। कौलागढ से आगे मसन्दावाला की ओर मार्ग काफी संकरा है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर केवल जीप प्रकार के हल्के वाहनों का संचालन भी उपयुक्त होगा।

कौलागढ से बाजावाला मसन्दावाला तक आवागमन के लिये परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय लोगों को पैदल या अन्य साधनों से कौलागढ तक आना पडता है। अतः बाजावाला मसन्दावाला क्षेत्र की जनता को शहर तक आने

जाने के लिये परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु कौलागढ़– विधान सभा मार्ग का विस्तार बाजावाला मसन्दावाला तक किया जाना उचित होगा जिस पर जीप प्रकार की छोटी स्टैज कैरिज वाहनों का संचालन कराया जाये।"

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री गणेश जोशी, मा0 विधायक, मसूरी विधान सभा द्वारा ग्राम मसन्दावाला तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न प्रतिउत्तर में अवगतर कराया गया थाा कि ग्राम मसन्दावाला तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही गतिमान है एंव मामले को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–20 **अनारवाला– थाना कैन्ट–परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपुर चौक–जी0एम0एस0 रोड–आईएसबीटी–हरिद्वार बाईपास–रिस्पना पुल मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।**

अध्यक्ष, अनारवाला– थाना कैन्ट–परेड ग्राउण्ड मार्ग बस यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 28.10.2013 द्वारा सूचित किया है कि उनके मार्ग पर कुल 13 नगर बसों का संचालन हो रहा था। परन्तु बिष्ट गॉव से गढ़ी कैन्ट होते हुये आईएसबीटी तक 32 छोटी वाहनों का संचालन होने के कारण उनका मार्ग ओवरलेप हो रहा है। 08 सीटर ठेका वाहन यात्रियों की पसन्द होने के कारण उनके वाहनों में यात्री पर्याप्त सं0 में उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस कारण से मार्ग पर बसों का संचालन घाटे में हो रहा है तथा उनका व्यवसाय शून्य हो गया है। आर्थिक हानि होने के कारण वे अपनी वाहनों का टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में मार्ग पर केवल 07 बसों का संचालन हो रहा है।

उन्होंने निवेदन किया है कि उनके मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर 08 सीटर हल्की वाहनों के स्टैज कैरिज परमिट जारी करने की कृपा करे, जिससे बस वाहनों के स्वामी अपनी बसों को 08 सीटर हल्की वाहन में परिवर्तन कर सकें तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। उन्होंने पुनः निवेदन किया है कि मार्ग पर संचालित नगर

बसों के परमिट के स्थान पर 02/03 आठ सीटर वाहन प्रति नगर बस के अनुपात में स्टैज कैरिज परमिट जारी करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि बिष्ट गॉव से थाना कैन्ट–बल्लुपुर चौक–जीएमएस रोड़–आईएसबीटी तक 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनें ठेका परमिट पर संचालित हो रही हैं। इन वाहनों के संचालन से उक्त नगर बस सेवा मार्ग सप्लाई डिपो से आईएसबीटी तक ओवरलेप होता है।

उक्त मार्ग पर मार्ग यूनियन के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैः–

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1	423	26.08.2014	श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र, 47/01 भंडारी बाग, देहरादून।
2	510	27.08.2014	श्री राकेश रागव पुत्र श्री चमन लाल, ग्रा0 कोल्हुपानी, नन्दा की चौकी, देहरादून।
3	583	27.08.2014	श्री महन्त विश्वनाथ योगी पुत्र श्री मथुरा नाथ योगी, 356 डाकरा बाजार, गढ़ी कैण्ट, देहरादून।
4	793	27.08.2014	श्री कमल कुमार पुत्र श्री गौरी शंकर जयसवाल, 136, सहारनपुर रोड, देहरादून।
5	1228	27.08.2014	श्री अनुप पुत्र श्री बहादुर सिंह, 50, गंगोल पंडितवाड़ी, राजपुर, देहरादून।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–21 **देहरादून– घंघोडा कैन्ट वाया हाथीबडकला मार्ग संचालित नगर बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।**

प्रधान गढ़ी कैन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2013 द्वारा सूचित किया है कि उनके मार्ग पर 20 बसें स्थाई सवारी परमिटों पर संचालित हो रही थी। मार्ग पर काम न होने के कारण कुछ बसों के परमिट कार्यालय में सरेन्डर कर

दिये गये हैं। उन्होने ने निवेदन किया है कि बसों के एक परमिट के जगह मार्ग के परमिट धारकों को दो टाटा मैजिक के परमिट जारी किये जायें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि देहरादून परेड ग्राउण्ड से हाथी बडकला होते हुये गढ़ी कैन्ट–घघोडा–जैतनवाला तक बस मार्ग है। इस मार्ग की दूरी 13 किमी0 है। इस मार्ग का विस्तार सप्लाई डिपो से अनारवाला, नयागॉव, जोहडी, सिनौला (3.0किमी0) तथा घंघोडा से विलासपुर, काडली (2 किमी0), घघोडा से जैन्तुनवाला (1.5 किमी0) तक किया गया है।

प्रधान गढी कैन्ट मोटर आपरेटर यूनियन, परेड ग्राउण्ड ने निवेदन किया है कि उनके मार्ग पर चल रही बसों के स्थान पर उनके मार्ग के परमिट धारकों को 7/8 सीटर, 4 पहिया, हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें तथा प्रति एक बस परमिट के स्थान पर दो हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें।

वर्तमान में इस मार्ग हेतु जारी 20 परमिटों के सापेक्ष 13 वाहनों का सचालन हो रहा है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–22 देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने तथा इन वाहनों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

देहरादून–रायपुर–मालदेवता–पीपीसीएल मार्ग पर वर्तमान में 14 स्थाई स्टैज कैरेज बस परमिट निर्गत हैं, परन्तु विविध कारणों से 08 परमिट धारकों ने काफी लम्बे समय से या तो वाहन प्रतिस्थापन के लिए समय ले लिया है या वाहनों के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित कर दिए हैं। फलतः 14 परमिटों के स्थान पर मात्र 03 वाहनें मार्ग पर संचालित हैं। कम संख्या में वाहनें संचालित होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, जिसके कारण स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोंगो तथा विभिन्न कार्यों हेतु शहर आने–जाने के लिए लोगों को परिवहन का साधन नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्र की

जनता ने कई बार वाहन समस्या को हल करने के लिए प्रत्यावेदन दिए थे। मा0 कृषि मंत्री एवं मा0 विधायक, राजपुर द्वारा भी समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए थे।

अध्यक्ष, महोदय के आदेश दिनांक 22–06–11 के अनुपालन में उपरोक्त मार्ग पर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं तथा इन वाहनों का संचालन देहरादून से मालदेवता–पीपीसीएल मार्ग पर हो रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान संगठन उत्तराखण्ड ने अपने पत्र दिनांक 19–07–11 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून से मालदेवता–पीपीसीएल मार्ग पर टाटा मैजिक चलाये जाने से लोगों को यातायात की सुविधा मिल रही है परन्तु गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण मालदेवता और पीपीसीएल से देहरादून की ओर आने वाली गाड़ियां मालदेवता में ही भर जाती हैं। ऐसी स्थिति में खैरी मानसिंह, रैनीवाला, अस्थल, वझेत एवं केशरवाला के लोंगो को इन गाड़ियों में स्थान न मिलने के कारण परिवहन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्राथमिकता के आधार पर केशरवाला, अस्थल, वझेत एवं रैनीवाला के लोंगो को और अधिक परमिट जारी कर समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि 08 बसों के मार्ग से हटे रहने के कारण मांग व आपूर्ति के अनुपात को सही करने के लिये लगभग 16 टाटा मैजिक सदृश वाहनों की आवश्यकता है। वर्तमान में मार्ग पर 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 20.08.11 के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून एवम् परिवहन कर अधिकारी–प्रथम देहरादून को उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के साथ करने के पश्चात समिति की आख्या प्रेषित करने हेतु कहा गया था कि, उक्त मार्ग पर कितनी सदृश्य हल्की वाहनों की और आवश्यकता पडेगी, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0–5586/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दिनांक 08–11–11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है, जो निम्नवत् है:–

1. **मार्ग पर पूर्व में 14 परमिट से आच्छादित बसें संचालित थीं, जिनके द्वारा स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दी जा रही थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर 05 परमिट से आच्छादित बसें व 11 अस्थाई परमिट से आच्छादित हल्की वाहनों का संचालन हो रहा है।**
2. **रायपुर–मालदेवता आदि क्षेत्र से काफी संख्या में प्रतिदिन लोग स्कूलों, कार्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों के लिए आवागमन करते हैं। चैकिंग कार्य एवं सर्वेक्षण के उपरांत यह देखने में आया है कि स्थानीय जनता को परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु वर्तमान में संचालित सेवायें पर्याप्त नहीं है।**
3. **स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर और अधिक परिवहन सेवायें बढ़ाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।**

अतः उक्त क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधायें दिये जाने हेतु देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर उपरोक्त संचालित सेवाओं के अतिरिक्त हल्के वाहनों के 05 और परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.11 के संकल्प सं0 15 द्वारा आदेश पारित किए थे कि देहरादून–रायपुर–मालदेवता–पी0पी0सी0एल0, रायपुर– तुनवाला–मियांवाला–बालावाला–शमशेरगढ़ मार्ग को नगर बस सेवा में परिवर्तित किया जाता है। मार्ग पर चल रही बसों का प्रतिस्थान 06 माह के अन्दर 166 इंच व्हीलबेस तक की नई बसों से किया जाएगा। ये बसें नगर बस के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। प्राधिकरण के इन आदेशों के अनुपालन में 02 परमिट धारकों द्वारा अपनी वाहनों को नगर बस के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नई वाहनों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

उपरोक्त मामले को विचार एंव आदेश हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 के मद सं0 21 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

"इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही टाटा मैजिक वाहनों की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मार्ग पर 6 बसें तथा 11 हल्की वाहनें (टाटा मैजिक) चल रही हैं। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है कि,

वर्तमान में मार्ग पर चल रही वाहनें स्थानीय जनता को परिवहन की पर्याप्त सेवायें देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने मार्ग पर 05 हल्की वाहनों के परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट छ तथा अनुपुरक सूची में दिये गये हैं। प्रार्थनापत्रों का अवलोकन करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि, अधिकतर वाहन स्वामियों द्वारा प्रार्थनापत्र ठेका गाडी के लिये निर्धारित प्रपत्र में दिये गये हैं। जबकि स्टैज कैरेज परमिट हेतु निर्धारित प्रपत्र एस0आर0 20 पर आवेदन करना अपेक्षित था। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ना होने वाले सभी आवेदनपत्रों को निरस्त करते हुऐ इस मार्ग पर विचार करना अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है। ”

देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनो के स्थाई परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–च** में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–23 **सॉई मन्दिर–कैनाल रोड़–किशनपुर–साकेत कॉलोनी–ग्रेटवैल्यू होटल–सचिवालय–ईसी रोड़–आराघर–रिस्पना–केदापुरम–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को स्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

सॉई मन्दिर– कैनाल रोड़– किशनपुर– साकेत कालोनी –ग्रेट वैल्यू होटल– सचिवालय– ई0सी0 रोड़– आराघर– रिस्पना– केदारपुरम–दून विश्वविधालय– मोथरोवाला–18 किमी0 मार्ग का सर्वेक्षण सहा0 संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0 297/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/09 दिनांक 09.11.09 के द्वारा सर्वेक्षण की आख्या प्रेषित की थी तथा मार्ग पर हल्की जीप/टैक्सी प्रकार के वाहनों के संचालन की संस्तुति की थी।

उक्त मामले पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0 6(अ)(अनु) में विचारोरान्त आदेश पारित किये गये थे कि मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा– 68(3)(ग–क)में दिये गये प्राविधानों के

अनुसार मार्ग को हल्के वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में मार्ग निर्मित करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा सूचित किया था कि मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा– 68(3)(ग–क)में ठेका गाड़ी के लिये अन्य निर्धारण करने का कोई प्राविधान नहीं है। इस मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक 26.06.10 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं0–12 में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि धारा 74(2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता गया है तथा इस मार्ग पर 10 परमिटों की संख्या निर्धारित की जाती है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.06.2010, जिसके द्वारा उपरोक्त मार्ग वर्गीकृत किया गया था के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2290 एंव 2576/एमएस/2011 दायर की थी। मा0 उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को स्वीकृत करते हुये अपने दिनांक 14.12.12 द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेश को निरस्त कर दिया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित इन आदेशों के विरूद्ध स्पेशल अपील सं0 21/13 दायर की गई थी। इस अपील में अपने आदेश दिनांक 05.03.2013 द्वारा दिनांक 14.12.12 के आदेश को स्थगित कर दिया था। तथा याचिकाओं को पुनः सुनवाई हेतु एकल पीठ को प्रेषित किया गया था। इन याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2014 को पुनः आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मुख्य अशं निम्नवत हैंः–

" This Wirt petition is being disposed of with the direction to the Regional Transport Offiecr to comply with the condition of Rule 70 of U.P. Motor Vehicles Rules, 1998 while granting contract carriage permit and not to allow such person in a manner that such vehicles are run like a stage carriage".

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि श्री गणेश जोशी, मा0 विधायक मसूरी विधान सभा द्वारा उपरोक्त मार्ग पर टॉटा मैजिक संचालित करने के सम्बन्ध में विधान सभा में प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर प्रेषित किया गया है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने उक्त मार्ग को हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस मार्ग पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–छ** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–24 **अनारवाला–नयागॉव–हाथीबड़कलॉ–परेड़ग्राउण्ड़–ईसी रोड़–आईएसबीटी मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को स्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में।**

अनारवाला–नयागांव–हाथीबड़कला– परेडग्राउण्ड– ई0सी0 रोड़–आईएसबीटी–17 किमी0 लम्बे मार्ग का सर्वेक्षण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने किया था। उन्होंने अपने पत्र सं0 2202/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/09 दिनांक 21.10.09 के द्वारा सर्वेक्षण की आख्या प्रेषित की थी तथा मार्ग पर टैक्सी कैब सदृश्य हल्के वाहनों के संचालन की संस्तुति की थी।

इस मामले पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0 17 में विचारोरान्त आदेश पारित किये गये थे कि मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा– 68(3)(ग–क)में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग को भी हल्के वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में मार्ग निर्मित करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था। उत्तराखण्ड़ द्वारा सूचित किया था कि मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा– 68(3)(ग–क)में ठेका गाड़ी के लिये मार्ग निर्धारण करने का कोई प्राविधान नहीं है। इस मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक 26.06.10 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं0–12 में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि धारा 74(2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग को हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु **'क'** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता गया है तथा इस मार्ग पर 10 परमिटों की संख्या निर्धारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पुरकुल गॉव–मोथरोवाला वाया अनार वाला–सप्लाई डिपो–सर्किट हाउस–हाथीबड़कला–परेडग्राउण्ड़ मार्ग पर 12 नगर बसे संचालित हो रही है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई ठेका गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–'ज'** में दिये गये हैं। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–25 **प्रेमनगर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक होते हुये परवल–शिमला बाईपास तथा प्रेमनगर से महेन्द्र चौक होते हुये शुक्लापुर–आरकेडिया टी स्टैट–मिठठीबेरी मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्रधान, ग्राम पंचायत, आरकेडिया ग्रान्ट तथा ग्राम परवल, ठाकुरपुर, श्यामपुर, देवीपुर, उमेदपुर के निवासियों का एक प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि, प्रेमनगर से उनके गांव आने–जाने के लिये सिटी बसों का कोई समय निर्धारित नहीं है, जिस कारण विधार्थियों व बीमार व्यक्तियों को अनावश्यक रुप से बसों का इन्तजार करना पडता है। सिटी बसों में जब तक सवारियां पूरी नहीं हो पाती हैं, तब तक वे गंतव्य स्थान को नहीं जाती हैं, जिसके कारण भी ग्रामवासियों को असुविधा का सामना करना पडता है। उन्होंने अनुरोध किया था कि, सिटी बसों की स्थिति को देखते हुऐ उनके क्षेत्र के लिये विक्रम अथवा टाटा मैजिक वाहनों की सेवा प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0–मैमो/आरटीए/मार्ग सर्वेक्षण/दस–152/11 दि0 13.12.11 के सन्दर्भ में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् अपने पत्र सं0–6012/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2011 दि0 20.12.11 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की गई थीः–

- प्रेमनगर से ठाकुरपुर–श्यामपुर–महेन्द्र चौक से परवल होते हुऐ शिमला बाईपास तक वर्तमान में परेडग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग की बसें संचालित हैं। मार्ग पर संचालित बसों सेवाओं का समयान्तराल अधिक है, जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पडता है। बसों के अतिरिक्त मार्ग पर कुछ विक्रम वाहनें भी संचालित हैं, किन्तु स्थानीय जनता के लिये यह सेवायें पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आरकेडिया ग्रान्ट व मीठी बेरी क्षेत्र की जनता द्वारा भी परिवहन सुविधा की मांग की जा रही है। इस क्षेत्र में भी जनता के लिये कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- प्रेमनगर से ठाकुरपुर, श्यामपुर, महेन्द्र चौक से उमेदपुर, देवीपुर, परवल होते हुऐ शिमला बाईपास तक मार्ग की दूरी कुल 10 किमी0 के लगभग है। इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 8000–9000 के लगभग है। क्षेत्रीय जनता, छात्रों व नौकरी पेशा लोगों को पर्याप्त परिवहन सुविधा न होने के कारण पैदल ही प्रेमनगर आदि स्थानों के लिये आना पडता है।

- अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से ठाकुरपुर–महेन्द्रचौक होते हुये परवल से शिमला बाई पास तक व प्रेमनगर से महेन्द्र चौक होते हुये शुक्लापुर–आरकेडिया ग्रान्ट–टी स्टेट–मीठीबेरी मार्ग बनाते हुए उक्त मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों के 10 परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने परिचालन पद्धति से पारित आदेश दिनांक 28.03.2012 द्वारा उपरोक्त मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया है तथा इस मार्ग पर 04 हल्के वाहनों को ठेका गाडी के अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–झ** में दिये गये हैं।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0 5052/प्रवर्तन/ मार्ग सर्वेक्षण/2013 दिनांक 03.06.13 द्वारा मार्ग का पुनः सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है कि स्थानीय जनता को सुलभ एंव पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व निर्धारित मार्गों में परिवर्तन करते हुये निम्न प्रकार 03 मार्गों का निर्धारण किया जाना उचित होगा तथा इन मार्गो पर कम से कम 05 सेवायें संचालित होनी चाहिये।

1. प्रेमनगर– श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक– उमेदपुर– देवीपुर– परवल– सिंहनीवाला– शिमला बाईपास वापस परवल महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर। उक्त मार्ग पक्का है। दूरी लगभग– 10 किमी0 है।
2. प्रेमनगर– श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक– गुसॉई चौक– अम्बीवाला– शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये वापस प्रेमनगर। मार्ग पक्का है एंव दूरी लगभग 10 किमी0 है।
3. प्रेमनगर– आरकेडिया टी स्टैट– मिठ्ठी बेरी– बनियावाला– गोरखपुर– शिमला बाईपास– आईएसबीटी वापस बडोवाला– आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर। मार्ग पक्का है एंव दूरी लगभग 10 किमी0।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त सर्वेक्षण आख्या पर विचारोपरान्त नया मार्ग वर्गीकृत करने/ वर्गीकृत मार्ग में संशोधन करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–26 हरबजवाला–मेहॅवाला–चौयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–गौतम कुण्ड–आईएबीटी–हरिद्वार बाईपास पुलिस चौकी–सरस्वती विहार–माता मन्दिर मार्ग–धर्मपुर–आराघर–परेड़ ग्राउण्ड़ मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट देने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 के संकल्प सं0 5 में आईएसबीटी से सेवला कला–गौतम कुण्ड़ होते हुये आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से हरबजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–आईएसबीटी मार्ग पर 20 परमिट 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत किये गये थे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 के संकल्प सं0 29 में इस मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी–सरस्वती विहार–माता मन्दिर मार्ग–धर्मपुर–आराघर होते हुये परेड़ ग्राउण्ड़ तक किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 में स्वीकृत परमिटों में से 17 प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त कर लिये थे तथा 03 प्रार्थियों के द्वारा स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किये गये थे।

उपरोक्त मार्ग का विस्तार परेड़ ग्राउण्ड तक हो जाने के पश्चात 04 प्रार्थियों को अस्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी किये गये हैं। इस मार्ग पर स्थाई परमिटों हेतु प्रार्थना पत्रों के विवरण विवरण **परिशिष्ट–ट** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–27 प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों का संचालन करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

देहरादून संभाग के अन्तर्गत प्रेमनगर–चौकी धौलास एक नगर बस मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई 17 किमी0 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.2006 में इस मार्ग पर 04 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। मार्ग पर 02 वाहनों का संचालन हो रहा था। लेकिन वर्तमान में दोनों वाहन स्वामियों के परमिट कार्यालय में समर्पित हैं, जिससे उक्त मार्ग पर किसी भी नगर बस सेवा का संचालन नहीं हो रहा है।

माननीय विधायक, सहसपुर को सम्बोधित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भाजपा, सहसपुर मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 04.08.2012 के द्वारा देहरादून से चौकी धौलास तक नगर बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु निवेदन किया है एंव ग्राम प्रधान, धौलास, पो0ओ0–घंघोड़ा

कैन्ट, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 21.08.2012 के द्वारा सूचित किया है कि प्रेमनगर से चौकी धौलास मार्ग पर नगर बस का संचालन हो रहा था, जो काफी समय से बन्द है। उन्होंने उक्त मार्ग पर छोटे वाहनों को परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रेमनगर से नन्दा की चौकी–पौन्धा–डुंगा विधौली–भाऊवाला, प्रेमनगर–सहसपुर–कोटड़ा, प्रेमनगर–सेलाकुई–भाऊवाला, सहसपुर–शंकरपुर–कैंचीवाला–रामसावाला–भाऊवाला मार्गों पर जीप/ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु 51 परमिट जारी किये गये हैं तथा मार्ग पर वाहनों का संचालन हो रहा है। प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मार्ग पर बडी बसों के स्थान पर हल्की चार पहिया वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार किया जाना है। क्योंकि इस मार्ग पर बड़ी बसों का संचालन नहीं हो रहा है। संभवतः प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर (छोटा मार्ग) बड़ी बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण बसें मार्ग पर संचालित नहीं हो रही है। क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्ग पर 04 अस्थाई सवारी गाडी परमिट 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों को जारी किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर हल्की वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–ठ** में दिया गया है।

मद सं0–28 सैन्य कॉलोनी–कालीदास–रोड से कारगी चौक आई0एस0बी0टी0 मार्ग का विस्तार आर्दश विहार, पथरी बाग, इन्द्रेश अस्पताल होते हुये घंटाघर करने तथा मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री एल. पी. थपलियाल, अध्यक्ष, आर्दश विहार, आवासीय कल्याण समिति, 61 कारगी रोड़, देहरादून ने मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 01.06.2012 द्वारा सूचित किया था कि क्षेत्र वासियों को इन्द्रेश अस्पताल के लिए यातायात सुविधा नहीं होने के कारण या तो पैदल जाना पड़ता है अथवा वाहन आरक्षित कर आना–जाना पड़ता है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कारगी चौक से कालीदास मार्ग पर संचालित किये जा रहे टाटा मैजिक क्षेत्र की यातायात सुविधा की मॉग के अनुसार ना–काफी साबित हो रही है। इस 07 सीटर वाहन में 17–17 सवारियॉ चालकों द्वारा भरी जा रही हैं। कई बार वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं के साथ चालकों के द्वारा अभद्र व्यवाहर भी किया जाता है। उन्होंने निवेदन किया है कि इस मार्ग पर चलने

वाली कुछ वाहनों को इन्द्रेश अस्पताल होते हुए घंटाघर तक संचालित कराया जाए तथा मार्ग पर वाहनों की संख्या दोगुनी कर दी जाए।

इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को सैन्य कालोनी–कालीदास रोड़ से कारगी चौक–आईएसबीटी मार्ग पर चल रही वाहनों को इन्द्रेश अस्पताल होते हुए घन्टाघर तक चलाने के सम्बन्ध में मार्ग का सर्वेक्षण कर मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या/मन्तब्य प्रेषित करने हेतु लिखा गया था।

उन्होंने अपने पत्र सं0 मेमो/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2012 दिनांक 03.09.2012 के द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर निम्न आख्या प्रेषित की हैः–

1. मार्ग पर दून विश्वविधालय तक वाहनें न संचालित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सर्वेक्षण के दौरान मार्ग पर वाहनें दून विश्वविधालय तक संचालित पायी गई। स्थानीय लोगों से भी जानकारी प्राप्त करने पर यह संज्ञान में आया है कि उक्त वाहनें निर्धारित मार्ग पर दून विश्वविधालय तक संचालित हो रही है।

2. उक्त मार्ग का विस्तार इन्द्रेश हॉस्पिटल होते हुये सहारनपुर चौक मुख्य मार्ग से घंटाघर तक करना निम्ननिखित कारणों से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता हैः–

   (क) उक्त मार्ग से इन्द्रेश हॉस्पिटल की दूरी बहुत कम है।
   (ख) मार्ग का विस्तार करने से मार्ग पर संचालित अन्य वाहनों (राजपुर–क्लेमेन्टाउन, एमडीडीए–डॉट मन्दिर, प्रेमनगर–गुलरघाटी की नगर बसें तथा मार्ग सं0–5, 10, 8 के विक्रम वाहनों) से पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने से दुर्घटना की संभावना रहेगी।
   (ग) मार्ग का विस्तार होने से वाहन स्वामियों/चालकों द्वारा मुख्य मार्ग पर ही वाहनों के संचालन की प्रबल संभावना है, जिससे भण्ड़ारी बाग, लक्खी बाग, विद्या विहार क्षेत्र की जनता को आवगमन में परेशानी होगी।

3. मार्ग पर संचालित वाहनों में ओवरलोड़िग की शिकायत के सम्बन्ध में पूर्व में भी दिनांक 03.07.2012 को मार्ग का सर्वेक्षण/चैकिंग की गई थी। मार्ग पर सर्वेक्षण/चैकिंग के दौरान यह पाया गया कि स्कूल एंव कार्यालयों के खुलने एंव बन्द

होते समय (पिक ऑवर) मार्ग पर कभी–कभी वाहनों में ओवरलोड़िग होती है जोकि लगभग नगण्य है तथापि क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही मॉग एंव ओवरलोड़िग बिल्कुल न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये मार्ग पर 10 परमिट बढाये जाने की संस्तुति की है।

सैन्य कालोनी–कालीदास रोड़ से कारगी चौक–आईएसबीटी मार्ग पर वर्तमान में 26 स्थाई ठेका गाड़ी परमिट 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों जारी किये गये हैं। 02 अस्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी हैं जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति के आरक्षित श्रेणी के प्रार्थी को जारी किया गया है। इस मार्ग पर स्थाई ठेका गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–ड** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–29 **परेड ग्राउण्ड–सचिवालय चौक–दिलाराम बाजार–ग्रेटवैल्यू होटल–पुलिस कॉलोनी–आईटी पार्क–सहस्त्रधारा मसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग को 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की ठेका वाहनों के संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

श्रीमती कुमकुम उनियाल, राजपुर रोड़, इनक्लेव सोसायटी, धौरण खास, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 28.03.2012 द्वारा परेड ग्राउण्ड़ से आईटी पार्क–धौरण गॉव–कैनाल रोड़ मार्ग पर हल्की वाहनें/नगर बस सेवा चलाने हेतु निवेदन किया था। इस सम्बन्ध कार्यालय के पत्र सं0 1132/आरटीए/दस–152/2012 दिनांक 16.04.2012 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या/मन्तब्य प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0 1309/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2012 दिनांक 15.06.2012 द्वारा सूचित किया है कि परेड ग्राउण्ड़–कनक चौक–ईसी रोड़–नैनीज बैकरी–सचिवालय–दिलाराम–ग्रेटवैल्यू होटल–पुलिस कॉलोनी–राजपुर इनक्लेव–आईटी पार्क–मसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग का सर्वेक्षण दिनांक 15.06.2012 को किया गया। उन्होंने सर्वेक्षण आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की हैः–

1. मार्ग की कुल दूरी 11.6 किमी0 है। मार्ग पूरा पक्का है।
2. मार्ग पर आर्यनगर, कण्डौली, पुलिस कॉलोनी, किशनपुर, राजपुर इन्क्लेव, आटी पार्क आदि घनी आबादी क्षेत्र हैं, जिनमें राजपुर रोड़ होते हुये कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3. अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेड ग्राउण्ड़ से सचिवालय चौक –दिलाराम बाजार–गेटवैल्यू होटल होते हुये पुलिस कॉलोनी–आटी पार्क–सहस्त्रधारा मसूरी बाईपास–नागल हटनाला तक मार्ग सृजित करते हुये सार्वजनिक परिवहन सुविधा दिया जाना उचित होगा।
4. स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर 08 हल्की स्टेज कैरिज (टाटा मैजिक सदृश) वाहनों को परमिट दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–30 (अ) <u>टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश।</u>

टाटा मोटर्स लि0, पिम्परी, पुणे द्वारा एक यात्री वाहन (टाटा मैजिक आयरिश) निर्मित की है। परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–4209 / प्राविधिक / पंजीयन – अनुमोदन/2011 दि0 19.12.11 द्वारा वाहन को राज्य के मैदानी मार्गों में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार यात्री वाहन के रुप में पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। यह वाहन **डीजल चालित** है तथा वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–2(25) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिसके अन्तर्गत चालक नहीं है, वहन करने के लिये निर्मित या अनुकुलित वाहन मोटर टैक्सी की श्रेणी में आता है।

उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 166 में ऑटो रिक्शा के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि ऑटो रिक्शा का ढ़ाचा स्टेसन वैगन या वाक्स के प्रकार का होगा। वाहन की चौड़ाई 1.42 मीटर से अधिक और 1.36 मीटर से कम नहीं होगी। वाहन का सड़क निर्बाधन (रोड़ क्लीयरेन्स) 20.5 से0मी0 से अधिक व 10.2 सेमी से कम नहीं होगी। वाहन में एकल सीट की व्यवस्था होगी, जिसकी लम्बाई 1.5मी0 से अधिक और 91.5 सेमी से कम नहीं होगी।

वर्तमान में चालक सहित 3 तथा 4 सीटर वाहनों को आटोरिक्शा(मोटर कैब) परमिट विभिन्न केन्द्रों से जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त वाहन चालक सहित 05 सवारियों को ढोने हेतु निर्मित की गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस वाहन को आटोरिक्शा वाहन के रुप में पंजीकृत करने तथा आटोरिक्शा का परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण ने उक्त मामले पर अपनी दिनांक 04.12.13 में विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये हैंः–

"टॉटा आयरिश वाहनों को स्थाई परमिट जारी करने अथवा ऑटो रिक्शा परमिटों में प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में विचार करना स्थगित किया जाता है। वर्तमान में जो टाटा आयरिश वाहनें अस्थाई परमिट पर संचालित हो रही है। उनको मामले के निस्तारण होने तक पुनः अस्थाई परमिट जारी किये जायें।"

वर्तमान में उक्त प्रकार की 16 वाहनें कार्यालय में पंजीकृत हैं जिनमें से 13 वाहनों को अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं। इस प्रकार की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–ढ** में दिये गया है।

अतः प्राधिकरण उक्त वाहनों को पंजीकृत करने व ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने/प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

(ब) 4+1 व 5+1 सीटर ऑटो रिक्शा के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1174/एसटीए/दस–27/2014 दिनांक 11.04.2014 द्वारा श्री आदेश चौहान, मा0 विधायक बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार का मा0 परिवहन मंत्रीजी, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित पत्र दिनांक 18.03.2014 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस पत्र में मा0 विधायकजी ने रूड़की एंव हरिद्वार में ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की अपेक्षा की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद उत्तराखण्ड राज्य मे अनेको उद्योग स्थापित होने तथा जनपद की जनसंख्या तेजी से वृद्धि होने के कारण नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये हरिद्वार जनपद में 4+1 व 5+1 सीटर ऑटो रिक्शा के परमिट स्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप बतरा, मा0 विधायक, रूडकी, पर्यटन सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार का मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 28.08.2014 प्राप्त हुआ है। मा0 विधायकजी ने अवगत कराया है कि रूडकी लक्सर क्षेत्र में ऑटो का संचालन नहीं होता तथा इन क्षेत्रों का ओद्योगिक आने से काफी विस्तार हुआ है। इसी प्रकार हरिद्वार व ऋषिकेश क्षेत्र में पर्यटक काफी संख्या में आते है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये इस क्षेत्र में परमिट जारी करवाने की कृपा करें।

यह भी अवगत करना है कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–2(25) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिसके अन्तर्गत चालक नहीं है, वहन करने के लिये निर्मित या अनुकुलित वाहन मोटर टैक्सी की श्रेणी में आता है। वर्तमान में चालक सहित 3 तथा 4 सीटर वाहनों को ऑटो रिक्शा (मोटर कैब) परमिट विभिन्न केन्द्रो से जारी किये गये हैं परन्तु उक्त वाहनें 4 एंव 5 सवारियों को ढोने हेतु निर्मित की गई हैं।

हरिद्वार केन्द्र से 4/5 सवारियों को ढोने के लिये ऑटो रिक्शा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण **परिशिष्ट–त** में दिये गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि हरिद्वार जनपद के हरिद्वार तथा रूड़की केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी किये गये हैं, वर्तमान में हरिद्वार केन्द्र से 1835 ऑटो रिक्शा एंव रूडकी केन्द्र से 57 ऑटो रिक्शा परमिट चालक सहित 3 एंव 4 सीटर वाहनों को जारी हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–31 प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेशः–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1996 में पंण्डितवाडी से गूलरघाटी बस सेवा मार्ग वर्गीकृत किया गया था, उसके पश्चात मार्ग का विस्तार पण्डितवाडी से प्रेमनगर तक किया गया । प्रेमनगर से गूलरघाटी तक मार्ग की लम्बाई 24 किमी0 है। प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से डूगा –9 किमी0, प्रेमनगर से भाऊवाला–11 किमी0, हर्रावाला से कुंआवाला–1.5 किमी0 मोहकमपुर–माजरी माफी– नवादा– 2.5 किमी0, बालावाला से तुनवाला–3.00 किमी0, गूलरघाटी से नथुवावाला मोड– बालावाला क्रासिंग–5 किमी0, हर्रावाला से नकरौंदा–4.00 किमी0 किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.05.06 / 08.10.10 की बैठक में इस मार्ग पर 22 परमिटों की संख्या निर्धारित की गयी थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 मे स्वीकृत किये गये 04 परमिटों में से 02 प्रार्थियों के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमिट पर संचालित है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–थ** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–32 एमडीडीए–डालनवाला–डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेशः–

एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग की लम्बाई 16 किमी0 है। प्रांधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में इस मार्ग पर 14 परमिटों की संख्या निर्धारित करते हुये 03 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये थे। जिसमें से एक प्रार्थी के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमिट पर संचालित है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–द** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–33 **विकासनगर– लांघा बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेशः–**

विकासनगर– लांघा मार्ग की लम्बाई 18 किमी0 है। इस मार्ग पर 08 परमिट स्वीकृत हैं। वर्तमान में मार्ग पर केवल 04 वाहनें संचालित हो रही है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2006 में मद सं0 10(5) में इस मार्ग पर 04 परमिट स्वीकृत किये थे। जिसमें से एक परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में मार्ग पर 04 वाहनों का संचालन स्थाई परमिटों पर तथा 01 वाहन का संचालन अस्थाई परमिट पर हो रहा है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–ध** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0:–34 **तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेशः–**

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला– बिहारीगढ वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी0 भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। मार्ग के अध्यक्ष श्री पवन कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को परमिटों से हटाने का निवेदन किया था। उनके प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण ने दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं0 2 द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि उक्त मार्ग के परमिटों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया जाये। उत्तर प्रदेश में पडने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप अब मार्ग की लम्बाई अब 43.5 किमी0 रह गई है। वर्तमान में मार्ग पर 7 वाहनों का संचालन स्थाई परमिटों पर तथा 02 वाहन का संचालन अस्थाई परमिट पर हो रहा है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–न** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–35 पर्वतीय क्षेत्र में नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी/ उत्तरकाशी ने अपने–अपने पत्रों के द्वारा मार्ग सूची सं0–1 (ऋषिकेश केन्द्र) एंव मार्ग सूची सं0–4 (उत्तरकाशी केन्द्र) के परमिटों पर निम्नलिखित मार्गों को पृष्ठांकित करने हेतु संस्तुति की हैः–

1. **जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्गः–**

(क) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी ने अपने पत्र सं0 393/प्रवर्ततन/ मार्ग सर्वे/2013–14 दिनांक 11.12.2013 के द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा निम्नलिखित मार्गों दिनांक 27.09.2013 को श्री सुर्दशन सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि देवप्रयाग के साथ वाहन सं0 यूए 07एच– 5300 के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। मार्ग डामरीकृत नहीं है। जनहित में डामरीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। अतः उक्त मोटरमार्ग को वाहनों के यातायात संचालन विषयक संस्तुति की जाती हैः–

1. **पौड़ीखाल– मासों सिमलासू मोटर मार्ग (1.5किमी0)– हल्के एंव भारी वाहन हेतु।**
2. **चाका–पिछवाडा मोटर मार्ग (4 किमी0)– हल्की मोटर वाहनों हेतु।**
3. **पौडीखाल–कोटी–चामीन मोटर मार्ग (2 किमी0)– हल्के एंव भारी वाहनों हेतु**
4. **सिंगोली– चौण्ड़ी मोटर मार्ग (5 किमी0)– हल्की मोटर वाहनों हेतु।**
5. **पौड़ीखाल– पातावाला गॉव (6 किमी0)– हल्के एंव भारी वाहन हेतु।**

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी ने अपने पत्र सं0 288/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 13.08.2014 के द्वारा सूचित किया है कि निम्नलिखित मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण मेरे द्वारा श्री एस0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सि0खा0–2, नई टिहरी के साथ दिनांक 31.05.2014 को विभागीय वाहन सं0 यूए 07एच– 5300 से किया गया है यह मार्ग कच्चा है तथा यातायात संचालन की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। अतः उक्त मोटर मार्ग पर यातायात संचालन विषयक संस्तुति की जाती है।

1. **खैराट– भुटगॉव– सतवाडी मोटर मार्ग (8.18 किमी0)**

(ग) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी ने अपने पत्र सं0 301/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 21.08.2014 के द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 के अभियन्ताओं के साथ निम्नलिखित मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण किया तथा मार्गों को यातायात संचालन की दृष्टि से उपयुक्त पाया है।

1. **पातनीयदेवी से गेंवली मोटर मार्ग (3 किमी0)।**
2. **पातनीयदेवी से सैंणधाल्डी मोटर मार्ग (2 किमी0)।**

(घ) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी ने अपने पत्र सं0 302/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 21.08.2014 के द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 के अभियन्ताओं के साथ निम्नलिखित मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण किया तथा मार्गों को यातायात संचालन की दृष्टि से उपयुक्त पाया है।

1. **लामरीधार स्टेडियम तक मोटर मार्ग (1.5 किमी0)।**
2. **टिपरी रौडधार मोटर मार्ग के किमी0 16 से पेटव तक मोटर मार्ग (0.750 किमी0)।**
3. **जाखणीधार नवाकोट मोटर मार्ग से कोटधाल्डा मोटर मार्ग (0.425 किमी0)।**

(च) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी ने अपने पत्र सं0 303/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 21.08.2014 के द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 के अभियन्ताओं के साथ निम्नलिखित मार्गों का संयुक्त सर्वेक्षण किया तथा मार्गों को यातायात संचालन की दृष्टि से उपयुक्त पाया है।

1. **जीरो ब्रिज से सैण पिपोला मोटर मार्ग (10.250 किमी0)।**
2. **छड़ानामे तोक से कुम्हारधार मोटर मार्ग (2.0 किमी0)।**
3. **पजियारा से कपरियासैण मोटर मार्ग (4.50 किमी0)।**
4. **पाली–सुनाली मोटर मार्ग (1.7 किमी0)।**
5. **अंजनीसैण पुनाणू कपरियासैण मोटर मार्ग (7.50 किमी0)।**

2. <u>जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग</u>:–

(क) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं0 408/प्रशासन–यातायात परमिट/13 दिनांक 13.12.13 के द्वारा सूचित किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत **एक्टेंशन राजगढ़ी– सरनौला से गंगटाडी– सरनौला मोटर मार्ग (15.77 किमी0)** का दिनांक 05.12.13 को श्री कैलाश चन्द त्यागी, सहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड़, लो0नि0वि, उत्तरकाशी, श्री देव मूर्ति यादव, उपजिलाधिकारी, बडकोट, उत्तरकाशी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त उक्त मार्ग पर पूर्व में लगाई गई आपत्तियों के सुधार करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को इस कार्यालय के पत्र सं0 404/प्रशासन–यातायात–परमिट/2013 दिनांक 05.12.13 के द्वारा तद्नुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने, इंगित कमियों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में सम्बन्धित द्वारा अपने पत्र सं0 2137/यातायात दिनांक 12.12.13 के द्वारा अवगत कराते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः जनहित में उक्त मार्ग पर समस्त वाहनों के संचालन की अनुमति दी जाती है।

(ख) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं0 539/प्रशासन–यातायात–परमिट/13 दिनांक 25.03.14 के द्वारा सूचित किया है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 06.03.2014 को श्री आई0ए0खान सहायक अभियन्ता लो0नि0वि, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी एंव श्री ए0एस0राणा, तहसीलदार, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के साथ निम्नलिखित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त मार्ग से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत हैः–

धरासू पुल से 4.5 किमी0 सर्जसाफट रोड है। यहॉ से **अदनी–रौंतल मार्ग की लम्बाई 8 किमी0** है। मार्ग पर कहीं कहीं पैराफीट लगाने की आवश्यकता है। मार्ग पूरी तरह कच्चा है। वाहन आवागमन हेतु मार्ग उपयुक्त पाया गया। मार्ग पर एक–दो जगह मलवा है। जिसे हटाने हेतु मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता को अवगत करा दिया गया है। उक्त के द्वारा एक सप्ताह में आपत्तियों के निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया है। मार्ग से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के आठ बिन्दुओं की सूचना संलग्न है। अतः उक्त मार्ग पर वाहनों के आवागमन की कतिपय आपत्तियों के साथ संचालन की संस्तुति की जाती है।

धरासू पुल से दिखोली– अदनी–रौंतल मोटर मार्ग।

(ग) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं0 538/प्रशासन–याता–परमिट/13 दिनांक 25.03.14 के द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 06.03.2014 को श्री आई0ए0खान, सहायक अभियन्ता लो0नि0वि, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी एंव श्री ए0एस0राणा, तहसीलदार, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी के साथ निम्नलिखित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस मार्ग का पूर्व में दिनांक 19.11.13 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। जिसमें कुछ आपत्तियॉ पायी गई थी। जिसका वर्तमान में काफी हद तक निराकरण किया गया है। उनके द्वारा इस मार्ग पर पायी गई आपत्तियों के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता को अवगत करा दिया गया है। उक्त के द्वारा एक सप्ताह में आपत्तियों के निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया है। अतः उक्त मार्ग पर वाहनों के आवागमन की कतिपय आपत्तियों के साथ संचालन की संस्तुति की जाती है।

मद सं0–36 <u>विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनों के संचालन के लिये मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 126/2014 दायर की थीं। इस याचिका में यह कहा गया था कि उनके द्वारा वर्ष 2011 में एक प्रतिवेदन दिया गया था। जिसमें यह निवेदन किया गया था कि उनकी समिति के सदस्यों को जारी ठेका गाड़ी परमिट स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तन कर दिये जायें, परन्तु इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध को निर्णय नहीं लिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निस्तारण दिनांक 16.01.2014 को किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" Having heard learned Council for the petitioner, I disposed of the writ petition with direction to the competent authority to take necessary action on the representation of the petitioner expeditiously, preferably with in a period three months from the date of production of certified copy of the order."

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रम जन कल्याण समिति ने दिनांक 07.03.2014 को प्रस्तुत की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विक्रम जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दिनांक 09.06.2011 को दिये गये का निस्तारण परिचालन पद्वति से पारित आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा कर दिया गया है तथा इसकी सूचना विक्रम जन कल्याण समिति को कार्यालय के पत्र सं0 8738/आरटीए/दस–71/14 दिनांक 04.07.2014 द्वारा दे दी गई है।

विक्रम जन कल्याण समिति के आवदेन पर विक्रम वाहनों हेतु स्टैज कैरिज के मार्गों के निर्धारण हेतु एक सर्वे कमेटी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस कमेठी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून एंव श्री ज्योति शकंर मिश्रा, परिवहन कर अधिकारी–द्वितीय को सदस्य नामित किया गया था।

विक्रम टैम्पो वाहनों के संचालन हेतु मार्ग निर्धारण करने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा विभिन्न मार्गो का सर्वेक्षण कर पत्र सं0 1070/प्रशासन/मार्ग सर्वे–2014 दिनांक 12.08.2014 द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की है। जो निम्नवत हैः–

1. राज्य गठन के पश्चात देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी बनाये जाने से देहरादून शहर की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देहरादून शहर के नगरीय क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में नयी–नयी कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए नये–नये मार्गों का निर्माण हुआ है।

2. बढ़ती हुयी जनसंख्या व कॉलोनियों के विकास के अनुपात में देहरादून में सार्वजनिक परिवहन सुविधा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, जिससे प्राईवेट वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुयी है। वर्तमान में देहरादून में सार्वजनिक परिवहन की निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :–

   1. नगर बस सेवा।
   2. विक्रम वाहनें।
   3. ऑटोरिक्शा वाहनें।
   4. लम्बी दूरी की स्टेज कैरिज वाहनें।
   5. मैक्सी कैब वाहनें।

3. देहरादून शहर में विक्रम वाहनें वर्ष 1981 से संचालित हो रहे हैं एवं नगर बस सेवा वर्ष 1997–98 में प्रारंभ हुयी है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में मुख्यतः नगर बसों एवं विक्रम वाहनों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विक्रम वाहनों के द्वारा काफी संख्या में जनता को परिवहन सेवा का लाभ दिया जा रहा है। विक्रम वाहनें ठेका वाहन परमिट से आच्छादित हैं जबकि इनका संचालन स्टेज कैरिज की भांति किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। देहरादून नगरीय क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में '' यूडैक'' कम्पनी द्वारा दी गयी आख्या में भी इसका उल्लेख किया गया है एवं मार्ग चैकिंग के दौरान भी कई वाहनों का संचालन स्टेज कैरिज की भांति पाया गया है। इसके दृष्टिगत नगर बस के अतिरिक्त जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रम या मैक्सी कैब वाहनों के संचालन की भी आवश्यकता है।

4. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर बस सेवा मॉडल कार्ययोजना–1993 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तीन पहिया टैम्पो/टैक्सी को समाप्त करने का योजना का कोई उददेश्य नहीं है। इनके लिए भी एक ऐसी योजना बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इनके मार्ग निश्चित किये जा सके तथा क्षेत्रों का निर्धारण भी हो सके एवं उन क्षेत्रों में जहा नगर बस सेवा नहीं पहुच पाती है अथवा यातायात की पर्याप्त सेवा नहीं है, उन क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। नगर बस सेवा प्रारंभ किये जाने पर विक्रम वाहनों के मार्ग विस्थापन/प्रतिस्थापन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया है। उक्त व्यवस्था न किये जाने से वर्तमान में विक्रम वाहनों का संचालन स्टेज कैरिज के रूप में किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही हैं। इससे अन्य वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण वाद/विवाद की स्थिति बनी रहती है।

ठेका वाहनें होने के कारण इनका संचालन परमिट की परिधि में किसी भी दिशा में किया जा सकता है। इनका किसी क्षेत्र या मार्गों पर संचालन सीमित नहीं किया जा सकता है। इससे जाम की समस्या के साथ ही किसी मार्ग पर या मार्ग पर किसी समय परिवहन सेवा की सुनिश्चितता नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जनता को अपने गंतव्य तक जाने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः विक्रम वाहनों के संचालन हेतु एक उचित व्यवस्था बनाया जाना आवश्यक है, जैसा कि नगर बस सेवा कार्ययोजना में भी उल्लिखित किया गया है। इसके दृष्टिगत विक्रम वाहनों के लिए स्टेज कैरिज संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने की आवश्यकता है।

5. किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र में नगर बस सेवा प्रारंभ किये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के महानगरों के लिए नगर बस सेवा माडल कार्य योजना घोषित की गयी। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के द्वारा अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम सं0–59 सन 1988) की धारा–102 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अन्य नगरों के अतिरिक्त देहरादून नगर में 20 कि0मी0 के अर्द्धव्यास के भीतर(आपवादिक परिस्थितियों में 25 कि0मी0 में) निजी क्षेत्र की बसों द्वारा नगर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा में अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया। नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं :–

1. देहरादून–क्लमेनटाउन मार्ग।
2. देहरादून–मसूरी मार्ग।
3. देहरादून–सहारनपुर मार्ग।
4. देहरादून–प्रेमनगर।
5. देहरादून–राजपुर।
6. देहरादून–सहस्रधारा।
7. देहरादून–डोईवाला।

उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त राष्ट्रीयकृत मार्ग निजी क्षेत्र की बसों हेतु अधिसूचित/संशोधित हो चुके हैं। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि समिति द्वारा निम्नवत संस्तुत किये गये कुछ मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग के कुछ भाग को आच्छादित (ओवरलैप) करते हैं। चूँकि उक्त मार्ग आज भी राष्ट्रीयकृत हैं तथा अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05 अगस्त 1994 के अन्तर्गत केवल निजी क्षेत्र की बसों के लिए अधिसूचित/संशोधित हुआ है। **अतः आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा नगर बस मॉडल कार्ययोजना में थ्रीव्हीलर/टैम्पो हेतु प्रस्तावित योजना के दृष्टिगत समिति की अनुसंशा के कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए मैक्सी कैब श्रेणी के वाहनों को स्टेज कैरिज परमिट की पद्धति पर निजी क्षेत्र की बसों की भांति संचालन हेतु उक्त मार्गों को अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।**

समिति द्वारा विक्रम वाहनों के संचालन हेतु स्टेज कैरिज हेतु सर्वेक्षणोपरान्त निम्नलिखित मार्गों को उपयुक्त पाया गया है :–

1. **<u>सब्जी मंडी–लालपुल तिराहा (सहारनपुर रोड़) से महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल–कारगीचौक–सरस्वती विहार–अजबपुरकला– धर्मपुर–पुलिस लाईन–रेलवे स्टेशन मार्ग</u>** :

(1) मार्ग की कुलदूरी 9.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।
(2) उक्त मार्ग सब्जी मण्डी चौक से लाल पुल, महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल होकर विद्याविहार, कारगी चौक होते हुए सरस्वती विहार(ब्लॉक,ई,डी,सी,ए)–रेवले क्रॉसिंग–माता मंदिर मार्ग होते हुए धर्मपुर चौक से पुलिस लाईन–बन्नू स्कूल चौक से त्यागी रोड़–रेलवे स्टेशन तक बनाया जाना उपयुक्त होगा।
(3) उक्त मार्ग निर्मित करने से महन्त इंद्रेश अस्पताल, भण्डारीबाग, विद्याविहार, कारगी, सरस्वती विहार, माता मंदिर, धर्मपुर, रेसकोर्स, पुलिस लाईन, चन्दर नगर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
(4) मार्ग पर वर्तमान में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।
(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

2. **<u>आईएसबीटी से मोथरोवाला–दूधली मार्ग</u>** :

(1) आईएसबीटी से दूधली तक मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 16 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है। वर्तमान में मार्ग कई स्थानों पर बरसात के कारण उबड़–खाबड़ हो गया है। मार्ग सुधार/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।
(2) उक्त मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दिये जाने से बंजारावाला, कारगी, मोथरोवाला, दौड़वाला,खटटापानी, दूधली आदि क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।
(3) सर्वेक्षण के दौरान दिनांक 26–07–2014 को उक्त मार्ग पर दौड़वाला से 01 बस संख्या–यूके–07पीए–1327 दोपहर 12.15 बजे संचालित पायी गयीं। उससे आगे बसों का संचालन नहीं पाया गया है। स्थानीय जनता से वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मार्ग पर यदा–कदा ही बसें संचालित होती हैं।
(4) जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।
(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

3. **<u>परेडग्राउण्ड–लाडपुर–जोगीवाला–रिस्पना–आईएसबीटी मार्ग</u>** :

(1) सर्वेचौक से लाडपुर–रिंग रोड़ होते हुए आईएसबीटी तक उक्त मार्ग की दूरी लगभग 15.5 कि0मी0 है।

(2) उक्त मार्ग पर वर्तमान में रिंग रोड़ पर कई सरकारी संस्थान सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, वाणिज्य कर विभाग आदि खुले हैं। इन कार्यालयों में शहर व आईएसबीटी से आम जनता का आवागमन बना रहता है।

(3) उक्त क्षेत्र में आईएसबीटी व शहर क्षेत्र से वर्तमान में कोई त्वरित एवं सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मार्ग पर नगर बसें संचालित हैं किन्तु उनका समयान्तराल अत्यधिक है, जिससे जनता को असुविधा होती है।

(4) आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर मैक्सी कैब स्टेज कैरिज श्रेणी वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा क्योंकि इन वाहनों को कम सवारियां चाहिए, जिससे इनका संचालन कम समयान्तराल में होगा।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

4. **<u>जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना–आराघर–सीएमआई हॉस्पिटल– प्रिंस चौक– तहसील–दर्शनलाल चौक–परेडग्राउण्ड</u>** :

(1) मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 13.0 कि0मी0 है।

(2) उक्त मार्ग पर जोगीवाला से बद्रीपुर होते हुए नवादा–डिफेन्स कॉलोनी मार्ग होते हुए परेडग्राउण्ड तक कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त मार्ग परेडग्राउण्ड से ई0सी0 रोड़ होते हुए धर्मपुर–रिस्पना जोगीवाला–बद्रीपुर–नवादा होते हुए डिफेन्स कॉलोनी होकर वापस परेडग्राउण्ड बनाया जाना उचित होगा, जिस पर दोनो ओर से वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग पर परिवहन सुविधा होने से जोगीवाला–बद्रीपुर–माजरी माफी–नवादा–गोरखपुर–डिफेन्स कॉलोनी–रिस्पना क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा होगी।

(5) मार्ग मैक्सी कैब स्टेज कैरिज श्रेणी की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

5. एस्लेहॉल–दिलाराम चौक–हाथीबड़कला–विजय कॉलोनी–सर्किट हाउस–बीजापुर गेस्ट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा–गढ़ीकैन्ट–टपकेश्वर मार्ग :

(1) टपेश्वर मंदिर एक पौराणिक मन्दिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में श्रदालु आते हैं। वर्तमान में टपकेश्वर मंदिर तक कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे मंदिर में जाने वाले श्रदालु एवं टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है।

(2) क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु एस्लेहॉल से दिलाराम चौक, हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद दांयी ओर जाने वाली डाकरा रोड़ होते हुए डाकरा बाजार–गढ़ीकैन्ट से टपकेश्वर मंदिर तक मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(3) मार्ग की कुल दूरी 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

6. ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–हाथीबड़कला– सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़–मसूरी रोड़–मालसी–डायवर्जन मार्ग :

(1) उक्त मार्ग ग्रेट वैल्यू होटल के चौराहे से दिलाराम बाजार–मयूर ऑटो–सालावाला–केन्द्रीय विद्यालय संगठन सालावाला–हाथीबड़कला होते हुए–सर्किट हाउस–सप्लाई डिपो–अनारवाला–गुच्चूपानी मोड़–जोहड़ीगांव–भगवन्तपुर मोड़ होते हुए देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर मालसी पुरूकुल मोड़ होते हुए डियर पार्क से डायवर्जन तक बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(2) इससे शहर से सालावाला, सर्किट हाउस, सप्लाई, गुच्चूपानी, जोहड़ीगांव, चन्द्रोटी, भगवन्तपुर, पुरकुल गांव आदि क्षेत्रों से आवागमन करने वाली जनता को सुविधा होगी।

(3) वर्तमान में उक्त मार्ग पर कोई सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त मार्ग पर नयी–नयी कॉलोनियों का विकास हो रहा है। कई स्थानों पर अपार्टमेंट बन रहे हैं। क्षेत्र की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुयी है।

(4) उक्त मार्ग छोटी वाहनों के संचालन हेतु ही उपयुक्त है। मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग की कुल दूरी 16.5 कि0मी0 है। मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

7. <u>परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग</u> :

(1) परेडग्राउण्ड–मालदेवता मार्ग पर वर्तमान में छोटी स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन मालदेवता तक हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर बसों के भी परमिट जारी हैं।

(2) उक्त मार्ग पर बसों का संचालन नगण्य है व छोटी स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन पर्याप्त नहीं है। इससे स्थानीय जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(3) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से सर्वेचौक, डालनवाला, सहस्रधारा क्रॉसिंग, डील, तपोवन/नालापानी तिराहा, लाडपुर, डीआरडीओ, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री, रायपुर चौक, केशरवाला–मालदेवता शिवमंदिर तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

8. <u>**परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–ई0सी0 रोड़–नैनी बैकरी–यूकेलिप्टिस मोड़–दिलाराम–ग्रेट वैल्यू होटल चौराहा–साकेत विहार–कण्डोली–बाला सुन्दरी मन्दिर कैनाल रोड़–धोरण मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय– कुल्हान मार्ग**</u> :

(1) राजपुर रोड़ ग्रेट वैल्यू होटल होते हुए कैनाल रोड़ से आईटी पार्क होते हुए सहस्रधारा रोड़ पर वर्तमान में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे कैनाल रोड़ क्षेत्र में साकेत कॉलोनी, कण्डोली, किशनपुर, राजपुर रोड़ एन्कलेव आदि क्षेत्र की जनता को आवागमन में असुविधा होती है।

(2) क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु ग्रेट वैल्यू होटल के चौराहे से कैनाल रोड़–बालासुंदरी मंदिर, धोरणगांव मोड़–राजपुर रोड़ एन्कलेव–आई0टी0 पार्क–राजेश्वर नगर–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास–परिवहन आयुक्त कार्यालय–कुल्हान तक स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। इससे दोनों क्षेत्रों की जनता को लाभ होगा ।

(3) उक्त मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है।

(4) मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

9. **परेडग्राउण्ड से दून हॉस्पिटल–एमकेपी–सीएमआई अस्पताल–आराघर–धर्मपुर–माता मंदिर–सरस्वती विहार चौक–बाईपास–बंगाली कोठी–पुलिस चौकी बाईपास–नवीन सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–इन्द्रेश हॉस्पिटल–मोथरोवाला चौक मार्ग**:

(1) सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय–बंगाली कोठी–माता मंदिर–सरस्वती विहार क्षेत्र की जनता के लिए वर्तमान में आवागमन में असुविधा हो रही है। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं है।

(2) क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से तिब्बती मार्केट, बुद्धा पार्क, नगर निगम, दून अस्पताल, एमकेपी कॉलेज, सीएमआई चौक, आराघर, धर्मपुर, माता मंदिर, सरस्वती विहार चौक, बाईपास, बंगाली कोठी, नवीन सचिवालय कॉलोनी, दून विश्वविद्यालय, महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल होते हुए मोथरोवाला तक स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 9.8 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा मार्ग मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

10. कुठालगेट–एस्लेहॉल मार्ग वाया मालसी–डियर पार्क :

(1) कुठालगेट–घण्टाघर मार्ग पर वर्तमान में राजपुर–क्लेमेनटाउन की बसें संचालित हैं। उक्त मार्ग पर कई शिक्षण संस्थान स्थापित है। इससे इस मार्ग पर बसों का संचालन स्कूल के खुलने व बन्द होने के समय अधिक होता है। अन्य समयों में बसों का संचालन काफी समयान्तराल में होता है। इससे क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(2) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु उक्त मार्ग पर हल्के जीप प्रकार की स्टेज कैरिज वाहनों हेतु मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे क्षेत्रीय जनता को शहर घण्टाघर, तहसील, कार्यालयों, स्कूलों में आवागमन में सुविधा होगी।

(3) मार्ग पर मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा। प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.5 कि0मी0 है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

11. घण्टाघर–सीमाद्वार–मेहूवाला–तेलपुर चौक मार्ग :

(1) उक्त मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। मार्ग पर घण्टाघर से प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, अनुराग नर्सरी, बसंत विहार, सीमाद्वार तक नगर बसें संचालित हैं। उक्त मार्ग पर सीमाद्वार–नालापानी मार्ग की बसें संचालित हो रही हैं। मार्ग पर बस सेवाओं का अन्तराल काफी अधिक है, जिससे स्थानीय जनता को विक्रम व निजी वाहनों से आवागमन करना पड़ता है। मार्ग पर विक्रम वाहनों का भी संचालन है किन्तु यह अनियमित है क्योंकि यह वाहनें कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनें हैं, जिनका संचालन केन्द्र से 25 कि0मी0 अर्द्धव्यास में किसी भी ओर किया जा सकता है।

(2) इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग थाना बसंत विहार होते हुए मेहूवाला शिमला बाईपास मार्ग पर जुड़ गया है, जिस पर कोई परिवहन सुविधा नहीं हैं। उक्त मार्ग पर ऋषिनगर, मेहूवाला, तेलपुर चौक क्षेत्र की जनता द्वारा भी परिवहन सेवा की निरंतर मांग की जा रही है।

(3) अतः क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु घण्टाघर से प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, अनुराग नर्सरी, बसंत विहार, सीमाद्वार होते हुए बसंत विहार थाना, मेहूवाला चौक, तेलपुर चौक तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(4) प्रस्तावित मार्ग की कुल दूरी लगभग 10.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है। मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

12. प्रेमनगर–ठाकुरपुर मोड़–महेन्द्र चौक–उम्मेदपुर–परवल–शिमला बाईपास मार्ग :

(1) उक्त मार्ग पर प्रेमनगर–परवल मार्ग की नगर बसों के परमिट जारी किये गये हैं किन्तु बसों द्वारा मार्ग पर वाहनों का संचालन नहीं किये जाने की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही है। इससे स्थानीय जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(2) स्थानीय जनता को परिवहन की पर्याप्त सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से ठाकुरपुर, महेन्द्रचौक, उम्मेदपुर होते हुए परवल से शिमला बाईपास तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) उक्त मार्ग पर परिवहन सुविधा दिये जाने से ठाकुर पुर, शुक्लापुर, श्यामपुर, उम्मेदपुर, परवल क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 9.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(5) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

13. <u>प्रेमनगर–चन्द्रबनी चौक मार्ग वाया पंडितवाड़ी, बल्लीवाला चौक, सब्जीमंडी–आईटीआइ–शिमला बाईपास चौक–आईएसबीटी</u> :

(1) उक्त मार्ग पर देहरादून–डाकपत्थर मार्ग की बसें संचालित हैं किन्तु इन वाहनों के द्वारा अधिक लाभ अर्जन के दृष्टिगत कम दूरी की सवारियों को नहीं ले जाने में रूचि नहीं दिखायी जाती है, जिससे प्रेगनगर, आईएमए, पंडितवाड़ी, बसंत विहार आदि क्षेत्रों की सवारियों को आईएसबीटी से आवागमन के लिए कई वाहनों में यात्रा कर गंतव्य तक जाना पड़ता है।

(2) जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से पंडितवाड़ी, बसन्त विहार, बल्लीवाला चौक होते हुए जीएमएस रोड़, सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, आईटीआई, शिमला बाईपास होते हुए आईएसबीटी–चन्द्रबनी चौक तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) मार्ग की कुल दूरी लगभग 12.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा जीप प्रकार की छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

14. <u>प्रेमनगर–रेलवे स्टेशन मार्ग वाया बल्लीवाला चौक–सहारनपुर चौक</u> :

(1) वर्तमान में रेवले स्टेशन, सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक होते हुए प्रेमनगर तक बसें संचालित हैं किन्तु बसों का संचालन का समयान्तराल अधिक है, जो कि स्थानीय जनता के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है।

(2) उक्त मार्ग पर विक्रम वाहनें संचालित हैं किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन नियमित नहीं है।

(3) जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु रेलवे स्टेशन से सहारनपुर चौक, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, पंडितवाड़ी, आईएमए, प्रेमनगर हेतु मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(3) मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

15. <u>प्रेमनगर–घण्टाघर वाया बल्लूपुर–किशननगर चौक–कनाट प्लेस</u> :

(1) वर्तमान में उक्त मार्ग पर प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की बसें संचालित हैं। मार्ग पर बसों की सेवायें काफी अंतराल से संचालित हैं। इससे स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं मिल पा रही है।

(2) उक्त मार्ग पर कनाट प्लेस से विक्रम वाहनों का संचालन होता है किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन मार्ग पर अनियमित है। इससे स्थानीय जनता को असुविधा होती है।

(3) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर से बल्लूपुर चौक, विजयपार्क, किशननगर चौक, बिंदालपुल, कनाटप्लेस होते हुए घण्टाघर तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा।

(5) मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(6) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

16. <u>परेडग्राउण्ड–क्लेमनटाउन मार्ग –वाया सहारनपुर चौक–निरंजनपुर– माजरा– आईएसबीटी–सुभाषनगर</u> :

(1) मार्ग पर परिवहन सुविधा हेतु राजपुर–क्लेमनटाउन की बसें संचालित हैं। इन वाहनों का संचालन सुबह स्कूल/कार्यालय खुलने व बन्द होने के समय(पीक आवर) में अधिक होता है जबकि अन्य समयों में वाहनों का संचालन अपेक्षाकृत कम होता है। इससे अन्य समयों में जनता को अन्य साधनों से घण्टाघर, कचहरी, कलेक्ट्रेट, सचिवालय आदि क्षेत्रों में आना पड़ता है।

(2) उक्त मार्ग पर संचालित विक्रम वाहनें संचालित हैं किन्तु कॉन्ट्रेक्ट कैरिज होने के कारण इनका संचालन अनियमित है।

(3) अतः क्षेत्रीय जनता को परिवहन की समुचित सुविधा दिये जाने हेतु परेडग्राउण्ड से क्लेमेनटाउन पोस्ट ऑफिस तक वाया प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, पटेलनगर, निरंजनपुर, माजरा, आईएसबीटी, वाईल्ड लाईफ इंस्टिट्यूट मोड़, सुभाषनगर होते हुए क्लेमेनटाउन पोस्ट ऑफिस तक मैक्सी कैब श्रेणी की स्टेज कैरिज वाहनों के लिए मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा।

(4) मार्ग की कुल दूरी लगभग 11.0 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(6) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

17. आईएसबीटी–पेलियो–नयागांव मार्ग :

(1) मार्ग की कुल दूरी लगभग 18.0 कि.मी. है। मार्ग पक्का है। मार्ग पर बसें संचालित हैं किन्तु बसों का संचालन पीक आवर में(स्कूल समय) ही अधिकांश होता है। बसों का संचालन अनियमित है। इससे स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा हैं

(2) स्थानीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु आईएसबीटी से शिमला बाईपास, मेहूवाला, बड़ोवाला, झिवरहेड़ी, गणेशपुर, रतनपुर होते हुए पेलियो तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों हेतु स्टेज कैरिज मार्ग बनाया जाना उपयुक्त होगा। इससे आईएसबीटी से उक्त क्षेत्रों में आवागमन में जनता को सुविधा होगी।

(3) मार्ग छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(4) मार्ग पर पड़ने वाले भागों के नाम सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

18. बाजावाला–मसन्दावाला–कौलागढ़–ओएनजीसी–राजेन्द्रनगर–किशननगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–घण्टाघर–परेडग्राउण्ड मार्ग :

(1) कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला की दूरी लगभग 2.5 कि0मी0 है। कौलागढ़ तक पूर्व में नगर बस सेवा संचालित थी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर बसों का संचालन बन्द है।

(2) बाजावाला–मसन्दावाला क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौलागढ़ से बाजावाला–मसन्दावाला तक मार्ग पक्का है तथा हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

(3) बाजावाला–मसन्दावाला की जनता द्वारा निरन्तर परिवहन सुविधा दिये जाने की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु बाजावाला से कौलागढ़, राजेन्द्रनगर, किशननगर, कनाट प्लेस, घण्टाघर होते हुए परेडग्राउण्ड तक मैक्सी कैब श्रेणी की वाहनों के लिए स्टेज कैरिज मार्ग निर्मित किया जाना उपयुक्त होगा। मार्ग की कुल दूरी लगभग 8.5 कि0मी0 है। मार्ग पक्का है तथा छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है ।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी विभिन्न बैठकों में 794 विक्रम टैम्पों परमिट देहरादून केन्द्र से शहर में 25 किमी0 अर्द्धव्यास में संचालित करने हेतु निर्गत किये गये हैं, जो ठेका गाड़ी परमिट की श्रेणी में आते हैं एंव जो चालक सहित 6+1 एंव 7+1 में पंजीकृत हैं।

वर्तमान में देहरादून केन्द्र से संचालित 794 विक्रम टैम्पो वाहनों में से चालक सहित 07 सवारी में कुल 684 विक्रम टैम्पो वाहनें तथा चालक सहित 08 सवारी में कुल 110 विक्रम वाहनें पंजीकृत हैं।

(क) मंजिली गाडी में सम्मिलित वाहन–

मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–2(40) में मंजिली गाडी(स्टैज कैरेज) की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई हैः–

(40) **"मंजिली गाडी" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो भाडे या पारिश्रमिक पर छह से अधिक यात्रियों का, जिसके अतंर्गत ड्राइवर नहीं है, पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिये, अलग–अलग यात्रियों द्वारा या उनकी ओर से दिये गये अलग–अलग किरायों पर वहन करने के लिये, निर्मित या अनुकूलित है।**

उपरोक्त प्राविधान के अनुसार चालक सहित कुल 07 सवारी में पंजीकृत वाहनों को मंजिली गाड़ी परमिट दिया जाना संभव नहीं है।

(ख) मंजिली गाडी परमिट हेतु आवेदन–

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 70 में प्राविधान है किः–(1) मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिये (जिसे इस अध्याय में मंजिली–गाड़ी परमिट कहा गया है) या आरक्षित मंजिल–गाड़ी के रूप में परमिट के लिये आवेदन में यथावक्त निम्नलिखित विशिष्टियॉ दी जायेगी, अर्थात–

(क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या वे क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन सम्बन्धित है,

(ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह,

(ग) जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्थापित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय सारणी,

(ग) मंजिली गाडी हेतु मार्गो का निर्धारण–

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (ग–क) में प्राविधान है कि **सरकार मंजिली गाड़ी चलाने के लिये मार्गों को निश्चित करेगी,**

(घ) <u>मंजिली गाडी के परमिट जारी करने हेतु मार्ग एवम् क्षेत्रः–</u>

मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–72 में मंजिली गाड़ी के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई हैः–

परन्तु कोई ऐसा परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिये नहीं दिया जायेगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।

देहरादून शहर मे विभिन्न मार्गो पर वर्तमान में लोकल सवारी ढोने हेतु नगर बस सेवा की बसों तथा विक्रम टैम्पो वाहनों का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। परन्तु बस स्वामियों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि विक्रम टैम्पो स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों का प्रयोग स्टैज कैरिज के रूप में हो रहा है, जिस कारण से वाहन स्वामियों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 1151/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2011 दिनांक 08.04.2011 एंव आदेश सं0 1150/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा विक्रम टैम्पो तथा जेएसए टैम्पो वाहनों का पंजीयन 7+1 सीट क्षमता के आधार पर करने हेतु निर्देश दिये थे। परन्तु इन निर्देशों के विरूद्ध विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट, देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2340/एमएस/12 दायर की थी। इस याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2012 को आदेश पारित किये थे कि याचिका कर्ताओं को सुनने के पश्चता मामले में पुनः आदेश पारित निर्णय लिया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आयुक्त उत्तराखण्ड, द्वारा मामले में पुनः विचार किया गया था। परिवहन आयुक्त के आदेश सं0 1470/प्रावि0/पंजीयन–अनुमोदन/2013 दिनांक 21.05.2013 द्वारा मामले में याचिकाकर्ताओं को सुनने के पश्चात आदेश पारित किये हैं कि विक्रम तथा जेएसए वाहनों का पंजीयन 6+1 सीट में करने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया जाता है कि उनमे चालक के बगल में कोई सीट नहीं लगायी जायेगी। इस सीमा तक पूर्व में पारित आदेशों को संशोधित समझा जायेगा। वर्तमान में इन्हीं निर्देशो के अनुपालन में विक्रम टैम्पो वाहनों का पंजीकरण 6+1 सीट में किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–37 **बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में मद सं0 17 के अन्तर्गत विष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने सर्वेक्षण करने पश्चात आख्या दी है कि सप्लाई से मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए डाकरा बाजार से कैन्ट थाना के निकट एक मार्ग निकलता है। इस मार्ग की लम्बाई मिलिट्री हॉस्पिटल से 1.5 किमी0 है। यह मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। इस मार्ग का विस्तार मिलिट्री हॉस्पिटस से डाकरा होते हुये कैन्ट तक किया। मार्ग के विस्तार के विरूद्व नगर बस सेवा मार्ग अनारवला–गढ़ी कैन्ट–आईएसबीटी–रिंग रोड़–रिस्पना–परेड़ ग्राउण्ड़ मार्ग के ऑपरेटरों के द्वारा आपत्ति की गई थी। इस आपत्ति में यह कहा गया था कि बिष्ट गॉव–आईएसबीटी मार्ग पर जारी ठेका परमिट की वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में किया जा रहा हैं जिस कारण से इनके मार्ग की वाहनों को आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि टॉटा मैजिक वाहनों के संचालन के विरूद्ध एक याचिका सं0 2576/एमएस/2011 लम्बित है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि मामला मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित है। अतः याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय होने तक इस मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा याचिका सं0 2576/एमएस/11 का निस्तारण कर दिया है। जिसके मुख्य अशं निम्न प्रकार है।

" This writ is being disposed off with the direction to the Regional Transport Officer to comply with condition of Rule 70 of U.P. Motor Vehicle Rules, 1998 while granting Contract Carriage Permit and not to allow such person in a manner that such Vehicle are run like a stage carriage."

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–38 **<u>संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 के निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।</u>**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में मद सं0 6 में के द्वारा परिशिष्ट–छः में वर्णित सभी प्रार्थीयों को हरिद्वार केन्द्र से एक–एक आटोरिक्शा परमिट निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थेः–

1. नई वाहन लगाई जायेगी।
2. आवेदक पूर्व में किसी परमिट का धारक न हो।
3. भविष्य में एल0पी0जी0/सी0एन0जी0/फिलिंग स्टेशन स्थापित हो जाने पर वाहनों को एल0पी0जी0/सी0एन0जी0 में परिवर्तित किया जाएगा।
4. प्राप्त परमिट को न्यूनतम 03 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
5. उपरोक्त स्वीकृत परमिट नई वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 31.01.2010 तक जारी किए जायंगे। तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।

कार्यालय के पत्र सं0 279/आर0टी0ए0/परमिट स्वीकृति/2010 दिनांक 08.03.2010 के द्वारा श्री पंकज अरोड़ा पुत्र श्री किशन लाल अरोड़ा, रानीपुर मोड़, जिला–हरिद्वार को सूचित किया गया था कि उपरोक्त शर्तों के साथ आपको हरिद्वार केन्द्र से एक ऑटो रिक्शा परमिट स्वीकृत किया गया है। इन आदेशों के अनुपालन में श्री अरोड़ा ने दिनांक 20.03.2010 को वाहन सं0 यूके 08टीए 1283 के वैध प्रपत्रों को प्रस्तुत कर ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 दिनांक 20.03.2010 से दिनांक 19.03.15 तक प्राप्त किया था। परमिट प्राप्त करते समय श्री पंकज अरोड़ा द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था कि वह किसी प्रकार के परमिट का धारक नहीं है। परमिट प्राप्त करने के 03 वर्ष तक उक्त परमिट किसी अन्य के नाम हस्तान्तरण नहीं करेगा। इस अवधि में यदि परमिट का क्रय–विक्रय करने का कोई मामला सामना आया तो परमिट निरस्तीकरण में कोई आपत्ति नहीं होगी।

उक्त परमिट जारी होने के पश्चात सज्ञांन में आया कि श्री पंकज अरोड़ा के नाम पर टैम्पो परमिट सं0 3428 है जिस पर वाहन सं0 यूके08टीए–0819 संचालित है। कार्यालय के पत्र सं0 5848/आरटीए/ऑटो–7461/धारा–86/13 दिनांक 12.09.2013 द्वारा उन्हें धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आपके द्वारा तथ्यों को छिपा कर हरिद्वार केन्द्र का ऑटो

रिक्शा परमिट प्राप्त किया गया है जबकि आप टैम्पो परमिट सं0 3428 के पूर्व से ही परमिट धारक हैं। श्री अरोड़ा को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया था कि क्यों न आपको जारी परमिट के निरस्तीतरण की कार्यवाही की जाये। परन्तु उक्त पत्र बिना प्राप्त हुये कार्यालय में वापस आ गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पंकज अरोड़ा के नाम से जारी परमिट सं0 3428 दिनांक 07.02.13 को श्री अमन कुमार पुत्र श्री हुक्म सिंह, नत्थूखेरी, मंगलौर, हरिद्वार के नाम हस्तांतरित हो गया है।

उक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं0 31 में निम्न आदेश पारित किये हैं कि :–

"परमिट धारक को पुनः धारा–86 का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाये तथा मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में परमिट धारक श्री पंकज अरोड़ा को पंजीकृत पत्र सं0 7385/आरटीए/ऑटो 7461/धारा–86/14 दिनांक 13.01.2014 प्रेषित किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–39 श्री विनोद रांगड पुत्र श्री जयपाल सिंह रांगड, 301 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2014 पर विचार एंव आदेश।

श्री विनोद रांगड़ की बस संख्या यूके 07पीसी–0320 को मार्ग सूची सं0 1 (ऋषिकेश केन्द्र) का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0 3682 दिनांक 11.05.2010 से दिनांक 10.05.2015 तक जारी किया गया है। श्री विनोद रांगड ने सूचित किया है कि उनकी वाहन में यातायात एंव पर्यटन विकास सहकारी संघ के अन्तर्गत संचालित होती थी। परन्तु जून, 2013 से यातायात कम्पनी के द्वारा उनकी बस को रोटेशन में चलने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, जिस कारण उनकी बस का संचालन नहीं हो

रहा है, और उनको आर्थिक हानि हो रही है। कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में मै0 टीजीएमओसी तथा यातायात कम्पनियों को समस्या के समाधान हेतु लिखा गया था। इस कार्यालय के पत्रों के सन्दर्भ में मै0 टीजीएमओसी ने सूचित किया है कि उक्त वाहन स्वामी कम्पनी के नियमों का उल्लंघन कर अपनी वाहन को स्थानीय सेवायें बाधित कर यात्रा में संचालित करता रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अनावश्यक विवाद से बचने के लिये उक्त वाहन के स्वामी को किसी अन्य मार्ग सूची अथवा एकल मार्ग पर चलाया जा सकता है। मै0 यातायात कम्पनी ने भी सूचित किया है कि वाहन स्वामी रोटेशन व्यवस्था के नियमों के विरूद्ध अपनी वाहनों का संचालन करता है। उन्होंने सूचित किया है कि इनको अलग से समय दिया जाता है तो इससे सारी रोटेशन व्यवस्था चरमरा जायेगी तथा सभी परमिट समर्पण कर दिये जायेंगे।

श्री विनोद रांगड ने सूचित किया है कि दिनांक 28.04.2013 को यातायात एंव पयर्टन विकास सहकारी संघ, में निर्वाचन सम्पन्न कराये गये थे। निर्वाचन विधि पूर्वक नहीं कराये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के समक्ष एक वाद दायर किया हुआ है। इसी द्वेष भाव के कारण परिवहन कम्पनियों द्वारा उनकी बस का संचालन रोटेशन में करने की आज्ञा नहीं दी जा रही है। जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उनकी बस को निम्न प्रकार संचालन हेतु समय–सारणी प्रदान की जायेः–

1. पहले दिन सुबह 5:15 ऋषिकेश से चम्बा वाया स्यासु पुल लम्बगॉव धोन्तरी कमद।
2. दूसरे दिन 7:00 सुबह कमद, धोन्तरी, लम्बगॉव वाया स्यासु पुल चम्बा, ऋषिकेश।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मार्ग सूची सं0 1 की मार्ग सूची में जनपद टिहरी तथा उत्तरकाशी के मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों में से कुछ मार्ग लाभकारी हैं तथा कुछ सामान्य श्रेणी में आते हैं। ऋषिकेश में स्थित परिवहन कम्पनियों के द्वारा मार्ग सूची 1 के परमिटों में संचालित वाहनों को रोटेशन से सभी मार्गों पर संचालित कराया जाता है। वाहन स्वामियों को जारी परमिटों पर इस आशय की शर्त अधिरोपित की गई हैं कि वाहनें मार्ग की अन्य वाहनों के साथ रोटेशन से संचालित की जायेगी।

उक्त प्रकरण को पूर्व में भी अध्यक्ष महोदय के समक्ष दिनांक 01.02.2014 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अध्यक्ष, महोदय के द्वारा **आगामी आरटीए की बैठक में विचारार्थ/निणयार्थ रखें** के आदेश पारित किये हैं,

अतः प्राधिकरण उक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–40 **<u>संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.11 में रूडकी केन्द्र से स्वीकृत स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 15 द्वारा रूडकी केन्द्र से टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था तथा स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेगें।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।
4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्ष की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग नीला होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से "**रुडकी केन्द्र**" सुस्पष्ट प्रदर्शित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेशन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

इसके पश्चात दिनांक 17.12.11 को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने परिचालन पद्धति द्वारा रूडकी केन्द्र के वाहनों का रंग नीला तथा वाहन की छत सफेद एंव वाहन के दोनो साइड में सफेद पटटी का रंग संयोजन करने के आदेश पारित किये थे।

निम्नलिखित प्रार्थियों ने सूचित किया है कि प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में उनके द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया था, परन्तु वाहन उपलब्ध नहीं होने, आर्थिक स्थिति एंव स्वास्थय ठीक न होने के कारण वे नया वाहन क्रय

नहीं कर सके। परमिट प्राप्त करने हेतु दिया गया समय समाप्त हो गया था। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु पुनः समय दिया जाये।

क0 सं0	प्रार्थना पत्र की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1.	25.08.2014	श्री जहॉगीर पुत्र उस्ताद अहमद, मौहल्ला पॉवधोई, ज्वालापुर, हरिद्वार।
2.	25.08.2014	श्री शहजाद पुत्र अली हसन, पिरान कलियर, जिला–हरिद्वार।
3.	25.08.2014	श्री खल्ली कुजमा पुत्र जमशेद अहमद, 317 किला मंगलौर, हरिद्वार।
4.	25.08.2014	श्री हमीद पुत्र श्री जाहिद हसन, बहादराबाद, जिला हरिद्वार।
5.	25.08.2014	श्री मोसिन पुत्र श्री मोबिन मौहल्ला कस्सावान, ज्वालापुर, हरिद्वार।
6.	25.08.2014	श्री इस्तखार अहमद पुत्र श्री हबीव अहमद, मौहल्ला चौहानान, ज्वालापुर, हरिद्वार।
7.	25.08.2014	श्री भूषण पुत्र श्री आभेराम, 156/33 अनेकी हेतमपुर, हरिद्वार।
8.	25.08.2014	श्री गुलजार अहमद पुत्र श्री हबीव अहमद, मौहल्ला हज्जावान, ज्वालापुर, हरिद्वार।
9.	25.08.2014	श्री ललित कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार, शिव मन्दिर रोड, बहादराबाद, हरिद्वार।
10.	25.08.2014	श्री शहनवाज पुत्र श्री मोबिन अहमद, 174 मौहल्ला कस्सावान, सोनिया बस्ती, हरिद्वार।
11.	25.08.2014	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजकुमार, चौक बाजार, बहादराबाद, हरिद्वार।
12.	25.08.2014	श्री फैसल प्रवेज पुत्र श्री अनीस अहमद, कस्सावान, ज्वालापुर, हरिद्वार।
13.	27.08.2014	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री जगदीश रामनगर ज्वालापुर, हरिद्वार।
14.	27.08.2014	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री पुन्ना राम, रामलीला ग्राउण्ड, बदहराबाद, हरिद्वार।
15.	27.08.2014	श्री मोबिन अहमद पुत्र हबीब 177 कस्सावान सोनिया बस्ती, ज्वालापुर, हरिद्वार।
16.	27.08.2014	श्री मसरूर पुत्र श्री मकसूद 29 जमालपुर कनखल, हरिद्वार।
17.	27.08.2014	श्री बाकिर हुसैन पुत्र श्री कासिम 55 एथल बुर्जग, लक्सर, हरिद्वार।

अतः प्राधिकरण उक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–41 **<u>संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.11 में लक्सर केन्द्र से स्वीकृत स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 16 द्वारा लक्सर केन्द्र से टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया था तथा स्वीकृत परमिट नई वाहन (7+1) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.11 तक जारी किये जायेगें।

1. हरिद्वार जनपद का निवासी हो।
2. आवेदक के नाम अन्य कोई परमिट न हो।
3. आवेदक बेरोजगार हो।
4. आवेदक के पास हल्की वाणिज्यिक वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
5. परमिट 03 वर्ष की अवधि से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
6. मार्ग पर संचालित वाहनों मॉडल सीमा 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष की आयुसीमा पूरी होने पर ऊँचे मॉडल की वाहन से प्रतिस्थापन किया जाएगा।
7. वाहन का रंग हरा होगा तथा वाहन की बॉडी पर चारों साइड से **"लक्सर केन्द्र"** सुस्पष्ट प्रदर्शित होगा।
8. इस श्रेणी की एल0पी0जी0 चालित तिपहिया वाहन उपलब्ध होने, एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेशन उपलब्ध होने पर वाहन का प्रतिस्थापन एल0पी0जी0 चालित वाहन से किया जायेगा।

निम्नलिखित प्रार्थियों ने सूचित किया है कि प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में उनके द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया था, परन्तु वाहन उपलब्ध नहीं होने एंव स्वास्थय ठीक न होने के कारण वे नया वाहन क्रय नहीं कर सके। परमिट प्राप्त करने हेतु दिया गया समय समाप्त हो गया था। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु पुनः समय दिया जाये।

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	टिप्पणी
1.	25.08.2014	श्री मुज्जफर अली पुत्र श्री अली हसन, मौहल्ला चौहानान, ज्वालापुर, हरिद्वार।	

2.	25.08.2014	श्री संजय शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, ग्राव व पो0ओ0–सुभाषगढ, ज्वालापुर हरिद्वार।	
3.	25.08.2014	श्री परवेज पुत्र श्री फुरकान, 51 कस्सावान, सोनिया बस्ती, ज्वालापुर, हरिद्वार।	
4.	27.08.2014	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रूपराम, 133 कटारपुर पथरी, हरिद्वार।	
5.	25.08.2014	श्री शीश कुमार पुत्र श्री फल्लू, 141, बीजपुर नूल, हरिद्वार।	
6.	27.08.2014	श्री प्रदीप पुत्र श्री कालूराम जियापोता कनखल, हरिद्वार।	यूके 08टीए 3175
7.	27.08.2014	श्री इरशाद पुत्र श्री सौकत अली घिसूपुरा, हरिद्वार।	
8.	27.08.2014	श्री भारत भूषण पुत्र श्री गंगा राम 821 सर्वप्रिय विहार, हरिद्वार।	
9.	27.08.2014	श्री मंगता हसन पुत्र श्री मौहम्मद अली केन्हनपुर, ख्वाजापुर रूड़की, हरिद्वार।	

अतः प्राधिकरण उक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–42 <u>संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र के स्वीकृत स्थाई ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।</u>

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.2010 के संकल्प सं0 4(अनु0) द्वारा हरिद्वार केन्द्र के सभी प्रार्थियों को ऑटो रिक्शा परमिट निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये हैं:–

1–आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2–आवेदक बेरोज़गार हो।
3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
6–स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.2010 तक नई ऑटोरिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

निम्नलिखित प्रार्थियों ने सूचित किया है कि प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में उनके द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनें क्रय कर ली थी, लेकिन स्वास्थय ठीक न तथा अन्य पारिवारिक कारणो से प्राधिकरण द्वारा दिये गये समय के अन्तर्गत परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं। इन्होंने निवेदन किया है कि अब उनकी वाहनों को हरिद्वार केन्द्र के ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की कृपा करें।

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन सं0
1.	27.08.2014	श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र, ब्रहमपुरी, मंशादेवी रोड़, हरिद्वार।	यूके 08टीए–2267
2.	27.08.2014	श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, देवपुरा हरिद्वार	यूके 08टीए–2234

मद सं0–43 वाहनों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाहन स्वामियों को मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अर्न्तगत जारी नोटिसों पर विचार व आदेश।

(1) श्री राजेन्द्र सिंह रावत, लेखाकार, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 28.05.2014 द्वारा शिकायत की थी कि वे दिनांक 28.05.2014 को रिस्पना पुल से परेड ग्राउण्ड तक कार्यालय आने हेतु बस सं0 यूए 07डी– 6267 में यात्रा कर रहे थे। बस के परिचालक द्वारा बस में चढने के उपरान्त किराया भुगतान किये जाने हेतु कहा गया। मेरे द्वारा परिचालक से टिकट दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु उक्त परिचालक द्वारा बहुत अभद्रता के साथ मुझे टिकट देने से मना कर दिया गया। पुनः काफी अनुरोध करने के पश्चात उक्त परिचालक द्वारा मुझे यात्रा के लिये रू0 10 का टिकट थमा दिया गया जबकि रिस्पना पुल से परेड ग्राउण्ड तक किराया मात्र रू0 8 ही लिया जाना चाहिये था। मेरे द्वारा पुनः उक्त अधिक किराये भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिरोध करने पर उक्त वाहन परिचालक द्वारा अभद्रता की गई तथा मुझसे यह भी कहा गया कि तुमको जो करना है, कर लो, मै रू0 10 ही किराया लूँगा। उक्त वाहन में क्षमता से अधिक सवारी भी गई थी तथा चालक एंव परिचालक द्वारा वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। मुझे यह भी अनदेशा है कि उक्त परिचालक के पास परिचालक लाईसेन्स भी उपलब्ध नहीं रहा होगा।

शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा वाहन के स्वामी श्री प्रशान्त पाल पुत्र श्री उदय सिंह पाल, 191 नकरौंदा, डोईवाला, देहरादून को पंजीकृत पत्र सं0 8532/आरटीए/पीएसटीपी– 1429/14 दिनांक 06.06.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2014 के द्वारा सूचित किया है परिचालक द्वारा जो अभद्रता की गई। इसके लिये क्षमा चाहते हैं। उन्होंने परिचालक की सेवायें समाप्त कर दी हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमिता व अभद्रता नहीं की जायेगी।

(2) सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र सं0 2008/समाधान/नि0–29/पीजी0033812014/ 2014 दिनांक 01.07.2014 के द्वारा अवगत कराया था कि सुराज, भष्टाचार उन्मूलन एंव जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये समाधान पोर्टल पर श्री मदन मोहन जोशी द्वारा दिनांक 26.06.14 एंव दिनांक 29.06.2014 को निम्न लिखित निवेदन (Grievance) दर्ज कराया गया हैः–

Bus no. uk07pa 0422 conductor taken excess fair for 4 km taken 8 rupees. please take required action.

Dehradun city bus of seemadwar naalapani route bus no uk07pa 0422 conductor on 26june14 taken excess fair ie rs 8 for 4 kmis it legal I have ticket for it I registered a complain on 26june14 which is transferred on 27june14 to MD UTC is not concerned authority please take a legal necessary action at concerned level.

शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा वाहन के स्वामी श्री सन्दीप रोहिला एंव हरीओम पुत्र श्री मांमचन्द रोहिला एंव जयप्रकाश नजदीक आजाद टैन्ट हाउस, माजरा, देहरादून को पंजीकृत पत्र सं0 8753/आरटीए/दस–327/पीएसटीपी–1965/14 दिनांक 05.07.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामीयों ने अपने पत्र दिनांक 16.07.2014 के द्वारा सूचित किया है कि उनके परिचालक ने यूनियन की किराया सूची के अनुसार ही किराया रू0 8 लिया गया है। वर्तमान शिकायत केवल प्रार्थी को उत्पीडन करने हेतु की गई है।

(3) वाहन सं0 यूके 07टीए–5315 को इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 25.10.2011 को परमिट सं0 मैक्सी 4023 देहरादून एंव पौड़ी संभाग के मार्गों हेतु जारी किया गया था। उक्त वाहन दिनांक 02.01.2014 को नाडा– लाखामण्डल

मार्ग पर खनउधार के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई एंव कई अन्य व्यक्ति घायल हुये। विभागीय जॉच में मुख्यतयाः यह पाया गया कि बस में निर्धारित क्षमता 09 के सापेक्ष अधिक सवारियॉ बैठी थी। जिससे ओवरलोड़िग के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वाहन स्वामी को इस कार्यालय के पत्र सं0 7340/आरटीए/मैक्सी–4023/धारा–86/14 दिनांक 08.01.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(4) श्री बलवीर सिंह ग्राम सुपउ, पौ0 सौंज, जिला देहरादून ने अपने शिकायती पत्र के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 15.02.14 को मैं वाहन सं0 यूके 07टी – 5977 से 2 से 3 बजे के बीच साहिया से कालसी पहुॅचा। वाहन चालक ने मुझसे 40/– किराया लिया जबकि यह दूरी मात्र 19 किमी0 है। विरोध करने पर वाहन चालक ने मुझे बताया कि सभी वाहन चालक ने मुझे बताया कि सभी वाहन चालक यही किराया ले रहे हैं तथा यह किराया आरटीओ द्वारा निर्धारित है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रीचन्द, 75 साहिया, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 8043/आरटीए/मैक्सी– 4525/धारा–86/14 दिनांक 25.03.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) श्री शिवा नन्द जोशी, 2 सुमन नगर धर्मपुर, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 07.02.2014 के द्वारा सूचित किया है कि वे दिनांक 03.02.14 को बस सं0 यूके 07पीए–0484 से जौली से धर्मपुर चौक तक आये, बस परिचालक ने रू0 22/– किराया मॉगने पर फुटकर न होने के कारण रू0 30/– दे दिये, परिचालक ने उपरोक्त टिकट पर रू0 8/– बैलेन्स अंकित कर उन्हें टिकट दिया। उन्होंने परिचालक से निवेदन किया कि उनके द्वारा दिया टिकट कहीं गिर गया है। जेब में मिल नहीं रहा है। परिचालक ने कहा कि टिकट दिखाओ तब बैलेन्स मिलेगा। प्रार्थी के घर पहुॅचने पर जब जेब से पैसे निकाले तो उपरोक्त बस का टिकट पैसों के बीच में रखा मिल गया। उन्होंने जब टिकट को गौर से देखा तो उसमें केवल लास्ट में रू0 20/– अंकित थे (प्रतिलिपि संलग्न है)। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कहा गया है कि परिचालक के द्वारा बैलेन्स वापस न करने पर उन्हें कोई एतराज नही है क्योंकि उस समय उनके पास सबूत नहीं था।

किन्तु रू0 22/– किराया वसूलने पर उनको ऐतराज है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है।

शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा वाहन स्वामी श्री सुनील कुमार पुत्र स्व श्री नन्द लाल माजरी माफी, पो0ओ0 मोहक्कमपुर देहरादून। को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 7668/आरटीए/पीएसटीपी–2120/धारा–86/14 दिनांक 17.02.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रति उत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2014 के द्वारा सूचित किया है कि शिकायत कर्ता शिवानन्द जोशी तथा परिचालक के बीच शिकायत का निवारण हो गया है। शिकायत कर्ता ने भी सूचित किया है कि इस विषय में परिचालक उनके पास आया था और भविष्य में इस प्रकार की गल्ती न करने का आश्वासन दिया है। इसलिये अब उनको कोई शिकायत नहीं है।

(6) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून ने अपने पत्र सं0 8971/टीआर/प्रशासन/2014 दिनांक 04.08.2014 के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 31.07.2014 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला न्यायालय, देहरादून से नैनी बेकरी के पास ओल्ड सर्वे रोड़ तक ऑटो सं0 यूके 07टीए–2997 से यात्रा की गई। उक्त वाहन के चालक द्वारा अधोहस्ताक्षरी से 100 रूपये वसूले गये, जबकि उक्त यात्रा की दूरी लगभग 04 किमी0 से अधिक नहीं है। उनके द्वारा वाहन के परमिट के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री मूर्तिराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी– 73 आर्दश कॉलोनी, नेहरूग्राम, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 8995/आरटीए/ऑटो 7262/14 दिनांक 05.08.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(7) श्री राज मेहरा, म0न0 01, प्रगति विहार, ऋषिकेश का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.09.2013 जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के कार्यालय पत्र सं0 0041/सा0प्रशा0/2014 दिनांक 15.01.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री राज मेहरा ने अपने पत्र के द्वारा शिकायत की है कि दिनांक 28.09.2013 शनिवार को सॉय पॉच बजे के करीब रेस्पना पुल, देहरादून से वे बस सं0 यूके 07पीए–0679 में सवार हुये, बस ऋषिकेश हेतु आवाज लगा रही थी और देखने मे छोटी किन्तु परिवहन विभाग जैसी लग रही थी। बस में मौजूद ड्राइवर ने डोईवाला के बाद देहरादून से

सवार यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जिसने जो नोट 50/ अथवा 100/– रू दिया रख लिया, कोई टिकट नही दिया। पैसे वापिस मॉगने में र्दुव्यवाहर किया और कहा प्राइवेट गाड़ी में इतना ही लगेगा। अधिकतर सवारियॉ महिलायें थी जो चुप रही। उनके द्वारा छानबीन करने तथा ऐसी घटना दोबारा न हो हेतु निवेदन किया गया है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री अनिल दत्त थपलियाल पुत्र श्री विद्या दत्त थपलियाल म0न0–244 गॉधी ग्राम, नई बस्ती देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 7528/आरटीए/सीसी–568/धारा–86/14 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आपके द्वारा वाहन को जारी ठेका गाड़ी परमिट की शर्तों का उल्लघंन किया जा रहा है। पत्र के प्रतिउत्तर में वाहन स्वामी ने अपने पत्र दिनांक के द्वारा सूचित किया कि प्रार्थी की वाहन दिनांक 28.09.2013 को सुबह 8 बसे देहरादून से घनसाली के लिय बुकिंग पर गई तथा उनकी वाहन ने रास्ते में किसी को नहीं बैठाया। उनकी वाहन दिनांक 28.09.2013 को सॉय 5 बजे देहरादून से ऋषिकेश के लिये संचालित नहीं हुई। शिकायत कर्ता ने तंग करने व परेशान करने की नियत से शिकायत प्रेषित की है। वाहन स्वामी ने पत्र के साथ देव भूमि टूर एंव ट्रैवल, त्यागी रोड़, देहरादून की बुकिंग रसीद की छायाप्रति तथा दिनांक 29.09.2013 को वाहन का चालान जो लाटा रोड पर पुलिस विभाग द्वारा किया गया था की छायाप्रति संलग्न की है।

(8) रशिम सूद पुत्री श्री अशोक कुमार सूद, रेलवे रोड, डोईवाला, देहरादून ने अपने शिकायती पत्र 08.07.2014 के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 08.07.2014 को मैं व अन्य सवारियॉ विक्रम में बैठने के लिये एस्टले हॉल मे गये तो 2–3 विक्रम चालकों ने आरटीओ चैकिंग के नाम पर विक्रम से उतार दिया व चलने से मना कर दिया। एक अन्य विक्रम चालक चलने को राजी हुआ। हम लोग विक्रम में बैठकर सचिवालय गेट तक पहुॅचे ही थे कि सामने आरटीओ की चैकिंग देखकर विक्रम चालक विक्रम एस्टले हॉल की तरफ घुमाकर सभी सवारियों को उतरने के लिये कहा। मेरे व अन्य सवारियों के प्रतिरोध करने पर विक्रम चालक ने अभद्रता की एंव असभ्य भाषा का प्रयोग किया। जिससे सभी सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विक्रम चालकों इस व्यवहार से हम बडे क्षुब्ध हैं एंव मानसिक रूप से उद्धेलित हैं। उनके द्वारा विक्रम सं0 यूके 07टीए– 0229 के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन सं0 यूके 07टीए– 0229 के वाहन स्वामी श्री जगदीश लाल पुत्र श्री बी0डी0 नारंग 43, अरविन्द मार्ग, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 8994/आरटीए/टैम्पो– 2961/14 दिनांक 05.08.2014

के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(9) श्री आर0एस0 सुमन पुत्र श्री मूजी राम, 232 चुक्खूवाला, देहरादून ने अपने पत्र के द्वारा सूचित किया कि दिनांक 03.04.2014 को वाहन सं0 यूके 07पीए– 0578 ने तहसील से लाल पुल तक का रू0 6/– किराया चार्ज किया गया। मैने कहा कि किराये में फर्क क्यों और ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं इतने पर बदतमी करने लगा। मैंने कहा कि बत्तमीजी क्यों कर रहा। टिकट मॉगने पर धमकी दे डाली, और तो और ड्राईवर ने धमकी दे डाली।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी श्री सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री चन्दन सिंह पो0ओ0 चंलग, पो0ओ0– कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को कार्यालय के पंजीकृत पत्र सं0 8168/आरटीए/धारा–86/14 दिनांक 09.04.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रति उत्तर में वाहन स्वामी ने सूचित किया है कि तहसील से लाल पुल तक का किराया रू0 6 लिया गया है। जो एशोसिएशन द्वारा जारी की गई किराया सूची के अनुसार लिया गया है। उन्होंने सूचित किया है कि शिकायत कर्ता को टिकट गया था व किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है।

अतः प्राधिकरण, उक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–44 मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार एंव आदेश।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टैक्सी परिमटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

ओवरलोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान पाये पर चालान का निस्तारण प्राधिकरण के सचिव द्वारा करने के सम्बन्ध में स्वामियों व यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्राधिकरण के समक्ष निवेदन किया गया कि प्राधिकरण की बैठक काफी अन्तराल कें बाद होती है जिससे चालान का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालान के निस्तारण न

होने के कारण वाहन के प्रपत्र कार्यालय में जमा रहते हैं। यदि वाहन निरुद्ध होती है तो उस स्थिति में आरटीए की बैठक होने तक मामले को लम्बित रखने से वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाईयां व हानि होती हैं।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 11.11.11 में विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि **"ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिए सचिव को अधिकृत किया जाता है। सचिव ऐसे मामलों पर सामान्यतया देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा दो माह का निलम्बन करेंगे। वाहन के दो से अधिक चालान होने की दशा में प्रकिया यथावत रहेगी।"**

ओवरलोडिंग के अपराध में दो से अधिक चालान पाये गये वाहनों के विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्रीमती बबली देवी	टैम्पो–4136 यूके07टीए–3733	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.05.2012	निस्तारित	11 सवारी ओवरलोड
			यातायात पुलिस दिनांक–22.07.2012	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.04.2014	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	3 सवारी ओवरलोड
2.	श्रीमती सरोज	टैम्पो–4250 यूके07टीए–0845	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–29.01.2014	निस्तारित	1 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.02.2014	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.03.2014	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया	4 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–22.03.2014	गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	
3.	श्री रोहिताश सैनी	टैम्पो–4051 यूके07टीए–3642	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.05.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.11.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.02.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
4.	श्री राम गोपाल	टैम्पो–3192 यूके07टीए–2519	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–15.10.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.06.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–29.09.2013	निस्तारित निस्तारित निस्तारित(परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर हो	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
5..	श्रीमती उषा शर्मा	टैम्पों–3905 यूए07टी–1412	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–25.03.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.01.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
6	श्रीमती हेमलता	टैम्पों–4169 यूके07टीए–4169	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–14.04.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–04.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.01.2014	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	3 सवारी ओवरलोड
7	श्री रतन सिंह	टैम्पो–422 यूके07टीए–7378	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.06.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.05.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–18.01.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
8	श्री गवेश कुमार	टैम्पो–4293 यूके07टीए–2094	यातायात पुलिस दिनांक–19.09.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–06.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.03.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
9.	श्री सलीम अहमद	मैक्सी–4179 यूके07टीए–5561	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.03.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.11.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–25.01.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड

				कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	
10	श्री विनोद कुमार जोशी	मैक्सी–4135 यूके07टीए–5493	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.03.2013	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.08.2013	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.01.2014	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–03.04.2014	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
11	श्री प्रवीन कुमार	टैम्पो–0294 यूके07टीए–7230	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–14.04.2011	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			यातायात पुलिस दिनांक–30.08.2011	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–25.01.2014	अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
12	श्री रमेश तोपवाल	पीएसटीपी–2112 यूके07पीए–0290	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.07.2011	निस्तारित	7 सवारी ओवरलोड
			यातायात पुलिस दिनांक–10.10.2011	निस्तारित	15 सवारी ओवरलोड
			यातायात पुलिस दिनांक–10.02.2012	निस्तारित	9 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.09.2013	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	12 सवारी ओवरलोड

13	श्री इमरान खान	टैम्पो–3715 यूए07टी–1577	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–27.11.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.07.2012	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित(परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	4 सवारी ओवरलोड
14	श्री शुरवीर सिंह	यूपीसीओपी–1486 यूके07सीए–4742	दिनांक–07.05.2013 यातायात पुलिस	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			दिनांक–15.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			दिनांक–22.08.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.10.2012	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	5 सवारी ओवरलोड
15	श्री जनरैल सिंह	मैक्सी–4123 यूके07टीए–5481	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.04.2012	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.08.2012	निस्तारित	7 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–04.12.2012	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	6 सवारी ओवरलोड
16	श्री असलम परवेज	मैक्सी–3144 यूके07टीए–4535	यातायात पुलिस दिनांक–16.06.2011	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–03.07.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.12.2013	निस्तारित निस्तारित(परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कियागय कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	6 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
17	श्री सरदार खान	मैक्सी–4182 यूके07टीए–5562	यातायात पुलिस दिनांक–21.07.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.03.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.11.2013	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
18	श्री कृपाल नेगी	मैक्सी–3457 यूके07टीए–4920	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.06.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.08.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.12.2013	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
19	श्री अंकित कुमार	मैक्सी–3233 यूके07टीए–4634	यातायात पुलिस दिनांक–10.09.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.12.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–25.01.2014	(परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	
20	श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लों	मैक्सी–4150 यूके07टीए–5479	यातायात पुलिस दिनांक–21.07.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.11.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.0.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.12.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–12.03.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–31.05.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारति निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
21	श्री चतर सिंह	मैक्सी–1917 यूके07टीए–2749	यातायात पुलिस दिनांक–19.03.2010 यातायात पुलिस दिनांक–08.12.2010 यातायात पुलिस दिनांक–07.08.2013	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	5 सवारी ओरलोड 3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
22	श्री कुलदीप	मैक्सी–4026 यूके07टीए–5319	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.06.2012	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.03.2013	निस्तारित	6 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.11.2013	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	1 सवारी ओवरलोड
23	श्री गुलाब गिरी	मैक्सी–4139 यूके07टीए–5491	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–06.03.2012	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–18.04.2013	निस्तारित	1 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.06.2013	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.11.2013	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	2 सवारी ओवरलोड
24	श्री असद अली	मैक्सी–3193 यूके07टीए–4598	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.03.2012	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–03.09.2012	अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.08.2013	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.09.2013	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	4 सवारी ओवरलोड
25	श्री मदन	टैम्पों–2990	स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	2 सवारी ओवरर्लोड

	सिंह भण्डारी	यूके07टीए–2407	दिनांक–11.10.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–31.07.2014	निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
26	श्री राजेन्द्र कुमार	टैम्पों–3401 यूके07टीए–3629	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.05.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–28.09.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–26.02.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	1 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
27	श्री विजय यादव	टैम्पो–965 यूके07टीए–5602	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–26.11.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–26.12.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
28	श्री मनोज पन्त	टैम्पो–2660 यूके07टीए–4183	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.09.2011	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–06.06.2012	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–21.03.2013	निस्तारित	2 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–29.07.2013	निस्तारित	1 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.07.2014	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	3 सवारी ओवरलोड
29.	श्री नरेन्द्र कुमार	टैम्पो–2707 यूके07टीए–3811	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–01.05.2012	निस्तारित	1 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.05.2013	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.06.2013	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	3 सवारी ओवरलोड
30	श्री मोहन कुमार डोडी	टैम्पो–429 यूके07टीए–2230	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–30.6.2011	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.10.2012	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.10.2012	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–15.01.2014	निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है	3 सवारी ओवरलोड

				कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	
31	श्री फुरकान	टैम्पो–779 यूके07टीए–3785	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.10.2011 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–15.10.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–10.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)।	4 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड
32	श्री सुनील कुमार	मैक्सी–4125 यूके07टीए–5483	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–19.07.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.11.2013 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–25.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	9 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
33	श्री सतेन्द्र कुमार	मैक्सी–4177 यूके07टीए–5554	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–18.09.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.12.2012 स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–29.01.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.07.2014	अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड
34	श्री धर्म सिंह	टैम्पो–3397 यूए07टी–6024	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–22.04.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–19.05.2014 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–09.07.2014	निस्तारित निस्तारित निस्तारित (परमिट धारक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि,बैठक में जो भी जुर्माना होगा, उन्हें मंजूर होगा)	1 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 1 सवारी ओवरलोड

अतः प्राधिकरण, उक्त मामलों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 की अनुपूरक कार्य सूची।

मद सं0– 1 (अनुपूरक)

परेड ग्राउन्ड–सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेशः–

श्री दानवीर सिंह नेगी पुत्र श्री जे0एस0 नेगी, ग्राम–श्यामपुर, पो0ओ0–अम्बीवाला तथा अन्य के पत्र दिनांक 06.09.2014 के साथ याचिका सं0 2023/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि परेड ग्राउण्ड–सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार हमारे आवेदनों का निस्तारण कर जनहित में उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने की कृपा करें। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 29.08.14 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" The only grievance of the petitioner is that application of petitioner seeking permission of the route known as Prade Ground to Selaqui is not being taken up for consideration in a meeting of RTA for know sufficient. Mr. S.S. Chauhan, learned Deputy Advocate General fairly submits that if application of the petitioner is found to be in order, same shall be considered at its own merit in accordance with law in the next RTA meeting. However, if any formal defect is observed in the application, petitioner shall be given opportunity to cure the defect so that application may be taken up for consideration either in the next meeting or in the next to next meeting positively.

Mr. B.P. Bahuguna learned council for the petitioner submits that present petition may be disposed off in light of statement made by Mr. S.S. Chaauhan, learned Deputy Advocate General.

Ordered accordingly.

CLMA No. 9588 of 2014 also stand disposed of accordingly. "

इस सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार हैः–

देहरादून–सेलाकुई मार्ग पर पूर्व में परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा देहरादून में निजी नगर बस सेवा संचालन हेतु मार्गों को वर्गीकृत किया गया था। जिसमें देहरादून–सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.2010 में मद सं0 5(12) (परिष्टि ढ) के अन्तर्गत विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किये थेः–

"मद सं0–5 के अन्तर्गत नगर बस सेवा मार्गो पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मद में वर्णित मागों के सम्बन्ध में क्रमानुसार विचारोपरान्त निम्न प्रकार आदेश पारित किये जाते हैं।

देहरादून नगर में वर्ष 1996 से पूर्व परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा देहरादून नगर में निजी नगर बस सेवा चलाने हेतु 14 मार्गो को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें देहरादून–सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्गीकृत मार्गो का अनुमोदन करने हेतु कार्यालय के पत्र सं0–2772/आरटीए/नौ–37/98 दिनांक 01.07.98 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0–1672/एसटीए/स्टैज/99 दिनांक 13.05.99 द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 के पद सं0–13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त इन मार्गों को वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया था।

अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखण्ड ने सूचित किया था कि सेलाकुई क्षेत्र में अनेक औधोगिक इकाईयां स्थापित हो जाने के कारण यहॉ पर फैक्ट्री के कर्मचारियों को डयूटी पर आने तथा वापस जाने हेतु कोई यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पडता है। उनके द्वारा देहरादून से सेलाकुई तक नगर बस सेवा चलाने की मांग की गई थी।

पूर्व सैनिक –असैनिक जनकल्याण एवम् ग्राम सुधार समिति हरिपुर, सेलाकुई ने अपने पत्र सं0–50 दिनांक 06.11.09 द्वारा अवगत कराया है कि इस मार्ग पर डाकपत्थर मोटर आनर्स यूनियन की बसों में बैठने की तो क्या धुसने की जगह भी नहीं मिलती कई बार दफ्तर/कालेज जाने वालों को अनावश्यक अवकाश करना पडता है। इन बसों में भेड–बकरियों की तरह ठुंसे जाने के लिये आम जनता बेबस है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि डाकपत्थर वाली बसें आईएसबीटी तक जाती हैं, जबकि 80 प्रतिशत लोगों को दफ्तर, कालेज अथवा बाजार जाना पडता है। जिसके कारण उन्हें प्रेमनगर से दूसरी बस अथवा टैम्पो आदि का सहारा लेना पडता है। उन्होंने सेलाकुई से परेड ग्राउन्ड, देहरादून तक के लिये नगर बस सेवा चलाने की प्रार्थना की है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0–5300/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/06 दिनांक 06.12.06 द्वारा सूचित किया था कि प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 23 किमी0 है। मार्ग का सहारनपुर चौक से कांवली रोड होते हुए बल्लीवाला चौक तक संकरा होने के कारण मार्ग पर 133 इंच व्हीलबेस की छोटी बसें चलाई जानी उपयुक्त होंगी। उन्होंने अपनी आख्या में यह भी कहा है कि वर्तमान में सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं कुछ फैक्टरियों का निर्माण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्वि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनें बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकडना पडता है, जिनमें काफी भीड होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पडता है। इसी प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते–आते भर जाती हैं, जिससे फैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनें भी बदलती पडती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। उनके द्वारा मार्ग पर 8 परमिट दिये जाने की संस्तुति की गई थी।

श्री दानवीर सिंह नेगी, पुत्र जे0 एस0 नेगी ने अपने पत्र दिनांक 18.06.10 द्वारा सूचित किया है कि मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व याचिका सं0–2047/एमएस/07 दायर की गयी थी। मा0उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे। इस याचिका श्री दानवीर सिंह नेगी, तथा सर्व श्री महेशपाल मैनी, कुलिन्दर, स्वाति ठाकुर, ओम प्रकाश, श्री मोहन सिंह, श्रीमती संगीता देवी तथा अनूप कुमार प्रतिवादी बने थे। और उनके द्वारा

उक्त याचिका में पैरवी करने के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

देहरादून–सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व देहरादून–डाकपत्थर मार्ग के आपरेटरों द्वारा याचिका सं0–1562/एमएस/06 तथा 2047/एमएस/07 दायर की गयी थी, जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय में याचिका गतिमान होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर रामपुर देहरादून ने भी उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व आपत्ति की है कि जब तक उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक मार्ग पर नये परमिट स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या–1111/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून–प्रेमनगर तक मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है।उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–प्रेमनगर तक मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। शासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या–2134/ 30–2–94–240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संशोधन किया गया था । इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ–2 देहरादून नगर में भी 20 किमी0 अर्धब्यास के भीतर (विशेष परिस्थितियों में 25 किमी0 अर्धब्यास में) निजि क्षेत्र की बसों द्वारा सडक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण

की अधिसूचना में संशोधन हो जाने के पश्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–228 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिशिष्ट "**ढ**" में दिया गया है, इसके अतिरिक्त 11 प्रार्थना पत्रों का विवरण अनुपुरक सूची में उल्लेखित है। प्राधिकरण द्वारा परिशिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 10 प्रार्थी ही उपस्थित हुऐ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि **इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा,, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।"**

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि पूर्व में घंटाघर से कनाट प्लेस–चकराता रोड़ होते बसों के संचालन पर रोक होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का वर्गीकरण वाया प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक– कांवली रोड़–बल्लीवाला चौक–जी0एम0एस0 रोड़ होते हुये किया गया था। वर्तमान में घंटाघर से चकराता रोड़–कनाट प्लेस होते हुये बसों का संचालन हो रहा है। अतः उक्त मार्ग को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जा सकता है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण परिशिष्ट "**य**" में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 2 (अनुपूरक)

देहरादून संभाग के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रो से जारी विक्रम टैम्पो तथा ऑटो रिक्शा परमिटों पर संचालित वाहनों के लिये केन्द्र बिन्दु (स्थान) निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

(अ) प्राधिकरण द्वारा विक्रम टैम्पो वाहनों के परमिट निम्नलिखित केन्द्रों (पहाडी मार्गो को छोडकर)से जारी किये गये है।

1. देहरादून केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
2. विकासनगर केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
3. धर्मावाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
4. बडोवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
5. डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये। (इस केन्द्र के वाहनों का संचालन रिस्पना पुल से आगे देहरादून शहर की ओर प्रतिबन्धित है।)
6. डोईवाला (ग्रामीण) केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये। (इस केन्द्र के वाहनों का संचालन डोईवाला में लच्छीवाला रेलवे पुल से आगे देहरादून की ओर, ऋषिकेश मार्ग पर नटराज चौक से आगे तथा हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फार्म से आगे नहीं किया जायेगा।
7. ऋषिकेश केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
8. हरिद्वार केन्द्र से 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये(इस केन्द्र के वाहनों को डोईवाला तथा मुनी रेती क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है।
9. रूडकी केन्द्र से 25/40 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
10. लक्सर केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।

(ब) प्राधिकरण द्वारा ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट निम्नलिखित केन्द्रों (पहाडी मार्गो को छोडकर तथा देहरादून संभाग के अन्तर्गत) के लिये जारी किये गये है।

1. देहरादून केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
2. ऋषिकेश केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।
3. हरिद्वार केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये। (इस केन्द्र के वाहनों का संचालन ऋषिकेश शहर की दिशा में अधिकत्तम चार धाम बस अडडे तक किया जायेगा। इन वाहनों का संचालन मुनी की रेती तथा लक्ष्मण झूला में प्रतिबन्धित है।)
4. रूडकी केन्द्र से 25 किमी0 अर्द्धव्यास क्षेत्र के लिये।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त वाहनों के संचालन हेतु प्रत्येक केन्द्र बिन्दु/स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 की कार्यवाही

उपस्थित :–

1. श्री सी0 एस0 नपलच्याल — अध्यक्ष
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।
2. श्री रमेश बुटोला, — सदस्य
   144/11, नेशविला रोड़
   देहरादून।
3. श्री अरविन्द शर्मा, — सदस्य
   345 विवेक विहार
   हरिद्वार।
4. श्री दिनेश चन्द्र पठोई — पदेन सचिव
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

संकल्प सं0 –1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 04–12–13 की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प सं0 –2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प सं0 –3 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अ ब स द पर जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन सचिव द्वारा प्रत्येक माह कराया जायेगा।

संकल्प सं0 –4

इस मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी को और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अपने अधिकार/शक्ति का प्रत्यायोजन करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इस मद के अन्तर्गत मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(5) तथा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली– 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अधिकार/शक्ति का प्रत्योजन करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया है। मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि संभागीय परिवहन अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को अधिकारो/शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत किया जाता है :–

अधिकारी का पद नाम जिनको अधिकार प्रदत्त किये गये	**कार्य का विवरण**
संभागीय परिवहन अधिकारी एंव उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (केवल संभाग में)।	**एक**– मंजिली गाडी, प्राईवेट सेवायान, जनभार वाहन तथा राष्ट्रीय जनभार वाहन के परमिट स्वीकृत करने एंव मंजिली गाडी, प्राईवेट सेवायान, जनभार वाहन, राष्ट्रीय जनभार वाहन, ठेका गाडी के परमिट नवीनीकरण एंव अन्तरण करने की शक्ति। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली गाडी के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ही दिये जायेगें। **दो–(क)**– धारा 87(ए) के अन्तर्गत विशेष अवसरों जैसे मेला एंव धार्मिक समारोहों पर अस्थाई यात्री गाडी परमिट जिनकी वैधता सामान्यतयः एक सप्ताह से अधिक न हो, देने की शक्ति। **(ख)(1)**– सवारी गाड़ी के किसी स्थायी परमिट के समर्पित या प्रतिस्थापित होने से उत्पन्न अस्थायी रिक्ति को पूर्ण करने हेतु धारा 87(सी) के अन्तर्गत अस्थायी सवारी गाडी परमिट देने का अधिकार, यदि विवाद न हो। **(2)**– परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट के समाप्त होने

	पर पुनः उन्हीं शर्तों पर एक बार चार माह के लिये, यदि विवाद न हो, जारी करने का अधिकार। **(ग)**– स्थायी परमिट के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने की दशा में धारा 87(डी) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट देने का अधिकार। **(घ)**– धारा 87(सी) तथा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक वापसी फेरे के लिए वैध होंगे। **तीन**– धारा 88 के अन्तर्गत अर्न्तराज्यीय मार्गो पर जनभार वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब परमिटों को प्रतिहस्ताक्षर करने का अधिकार। **चार**– धारा 83 एंव नियमावली के नियम 85 के अन्तर्गत दूसरी समान या ऊँचे मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन करने का अधिकार। **पॉच**– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 89 के अधीन परमिट की द्वितीय प्रति जारी करने का अधिकार।
संभागीय परिवहन अधिकारी	**एक**– धारा 86(4) के अन्तर्गत परमिट के निलम्बन एंव आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार इस शर्त के साथ कि निलम्बन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। **दो**– धारा 103 के अन्तर्गत राज्य परिवहन निगम की बसों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट देने का अधिकार।
संभाग के समस्त उपसंभागों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) एंव उनकी अनुपस्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	धारा 87(सी) तथा धारा 88(8) के अन्तर्गत विवाह, रिजर्व पार्टी के लिये विशेष अस्थायी परमिट दिये जाने का अधिकार। इस प्रकार के परमिट केवल एक बार जाने एंव वापस आने के लिये वैध होंगे।

संभाग के जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी	मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड(ग) के अधीन यात्री वाहनों की शादी– विवाह के लिए अस्थायी परमिट स्वीकृत करने की शक्ति। यह परमिट केवल एक बार जाने एंव वापस आने के लिये वैध होंगे।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होगी। संशोधित नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0 –5 इस मद के अन्तर्गत मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत चालानों को कार्यवाही हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष भेजने तथा चालानों के लिये प्रशमन शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु नीति निर्धारित की जाती हैः–

मोटर गाडी अधिनियम –1988 की धारा– 86 (सी) (डी) एंव (ई) के प्रकरणों में प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण अनिवार्य रूप से प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों पर 86(4) में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त धारा–86 (ए) व (बी) के निम्न् अभियोगों में किये गये चालान (प्रथम अथवा अनुवर्ती) को गम्भीर श्रेणी में रखकर उनको निस्तारण भी प्राधिकरण के द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रशमन सचिव द्वारा धारा 86 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

1. **भार वाहन के मामले।**
   (क) क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक भार ले जाने पर।
   (ख) 05 तथा 05 से अधिक सवारी मैदानी क्षेत्र में और 03 या 03 से अधिक सवारी पर्वतीय क्षेत्र में किराये पर ले जाने पर।
   (ग) क्षमता से मैदानी क्षेत्र में 10 और पर्वतीय क्षेत्र में 05 ब्यक्ति अधिक ले जाने पर।
   (घ) बिना स्वास्थता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
   (च) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

2. **सवारी गाड़ी के मामले।**
   (क) निर्धारित क्षमता से 20 प्रतिशत सवारी ले जाने के मामले।
   (ख) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
   (ग) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
   (घ) बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
   (च़) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
   (छ) 05 तथा 05 से अधिक बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले।
   (ज) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

3. **टैक्सी/मैक्सी/ऑटो रिक्शा/टैम्पो वाहनों के मामले**
   (क) टैक्सी/मैक्सी, टैम्पो तथा दो/तीन सीट की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में क्षमता से 02 सवारी अधिक ले जाने के मामले।
   (ख) बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने के मामले।
   (ग) निर्धारित दरों से अधिक किराया लेने के मामले।
   (घ) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले।
   (च) परमिट में दिये गये मार्ग के अलावा अन्य मार्ग पर गाड़ी चलाना।
   (छ) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर।

प्राधिकरण द्वारा धारा–86 के अन्तर्गत निलम्बन व निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु धारा 86(ए), (बी) व (ई) के अन्तर्गत निम्न अभियोगों में प्राप्त चालानों के प्रथम अभियोग को प्रशमित करने हेतु निम्नवत प्रशमन शुल्क निर्धारित किया हैः–

1. **भार वाहनों के मामले।**

(अ) अधिक भार ले जाने पर	–	शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
(ब) अधिक/किराये पर सवारी ले जाने पर	–	रू0 500 प्रति सवारी
(सी) धारा– 86(ई) के उल्लंघन पर	–	रू0 4000/–

2. **01 से 12 की सीटिंग क्षमता तक की वाहनों के लिये।**

(अ) ओवरलोड़िग के लिये	–	रू0 500 प्रति सवारी।
(ब) मार्ग/क्षेत्र एंव उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 4000 प्रति अभियोग।
(स) सामान्य एंव अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन(नियम–71 की शर्त को छोडकर)–		रू0 1000 प्रति अभियोग।

3. **12 से अधिक सीटिंग क्षमता की वाहनों के लिये।**

(अ) ओवरलोड़िग के लिये	–	रू0 1000 प्रति सवारी।
(ब) मार्ग/क्षेत्र एंव उद्देश्य सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन	–	रू0 8000 प्रति अभियोग।
(स) सामान्य एंव अन्य अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन (नियम–71 की शर्त को छोडकर)–रू0 2000 प्रति अभियोग।		

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 के संकल्प सं0 19(अ) एंव दिनांक 11.11.11 में ठेका परमिट वाहनों में ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिये सचिव को अधिकृत किया गया है। सचिव ऐसे मामलों में सामान्यतयाः देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा परमिट को दो माह के लिये निम्लबित करेंगे।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि सभी प्रकार के यात्री वाहनों के ओवरलोडिग के दो चालान होने पर दिनांक 08.10.10 एंव दिनांक 11.11.11 को लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार सचिव के द्वारा कार्यवाही की जायेगी एंव ओवर लोडिंग के दो चालानों के पश्चात अनुवर्ती चालानों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 86 (ए), (बी) व (ई) के

प्रथम अभियोगों के उपरोक्तानुसार प्रशमन हेतु सचिव, को अधिकृत किया जाता है। सचिव के अतिरिक्त अन्य परिवहन अधिकारी के द्वारा प्रशमन नहीं किया जायेगा। प्रशमन हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर सहमति देनी अनिवार्य होगी। सहमति पत्र का प्रारूप सचिव द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्णित मार्ग/क्षेत्र सम्बन्धी परमिट शर्तों का उल्लंघन तथा अन्य शर्तो का उल्लंघन होने पर प्रथम बार चालान होने पर चालान उक्तानुसार प्रशमित किया जायेगा तथा द्वितीय बार चालान होने पर सचिव के द्वारा अधिकत्तम 6 माह के लिये परमिट का निलम्बन किया जा सकेगा एंव तृतीय बार चालान होने पर सचिव मामले को निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत करेगें। तृतीय बार चालान होने पर सचिव, द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, वरन ऐसे नवीनीकरण के प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0 –6 इस मद के अन्तर्गत नई पंजीकृत वाहनों के परमिट विलम्ब से प्राप्त होने पर प्रशमन शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रायः वाहन स्वामीयों द्वारा वाहनों को पंजीकृत कराने के पश्चात अथवा वाहनों के परमिट समाप्त हो जाने पर समय से नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तथा वाहनें बिना परमिट संचालित होती रहती है। चैकिंग के दौरान ऐसे वाहनों के द्वारा यात्रियों को तेजी से बल पूर्वक बीच मार्ग में छोडने का प्रयास किया जाता है अथवा चालान से बचने हेतु तेजी व अनियन्त्रित तरीके से वाहन संचालित किया जाता है। दोनों ही स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क निर्धारित किये हैं।

1. **नई पंजीकृत यात्री वाहनों के लिये**

(क) पंजीकृत होने के पश्चात सात दिन तक – निशुल्क।

(ख पंजीकृत होने के सात दिन के पश्चातः–

12 सीटिंग क्षमता तक की वाहन(चालक को छोडकर)	– रू0 1000 प्रति माह।
12 सीटिंग क्षमता से अधिक की वाहन (चालक को छोडकर)	– रू0 1500 प्रति माह

2. **भार वाहनों के लिये।**

(क)	पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात सात दिन तक	– निशुल्क।
(ख)	सात दिन के पश्चातः–	
	हल्की भार वाहन	– रू0 500 प्रति माह।
	मध्यम भार वाहन	– रू0 1000 प्रति माह।
	भारी माल वाहन	– रू0 2000 प्रति माह।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0–7 इस मद के अन्तर्गत माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने व जारी की गई अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 2007 तथा माल वहन नियमावली 2011 बनायी गई है। इस अधिनियम की धारा 3 में भी प्राविधान है कि **कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।**

प्राधिकरण ने मामले में विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित 1 से 9 को जारी की गई अनुज्ञप्तियों का अनुमोदन किया जाता है। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जायें। प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की आगामी बैठक में आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0–8– इस मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका परमिटों मे अतिरिक्त शर्त के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 71 में यह प्राविधान है कि मोटर टैक्सी से भिन्न प्रत्येक ठेका गाडी की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होगीः–

(एक) परमिट धारक प्रत्येक फेरे के सम्बन्ध में यान में यात्रा करने वाले यात्रियो की एक सूची तीन प्रतियों में निम्नलिखित प्रपत्र में तैयार करायेगा।

यात्रियों की सूची

मोटर यान की संख्या ..... दिनांक .....
प्रस्थान का समय .....से .....तक।

क्रम संख्या	यात्री का नाम पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	2	3	4	5

(दो) सूची की एक प्रति अभिलेख के लिये रजिस्टर्ड पावती डाक द्वारा ऐसे प्राधिकरण को भेजी जायेगी जिसने परमिट जारी किया हो। दूसरी प्रति यान में ले जायी जायेगी और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जायेगी, तृतीय प्रति परमिट धारक द्वारा परिरक्षित की जायेगी,

(तीन) परमिट धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता प्राप्त भाड़े के भुगतान की भाड़ेदार को एक रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिपर्ण अपने पास उपलब्ध रखेगा और अधिनियम के द्वारा या अधीन दस्तावेजों की मांग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की मांग करने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) परमिट धारक दिन–प्रतिदिन की वार्षिक लॉग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक के नाम और पते और यान के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के विवरणों सहित ड्राइवर के नाम और पते को और प्रस्थान और पहुंचने के समय सहित यात्रा के प्रारम्भ और गन्तव्य बिन्दुओं को और भाड़ेदार का नाम और पता इंगित किया जायेगा,

(पांच) परमिट धारक, परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट जारी किया हो, को उर्पयुक्त शर्त (चार) में विनिर्दिष्ट लॉगबुक का उद्धरण त्रैमासिक भेजेगा। उक्त लॉग बुक तीन वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित की जायेगी और जब कभी अपेक्षा की जायेगी उक्त अवधि के दौरान निरीक्षण के लिए उक्त अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगीः परन्तु इस नियम की कोई बात किसी विवाह पार्टी को ले जाने के लिये किराये पर लिये गए किसी ठेका गाड़ी पर लागू नही होगी।

उपरोक्त शर्त (2) में यात्रियों की सूची तथा (5) में लॉग बुक का उद्धरण त्रैमासिक सम्बन्धित प्राधिकरण को भेजी जाने का प्राविधान है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने याचिका सं0 2290, 2576/2011 तथा 2766/एमएस/2013 का निस्तारण करते हुये दिनांक 27.05.2014 को आदेश पारित किये हैं कि उक्त नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन कराया जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली के नियम 71 में दिये गये प्राविधान के अनुसार ठेका गाडी परमिट की अतिरिक्त शर्त का अनुपालन नहीं करने/त्रैमासिक विवरण नहीं भेजने पर प्रथम बार मैक्सी कैब वाहनों के लिये रू0 1500/– प्रशमन शुल्क तथा 12 से अधिक सीटिंग क्षमता वाले वाहनों के लिये रू0 2500/– प्रशमन शुल्क वसूला जायेगा। द्वितीय बार शर्त का पालन न किये जाने पर सचिव द्वारा मोटर यान अधिनियम–1988 की धारा 86(4) में प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत वाहन के परमिट को अधिकतम 06 माह के लिये निलम्बित किया जा सकेगा तथा तृतीय बार अपराध की पुनरावृति होने पर परमिट के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0:– 9 इस मद के अन्तर्गत स्थाई सवारी गाडी, टैम्पो तथा ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट को नवीनीकरण करने के लिये नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 81(1) में प्राविधान है कि स्थाई परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगें। धारा 81(2) में यह प्राविधान है कि परमिट के नवीनीकरण का आवदेन पत्र परमिट समाप्त होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व दिया जायेगा। धारा 81(3) में यह प्राविधान है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण नवीनीकरण के लिये दिये गये आवेदन पत्र को उपधारा 2 में दिये गये विनिदिष्ट अन्तिम तिथि के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिदिष्टि समय के अन्दर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकार के परमिटों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार नीति निर्धारित की जाती है:–

1. **स्टैज कैरिज परमिट:–**
   (1) गत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।
   (2) परमिट की पिछली वैधता के दौरान प्रत्येक चालान के लिये रू0 500/– प्रति चालान की दर से जुर्माना देय होगा तथा यदि कर अपवंचना का अभियोग हो तो रू0 1000/– प्रति चालान की दर से देय होगा।
   (3) नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 15 दिन तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। 15 दिन से अधिक से छः माह तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये 500 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों के लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये 12+1 सीटर क्षमता तक के वाहन के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक क्षमता के वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा। एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
   (4) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. **टैम्पो परमिट**–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 500/ प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 1000/ प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा।

1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 200/– प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

3. **<u>ऑटो परमिट</u>**–

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये रू0 200/ प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये रू0 500/– प्रशमन शुल्क प्रति माह।

1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त परमिट की वैधता के दौरान पाये गये चालानो के लिये रू0 200/– प्रति चालान प्रशमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

4. **ठेका गाडी/ टैक्सी/ मैक्सी कैब परमिट–**

(1) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व परमिट धारक द्वारा लम्बित चालानों के निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) विगत एक वर्ष की अवधि में जिन वाहन स्वामियों द्वारा कर विलम्ब से जमा किया गया है उनमें प्रथम बार विलम्ब से कर जमा करने पर क्षमा किया जायेगा। दूसरी बार के विलम्ब को रू0 100/– शुल्क और उसके पश्चात प्रत्येक बार के विलम्ब के लिये रूपया 150/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(3) नवीनीकरण प्राप्त करने से पूर्व जो वाहनें फाईनेन्स में हो उनको फाईनेन्स का अनापत्ति प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) उत्तराखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली– 2011 के नियम 82(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति से वाहन की उपयुक्तता का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा एंव वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र एक माह तक के विलम्ब को क्षमा किया जायेगा। एक माह से छः माह तक के विलम्ब के लिये टैक्सी/मैक्सी के लिये रू0 500/ एंव 12+1 सीटर से अधिक वाहनों लिये रू0 1000 प्रशमन शुल्क प्रति माह। छः माह से एक साल तक के विलम्ब के लिये टैक्सी/मैक्सी के लिये रू0 1000 एंव 12+1 सीटर से अधिक वाहनों लिये रू0 2000 प्रशमन शुल्क प्रति माह देय होगा।

1 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0–10:– इस मद के अन्तर्गत ठेका परमिट से आच्छादित वाहनों पर शर्त अधिरोपित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया हैं। प्राधिकरण ने अपनी भिन्न–भिन्न बैठकों में ठेका गाडी परमिटों पर संचालित वाहनों के परमिटों पर निम्नलिखित शर्त अधिरोपित की गई हैं।

1. यात्रियों से लिया गया किराया समय–समय पर मोटरगाडी अधिनियम– 1988 की धारा 67(1) जारी अधिसूचना में निर्धारित किराये से अधिक नहीं होगा।
2. सडक नियमों का कडाई से पालन किया जायेगा।
3. वाहन के प्रतिदिन संचालन के सम्बन्ध में एक लॉग बुक रखी जायेगीं(मोटर कैब को छोडकर)। जो वाहन में निरीक्षण हेतु रखी जायेगी।
4. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र परमिट की समाप्ति से 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।
5. परमिट से आच्छादित वाहन का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वाहन के प्रति देय कर जमा न किया हो।
6. मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा– 84 में दी गई सवैधानिक शर्तों का पालन किया जायेगा।
7. परमिट से आच्छादित वाहन मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 39 व 49 के प्राविधानों के विपरीत प्रयोग नहीं की जायेगी और ना ही प्रयोग करने के लिये स्वीकृति दी जायेगी।
8. मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 82 के अनुसार परमिट बिना आटीए के स्वीकृत के किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
9. वाहन में क्षमता से अधिक सवारियॉ परिवहन नहीं की जायेगी।
10. टैक्सी/मैक्सी की स्थिति में परमिट से आच्छादित वाहन का संचालन पहाडी मार्गो में 12 वर्ष एंव मैदानी मार्गों में 15 वर्ष तक ही किया जायेगा। ठेका परमिट से आच्छादित बसों की स्थिति में वाहन का संचालन पहाडी मार्गो में 15 वर्ष तक किया जायेगा।
11. शराब का सेवन कर वाहन का संचालन नही किया जायेगा।
12. चप्पल पहनकर वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा।
13. पहाडी मार्गो पर वाहन का संचालन रात्रि में नहीं किया जायेगा।

14. वाहन की छत पर सवारियॉ परिवहन नहीं की जायेगी।
15. परमिट से आच्छादित वाहन ऐसे किसी स्टैण्ड अथवा उसके आस–पास खडा नहीं किया जायेगा जो स्टैज कैरिज वाहनो के लिये प्रयोग किया जा रहा हो।
16. वाहन में प्राथमिक उपचार पेटिका (First Aid Box) बाक्स रखा जायेगा।
17 .चालक केबिन में टेपरिकार्ड नहीं लगा होना चाहिये।
18. वाहन के अग्र भाग में चालक एंव यात्री हेतु दो बेकेट सीट अलग होनी चाहिये(अन्यथा चालक केबिन में पार्टिशन/रॉड लगाया जाना अनिवार्य होगा)।
19. वाहन को नदी नालों एंव जल स्रोतों में धोकर जल प्रदूषित नहीं किया जायेगा।
20. पर्वतीय मार्गों पर संचालन होने पर वाहन में लकडी का गुटका रखा जायेगा।
21. वाहन स्वामी कूडा डालने हेतु वाहन में कूडा बैग (कूडादान) लगायेगे तथा सभी प्रकार का कूडा, कूडाबैग में ही डाला जायेगा।
22. वाहन का प्रयोग स्टैज कैरिज के रूप में नहीं किया जायेगा।
23. वाहन का संचालन वाहन स्वामी गैराज/निजी बुकिंग कार्यालय से किया जायेगां

ठेका वाहनों के द्वारा स्टैज कैरिज के रूप में संचालन की शिकायतें विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रही है। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में कई याचिकायें योजित की गई हैं। सिटी बस यूनियन व अन्य परिवहन संगठनों के द्वारा भी ठेका वाहनों के द्वारा स्टैज कैरिज के रूप में संचालन होने पर रोष ब्यक्त किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2290, 2576/एमएस/2011 एं0 2766/एमएस/13 में आदेश पारित किये हैं कि ठेका वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालन न करने दिया जाये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि ठेका वाहनों के परमिट हेतु आवेदन के साथ आवेदक को गैराज की स्थिति स्पष्ट करते हुये, वाहन का संचालन गैराज से ही किया जायेगा तथा वाहन का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में नहीं किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप सचिव द्वारा निर्धारित किया जायेगा। आवश्यकता प्रतीत होने पर सचिव, शपथ पत्रों का सत्यापन करा सकेंगे। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त शर्तें यथावत् रहेगी तथा भविष्य में ठेका गाडी हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की

बैठक में आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। ठेका वाहनों के स्थाई सवारी गाडी परमिट प्राधिकरण के द्वारा ही स्वीकृत किये जायेंगे।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0–11:– इस मद के अन्तर्गत देहरादून केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामले पर विचार किया गया। अन्य केन्द्रो की वाहनों का देहरादून में अवैध संचालन रोकने के उददेश्य से देहरादून केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो वाहनों हेतु नीला रंग निर्धारित करने के सम्बन्ध विचार किया जाये।

प्राधिकरण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि देहरादून केन्द्र से संचालित वाहनों के लिये नीला रंग निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहनों की दोनो ओर केन्द्र का नाम, परमिट धारक, परमिट संख्या एंव वैधता अंकित की जायेगी।

संकल्प सं0–12– इस मद के अन्तर्गत स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर वाहनों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 83 मे प्राविधान है कि परमिट धारक, प्राधिकारी जिसके द्वारा परमिट प्रदत्त किया गया था कि अनुमति से परमिट पर आच्छादित किसी यान को उसी प्रकृति के किसी दूसरे यान से प्रतिस्थापित कर सकेगा।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 85(1) में यह प्राविधान है कि यदि परमिट धारक किसी समय परमिट के अन्तर्गत आने वाली किसी यान को दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहता है तो वह नियम 126 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रपत्र एसआर 32 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, कारण उल्लेखित करते हुये कि क्यों प्रतिस्थापन वांछित है, आवेदन करेगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित नीति में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार प्रशमन शुल्क जमा करने पर केवल ऊच्चे माडॅल की वाहन को प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैः–

1. छः माह तक निशुल्क।
2. छः माह से अधिक एंव एक वर्ष तक के लिये रू0 2000/– प्रशमन शुल्क।
3. एक वर्ष से अधिक होने पर प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

कार्यहित में उपरोक्त निर्धारित नीति एंव प्रशमन शुल्क की दरों में संशय व दोहराव न रहे। इस हेतु उक्त नीति व प्रशमन शुल्क की दरें अक्टूबर, 2014 की प्रथम तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित नीति व दरों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

संकल्प सं0 13:– इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 15/11 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 12.12.2011 के अनुपालन में आईएसबीटी–परेड ग्राउण्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में संकल्प सं 7 द्वारा आई0एस0बी0टी0–परेड ग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर परिवहन निगम 04 सवारी गाडी परमिट फ्लीट आर्नर के रूप में स्वीकृत किये गये थे तथा शेष प्रार्थना पत्रों को रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

प्राधिकरण के इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द, 613 राजेन्द्र नगर, देहरादून ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 15/11 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण अपने आदेश दिनांक 12.12.11 द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेशों के निरस्त करते हुये आदेश पारित किये है कि प्राधिकरण पुनः सभी प्रार्थियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर आदेश पारित करे। मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 521/एमएस/12 दायर की थी। परन्तु याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका वापस लिये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.04.2014 को आदेश पारित किये है कि अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर भी विचार किया जाये।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट क** मे दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में कुल 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

पुकारे जाने पर प्राधिकरण के सम्मुख श्री अशोक कुमार, श्रीमती कामिनी टण्डन की ओर से उनके पति श्री विवेक कुमार एंव श्री हिमांशु उपस्थित हुये। उनके द्वारा परमिट स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2008 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एंव देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0–14 इस मद के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द की अपील सं0 1/12 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेनटाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त अपीलकर्ता तथा अन्य प्राथियों के प्रार्थना पत्रों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर श्री अशोक कुमार, सुभाष चन्द, श्री एस0के0 श्रीवास्तव, रामकुमार सैनी उपस्थित हुये। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर याचिका वापस ले ली है। परन्तु उनके द्वारा याचिका को वापस लेने का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री गोपाल सिंह भण्डारी ने प्राधिकरण के सम्मुख मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा है कि मार्ग पर कुल 34 परमिट पूर्व से जारी तथा उक्त मार्ग को कई अन्य मार्गो की बसें ओवरलेप करती है। साथ ही विक्रम टैम्पो वाहनें भी संचालित है। जिस कारण मार्ग पर बसों का संचालन लाभप्रद नहीं हो रहा है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों के लिये 04 परमिट स्वीकृत किये गये थे। श्री अशोक कुमार ने इन आदेशों के विरूद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.12 द्वारा संभागीय परिवहन

प्राधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुये आदेश पारित किये थे कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण पुनः सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार कर आदेश पारित करे।

मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने इस बैठक में निर्णय लिया **कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है। तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एंव देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट ख** मे दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में कुल 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

श्री अशोक कुमार ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की है। मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग पर परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–15 इस मद के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में श्री रामकुमार सैनी व अन्य द्वारा दायर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2331/एम0एस0/13 में पारित आदेश दिनांक 12.12.13 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई परमिटों के आवेदन पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये थे कि याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 01 माह में किया जाये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा दिनांक 17.01.2014 को प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत उक्त प्रकरण को निस्तारित करते हुये प्रकरण को आरटीए में विचार हेतु रखने की अपेक्षा की गई है। इन आदेशों के विरूद्ध श्री रामकुमार व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं0 182/14 दायर की गई है। जो विचाराधीन है।

उक्त मामले में प्राधिकरण के समक्ष श्री एस0के0 श्रीवास्तव, राम कुमार सैनी, भीम सिंह एंव अन्य उपस्थित हुये। श्री गोपाल भण्डारी ने प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की गई कि मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी न किये जायें। श्री एस0 के0 श्रीवास्तव ने कहा कि यदि प्राधिकरण मार्ग पर स्थाई परमिट जारी करने पर विचार कर रही है तो अस्थाई परमिट जारी न किये जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग पर पूर्व में वर्ष 2010 में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा सर्वेक्षण कर 04 परमिटो की संस्तुति की गई थी एंव प्राधिकरण ने दिनांक 08.10.10 को उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। अपील का निस्तारण कर मा0 न्यायाधिकरण प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त कर दिया था। इन आदेशों के विरूद्ध वर्तमान में इन 04 रिक्तियों पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 87(सी) अन्तर्गत अस्थाई परमिट किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिये मॉगें गये हैं। परन्तु उनके प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 27.07.2012 को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के निरस्त किये गये परमिटों के स्थान पर 04 माह का स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किया जाये। परन्तु उनके आवेदन में विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का वर्णन नहीं है। मार्ग में स्थाई रिक्ति 30 से 34 किये जाने से विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित नही होती है, विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता, स्थाई आवश्यकता के समक्ष विद्यमान हो सकती है। किन्तु प्राधिकरण के समक्ष उक्त मार्ग हेतु विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है एंव ना ही ऐसी कोई मॉग किसी भी स्तर से प्राप्त हुई है।

अतः मोटर गाडी अधिनियम 1988 धारा 87(सी) के अन्तर्गत विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का कोई औचित्य प्रतीत न होने के कारण तथा स्थाई परमिट जारी करने पर विचार करने की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अस्थाई परमिटों के प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

<u>संकल्प सं0</u>–16:– इस मद के अन्तर्गत पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन चन्द्र, नागपाल भवन, विकासनगर की अपील सं0 1/13 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 10.01.2014 के अनुपालन में विक्रम टैम्पो परमिट सं0 1404 के नवीनीकरण हेतु मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। विक्रम टैम्पो परमिट सं0 1404 वाहन सं0 यूपी 14– 4002, माडॅल 1989 के लिये जारी किया गया था, जो दिनांक 05.03.2002 तक वैध था। परमिट धारक ने दिनांक 24.01.2013 को परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये सूचित किया था कि परमिट पर संचालित वाहन सं0 यूपी 14– 4002 दिनांक 16.04.2000 को शक्ति नहर, डाकपत्थर में डूब गई थी जिसमें 04 लोगों की मृत्यू हो गयी थी। परमिट धारक को सूचित किया गया था कि उनके टैम्पो परमिट को समाप्त हुये लगभग 11 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार परमिट की वैधता समाप्त हो जाने के 05 वर्ष पश्चात परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। इन आदेशों के विरूद्ध प्रार्थी ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील सं0 1/13 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 10.01.2014 द्वारा मामले में पुर्नविचार के आदेश दिये गये थे।

प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री विलियम, अधिवक्ता उपस्थित हुये, उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त परमिट का नवीनीकरण कर दिया जाये।

उक्त परमिट पर संचालित वाहन दिनांक 16.04.2000 को शक्ति नहर, डाकपत्थर में डूब गई थी। वाहन की दुर्घटना के सम्बन्ध में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0) विकासनगर के न्यायालय में फौजदारी वाद सं0 288/2008 दायर किया गया। मा0 न्यायालय के निर्णय में वर्णित है कि उक्त वाहन रस्सी डालकर स्टार्ट किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वाहन की यांत्रिक दशा ठीक नहीं थी। वाहन की यांत्रिक दशा ठीक न होने कारण दुर्घटना घटित हुई एंव जानमाल की क्षति हुई हैं।

मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 84(ए) प्राविधान है कि **यान जिसको परमिट सम्बद्ध करता है धारा 56 के अधीन जारी किया गया एक योग्यता प्रमाण पत्र रखता है। और इस प्रकार अनुरक्षित किया जाता है कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का सभी समय अनुपालन करता है,**

वाहन की यांत्रिक दशा को उच्च रखना परमिट धारक का प्राथमिक कर्तब्य है। यदि वाहन की यांत्रिक दशा ठीक होती तो वाहन को रस्सी डालकर स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। वाहन सेल्फ स्टार्ट होता तो दुर्घटना नहीं होती। अतः वाहन स्वामी/परमिट धारक को वाहन की यांत्रिक दशा उच्च/ठीक न रखने का दोषी माना जा सकता है। अतः मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा 84 (ए) के अन्तर्गत सामान्य परमिट शर्त के उल्लंघन के आधार पर परमिट नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0 17 इस मद के अन्तर्गत श्री अमित डोभाल की अपील सं0 16/2011 तथा श्री सचिन कुमार की अपील सं0 17/2011 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के आदेश दिनांक 24.07.2012 के अनुपालन में परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुंत किया गया।

परेड ग्राउण्ड़–प्रेमनगर–परबल मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 मे 04 परमिट स्वीकृत किये गये थे। जिसमें से एक परमिट मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किया था। अनुसूचित जाति श्रेणी का कोई प्रार्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित एक रिक्ति को सुरक्षित रखा गया था तथा परिशिष्ट में उल्लेखित शेष प्रार्थना पत्रों को रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया गया था। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करने के आदेशों के विरूद्ध श्री अमित डोभाल तथा सचिन कुमार ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 16/2011 तथा अपील सं0 17/2011 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने इन अपीलों को निस्तारण करते हुये मा0 न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.07.12 को पारित आदेश के मुख्य अशं निम्न प्रकार हैंः–

" On the basis of observations made by the this Tribunal in the body of this judgement, both of the appeals namely Appeal No. 16/11, Shri Amit Dobhal vs. Regional Transport Authority, Dehradun and appeal No. 17 of 2011, Shri Sachin Kumar vs. Regional Transport Authority, Dehradun are hereby partly allowed. The RTA determined 5 vacancies on the routs in question. Two vacancies are declared vacant. There shall be no effect on the permists granted to three persons namely Shri Nitin Ahuja, Shri Anil Agarwal and Shri Rajendra Bhatt. Cases of appellants are remitted to RTA, Dehradun for its decision afresh on their candidature. After considering their candidature and the candidature of other applicants who have already applied for the permits, the RTA shall decide for granting two permits. As discussed in the body of this judgement, before considering the candidature of applicants, the RTA shall adopt a scientific, reasonable and transparent mechanism for granting permits. The RTA is directed to decide the applications within two months from the date of getting a certify copy of this judgement and accordingly apprise this Tribunal. No order as to costs. Consign the record."

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुसूचित जाति के प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हेमराज, 196 चुक्खूवाला, देहरादून को स्वीकृत किया गया है। परन्तु श्री राकेश कुमार के द्वारा अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। एक परमिट

उत्तराखण्ड़ परिवहन निगम को जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत प्राप्त वाहन के लिये स्वीकृत किया था, जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक 04.12.13 में संकल्प सं0 9 में मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में किया गया था, तब से काफी समय व्यतीत हो गया है, इस दौरान शहर की जनसख्या तथा मार्ग पर यात्रियों की संख्या में काफी वृद्वि हो गयी है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराने के पश्चात मामले को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कर समिति की आख्या प्रेषित की है। उन्होंने पत्र सं0 9421/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा मार्ग पर 05 अतिरिक्त परमिट जारी करने की संस्तुति की है। इस प्रकार मार्ग पर कुल 07 रिक्तियॉ उपलब्ध है। जिसमें से 02 रिक्तियॉ अनुसूचित जाति श्रेणी, 01 रिक्ति अनुसूचित जनजाति तथा 04 रिक्तियॉ सामान्य श्रेणी के लिये उपलब्ध हैं।

प्राधिकरण के समक्ष श्री अमित डोभाल तथा सचिन कुमार की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये। उन्होंने लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री सचिन कुमार राजकीय सेवा में नियुक्त हो गये है। इसलिये उनके नाम पर परमिट स्वीकृत न किया जाये। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि श्री अमित डोभाल को परमिट जारी किया जाये।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट ग** मे दिया गया है।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेशों में उल्लेख किया है कि आवेदनों पर विचार करने से पूर्व संभागीय परिवहन प्राधिकरण परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त प्रकिया अपनाये। अतः उक्त मामले पर विचार करना स्थगित करते हुये सचिव को आदेश दिये जाते हैं कि यथाशीघ्र मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त प्रकिया हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

संकल्प सं0–18 इस मद के परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार के प्रार्थना पत्र को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया है अपील सं0 10/2006 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 के अनुपालन में श्री राकेश कुमार को परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परमिट नई वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 06 माह (दिनांक 03.06.2014) के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। यह परमिट जारी होने के पश्चात 03 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य के नाम हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा उसके पश्चात हस्तान्तरण अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को ही किया जा सकता है।

श्री राकेश कुमार ने उक्त स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किया है तथा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया है कि दिनांक 16/17 जून, 2013 को केदार नाथ धाम में आयी आपदा में उनकी एक बस बह गई थी। जो उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वीकृत परमिट 5 वर्ष पुराने वाहन पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्राधिकरण की नीति है कि परमिट नई वाहनों पर ही जारी किये जायें। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या–117/09/एमएस तथा 140/09/एमएस श्री विजय गोयल तथा अन्य में दिनांक 22–05–09 को अपने निर्णय में परमिटों पर नई वाहन लगाने की शर्त को सही ठहराया है।

अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि प्रार्थी श्री राकेश कुमार को परमिट प्राप्त करने हेतु पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। अतः उनके प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है एंव श्री राकेश कुमार को स्वीकृत परमिट को निरस्त किया जाता है।

मद सं0–19(i):- इस मद के अन्तर्गत कौलागढ़–विधानसभा के नगर बस परमिटों को हल्की वाहनों के परमिटों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मार्ग के बस ऑपरेटरों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इंदरेश हास्पीटल–कारगी चौक–रिस्पनापुल वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी–माजरा–शिमला बाईपास–आईएसबीटी–कारगी चौक–विधानसभा तथा ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–'किशन नगर होते

हुए कनाट प्लेस–धण्टाधर–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेशन तक किया गया था। इस मार्ग पर 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट दिये गये थे परन्तु वर्तमान में इस मार्ग पर 01 बस संचालित हैं।

मार्ग के बस ऑपरटरों द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि पर्याप्त सवारी न मिल पाने से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें मजबूर होकर अपनी गाड़ियों को बेचना पड़ा। उन्होंने प्रत्यावेदन में निवेदन किया है कि उनके मार्ग की नगर बस परमिटों को हल्के वाहनों के परमिटों में परिवर्तित कर दिया जाए।

प्राधिकरण के सम्मुख बुलाये जाने पर मार्ग के 05 परमिट धारक उपस्थित हुये तथा उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि मार्ग पर बसों के लिये पर्याप्त सवारियॉ नहीं मिल पाने के कारण वे मार्ग पर बसों का संचालन नहीं कर सके तथा वाहनो के परमिट समर्पित करने पडे, उन्होनें निवेदन किया किया कि उनको बडी बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में पारित आदेशों के अनुसार मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराया गया था। सर्वेक्षण समिति द्वारा आख्या प्रेषित की है कि क्षेत्रीय जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग के नगर बस परमिटों को छोटी जीप प्रकार के स्टैज कैरिज परमिटों में परिवर्तित किया जाना उचित होगा। छोटी वाहनों का संचालन आर्थिक रूप से भी लाभप्रद होगा।

इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त 560 प्रार्थना पत्रों के विवरण **परिशिष्ट–घ** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के बैठक में 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

<u>संकल्प सं0</u>–19 (ii) इस मद के अन्तर्गत कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला–मसन्दावाला तक करने तथा मार्ग पर हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

कौलागढ़–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का विस्तार कौलागढ से बाजावाला–मसन्दावाला तक करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में निर्णय लिया गया था कि **कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से कराकर विस्तृत आख्या प्राप्त की जाय, समिति का दायित्व होगा कि, वह परीक्षण कर यह बतायें कि, इस मार्ग की Economic Inviability के क्या कारण रहे हैं और उनके निराकरण के उपाय व इस क्षेत्र की जनता को समुचित परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मार्ग में किस प्रकार के परिवर्तन उचित होंगे। तदोपरान्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।"**

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण समिति से पुनः सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है कि **कौलागढ़–विधान सभा मार्ग पर पूर्व में कौलागढ से आईएसबीटी होते हुये बसों का संचालन हो रहा था। उक्त मार्ग पर वर्तमान में कोई बस संचालित नहीं हो रही है। उक्त मार्ग पर बसों का संचालन आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने का कारण पर्याप्त सवारियॉ ना मिलना रहा है।**

उन्होंने सूचित किया है कि कौलागढ से आगे मसन्दावाला का मार्ग काफी संकरा है तथा बसों के सचांलन हेतु उपयुक्त नहीं है। मार्ग पर केवल जीप प्रकार के हल्के वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा।

प्राधिकरण की बैठक में बुलाये जाने पर श्रीमती संध्या थापा, जिला पंचायत सदस्या तथा श्रीमती ज्योति कोटिया, ग्राम प्रधान एंव क्षेत्र के अन्य गण मान्य ब्यक्ति उपस्थित हुये, उनके द्वारा अवगत कराया कि बाजावाला नगर क्षेत्र मे तथा मसन्दावाला ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रो की जनता को शहर आने के लिये कोई आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि इस मार्ग पर छोटी वाहनों को संचालित कराया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–20 इस मद के अन्तर्गत अनारवाला– थाना कैन्ट–परेड ग्राउण्ड वाया बल्लुपुर चौक–जी0एम0एस0 रोड–आईएसबीटी–हरिद्वार बाईपास–रिस्पना पुल मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर मार्ग के परमिट धारक श्री सुखविन्दर सिंह, श्री विनोद चन्दोला एंव अन्य उपस्थित हुये, उन्होंने अवगत कराया कि उनके मार्ग पर कुल 13 नगर बसों का संचालन हो रहा था। परन्तु बिष्ट गॉव से गढ़ी कैन्ट होते हुये आईएसबीटी तक 32 छोटी वाहनों का संचालन होने से उनका मार्ग आईएसबीटी तक ओवरलेप हो रहा है। जिससे उनकी वाहनों को पर्याप्त सवारियॉ उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक हानि होने के कारण वे अपनी वाहनों का टैक्स तथा मरम्मत आदि का कार्य भी नहीं करा पा रहें है साथ ही उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में मार्ग पर केवल 07 बसों का संचालन हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके मार्ग पर संचालित नगर बसों के स्थान पर हल्की 07/08 सीटर वाहनों के स्टैज कैरिज परमिट जारी किये जाये तथा एक परमिट बस के परमिट के स्थान पर 02 हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें।

उक्त मार्ग पर मार्ग यूनियन के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैः–

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1	423	26.08.2014	श्री कुलजीत सिंह पुत्र श्री महेन्द्र, 47/01 भंडारी बाग, देहरादून।
2	510	27.08.2014	श्री राकेश रागव पुत्र श्री चमन लाल, ग्रा0 कोल्हुपानी, नन्दा की चौकी, देहरादून।
3	583	27.08.2014	श्री महन्त विश्वनाथ योगी पुत्र श्री मथुरा नाथ योगी, 356 डाकरा बाजार, देहरादून।
4	793	27.08.2014	श्री कमल कुमार पुत्र श्री गौरी शंकर जयसवाल, 136, सहारनपुर रोड, देहरादून।
5	1228	27.08.2014	श्री अनुप पुत्र श्री बहादुर सिंह, 50, गंगोल पंडितवाड़ी, राजपुर, देहरादून।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रार्थिनों ने दिनांक 10.09.2014 को प्राधिकरण के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैंः–

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1	1496	10.09.2014	श्री विनोद पुत्र श्री भगत सिंह, 523 ए गढी कैन्ट, देहरादून।
2	1499	10.09.2014	श्री रोहित पुत्र स्व0 श्री दिनेश, गढी कैन्ट, देहरादून।
3	1517	10.09.2010	श्री सजाऊ रहमान पुत्र श्री इमरान, सिरचन्दी, भगवानपुर, हरिद्वार।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–21 इस मद के अन्तर्गत देहरादून– घंघोडा कैन्ट वाया हाथीबडकला मार्ग संचालित नगर बसों के स्थान पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामले को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण के समक्ष बुलाये जाने पर मार्ग के बस आपरेटर उपस्थित हुये, उन्होंने अवगत कराया कि इस मार्ग पर 20 बसें स्थाई सवारी परमिटों पर संचालित हो रही थी परन्तु वर्तमान में केवल 13 वाहनों का ही सचांलन हो रहा है। इस मार्ग पर लगभग 50 वर्षो से बडी बसों का संचालन हो रहा है परन्तु वर्तमान में जनता के द्वारा बडी बसों के स्थान पर छोटे वाहनों को वरीयता दिये जाने के कारण बडी बसों को पर्याप्त मात्रा मे सवारियॉ नहीं मिल पा रही हैं। जिससे आर्थिक हानि होने के कारण बसों का संचालन किया जाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि उनके मार्ग पर चल रही बडी बसों के स्थान पर परमिट धारकों को 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों के परमिट जारी किये जायें तथा एक बस के स्थान पर 02 हल्की वाहनों के परमिट दिये जायें।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–22 इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग पर चल रही 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने तथा इन वाहनों को स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

देहरादून–रायपुर–मालदेवता एंव सम्बन्धित मार्ग पर वर्तमान में 14 स्थाई स्टैज कैरेज बस परमिट निर्गत हैं, परन्तु विविध कारणों से 08 परमिट धारकों ने काफी लम्बे समय से या तो वाहन प्रतिस्थापन के लिए समय ले लिया है या वाहनों के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित कर दिए हैं। फलतः 14 परमिटों के स्थान पर मात्र 03 वाहनें मार्ग पर संचालित हैं। कम संख्या में वाहनें संचालित होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, जिसके कारण स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोंगो तथा विभिन्न कार्यों हेतु शहर आने–जाने के लिए लोगों को परिवहन का साधन नहीं मिल पा रहा था। क्षेत्र की जनता ने कई बार परिवहन समस्या को हल करने के लिए प्रत्यावेदन दिए थे। क्षेत्र में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 टाटा मैजिक वाहनों को अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी किए गए हैं तथा इन वाहनों का संचालन देहरादून से मालदेवता मार्ग एंव सम्बन्धित मार्ग पर हो रहा है।

पुकारे जाने पर प्राधिकरण के समक्ष मार्ग के अस्थाई परमिट धारक एंव क्षेत्र की जनता उपस्थित हुये। क्षेत्रीय जनता के द्वारा सूचित किया है कि वाहनों की संख्या कम होने के कारण मार्ग पर पडने वाले स्थानों के लोगों को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है क्योकि ये वाहनें मालदेवता से भर जाती हैं।

मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 08.11.11 द्वारा मार्ग पर 05 हल्के वाहनों को ओर परमिट दिये जाने की संस्तुति की थी। इस मामले पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि वाहन स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र ठेका गाडी के लिये निर्धारित प्रपत्र में दिये

गये है। स्टैज कैरिज के लिये निर्धारित प्रपत्र एसआर–20 में नहीं दिये गये हैं। प्राधिकरण ने निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र नही होने के कारण सभी प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया है।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट देने 582 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट च** दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 47 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–23 इस मद के अन्तर्गत सॉई मन्दिर–कैनाल रोड़–किशनपुर–साकेत कॉलोनी–ग्रेटवैल्यू होटल–सचिवालय–ईसी रोड़–आराघर–रिस्पना–केदापुरम–दून विश्वविधालय–मोथरोवाला मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को स्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0–12 में यह निर्णय लिया था कि धारा 74(2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता गया है तथा इस मार्ग पर 10 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। इन आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.05.2014 को याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये है कि ठेका गाडी परमिट से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में चलने की आज्ञा न दी जाये।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 546 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–छ** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 76 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पूर्व में देहरादून शहर के अनेक मार्गो पर हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु परमिट जारी किये गये हैं परन्तु इन वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप मे किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी कुछ याचिकायें दायर की गई हैं। मा0 न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं कि ठेका गाडी परमिटों से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज की भॉति संचालिन होने की आज्ञा प्रदान न की जाये। अतः प्राधिकरण ने मामले पर पुनः विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मार्ग को स्टैज कैरिज परमिट के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा इस मार्ग के लिये ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों जिनका विवरण **परिशिष्ट–छ** में दिया गया है, को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त मार्ग शासन से स्टैज कैरिज के रूप में निर्मित होने पर स्टैज कैरिज परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेगे।

संकल्प सं0 –24 इस मद के अन्तर्गत अनारवाला–नयागॉव–हाथीबड़कलॉ–परेड़ग्राउण्ड़–ईसी रोड़–आईएसबीटी मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को स्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान श्रीमती संध्या थापा, जिला पंचायत सदस्या तथा श्रीमती ज्योति कोटिया, ग्राम प्रधान तथा अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित हुये, ने अवगत कराया कि नयागॉव से बुर्जुग, महिलाओं, बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों को शहर तथा अन्य स्थानो तक आने जाने हेतु आवागमन की सुविधा नहीं मिल पाती हैं तथा पैदल ही यात्रा करनी पडती है। उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में आवागमन हेतु परमिट जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0–12 में यह निर्णय लिया था कि धारा 74(2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु 'क' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता गया है तथा इस मार्ग पर 10 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। इन आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका दायर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.05.2014 को याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये है कि ठेका गाडी परमिट से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज के रूप में चलने की आज्ञा न दी जाये।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 223 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–ज** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 22 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पूर्व में देहरादून शहर के अनेक मार्गो पर हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु परमिट जारी किये गये हैं परन्तु इन वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप मे किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी कुछ याचिकायें दायर की गई हैं। मा0 न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं कि ठेका गाडी परमिटों से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज की भॉति संचालिन होने की आज्ञा प्रदान न की जाये। अतः प्राधिकरण ने मामले पर पुनः विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मार्ग स्टैज कैरिज परमिट के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा तथा इस मार्ग के लिये ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों जिनका विवरण **परिशिष्ट–ज** में दिया गया है को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त मार्ग शासन से स्टैज कैरिज के रूप में निर्मित होने पर स्टैज कैरिज परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेगे।

संकल्प सं0–25 इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–ठाकुरपुर–महेन्द्र चौक होते हुये परवल–शिमला बाईपास तथा प्रेमनगर से महेन्द्र चौक होते हुये शुक्लापुर–आरकेडिया टी स्टैट–मिठठीबेरी मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने परिचालन पद्धति से पारित आदेश दिनांक 28.03.2012 द्वारा उपरोक्त मार्ग को छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया है। इस मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की छोटी वाहनों हेतु 10 परमिटों की संख्या निर्धारित की है तथा मार्ग पर 04 हल्के वाहनों को ठेका गाडी के अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं।

प्राधिकरण के समक्ष अस्थाई परमिट धारक उपस्थित हुये। एक अस्थाई परमिट धारक श्री रमेश आहुजा की पत्नी उपस्थित हुई एंव अवगत कराया कि श्री आहुजा की दुघर्टना में मृत्यु हो गयी है। श्री आहुजा को जारी अस्थाई परमिट के स्थान पर उनको परमिट जारी किया जाये ताकि वे वाहन का कर्ज चुका सकें एंव अपनी जीविका चला सकें।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पूर्व में देहरादून शहर के अनेक मार्गो पर हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु परमिट जारी किये गये हैं परन्तु इन वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप मे किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी कुछ याचिकायें दायर की गई हैं। मा0 न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं कि ठेका गाडी परमिटों से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज की भॉति संचालिन होने की आज्ञा प्रदान न की जाये।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 127 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–झ** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून की आख्या के अनुसार निम्नलिखित मार्गों को स्टैज कैरिज के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा इस मार्ग के लिये ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों जिनका विवरण **परिशिष्ट–झ** में दिया गया है को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त मार्ग शासन से स्टैज कैरिज के रूप में निर्मित होने पर स्टैज कैरिज परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेगे।

1. प्रेमनगर– श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक– उमेदपुर– देवीपुर– परवल– सिंहनीवाला– शिमला बाईपास वापस परवल महेन्द्र चौक होते हुये प्रेमनगर। उक्त मार्ग पक्का है। दूरी लगभग– 10 किमी0 है।
2. प्रेमनगर– श्यामपुर– ठाकुरपुर– महेन्द्र चौक– गुसॉई चौक– अम्बीवाला– शुक्लापुर वापस महेन्द्र चौक होते हुये वापस प्रेमनगर। मार्ग पक्का है एंव दूरी लगभग 10 किमी0 है।
3. प्रेमनगर– आरकेडिया टी स्टैट– मिठ्ठी बेरी– बनियावाला– गोरखपुर– शिमला बाईपास– आईएसबीटी वापस बडोवाला– आरकेडिया होते हुये प्रेमनगर। मार्ग पक्का है एंव दूरी लगभग 10 किमी0।

संकल्प सं0–26 इस हरभजवाला–मेहॅवाला–चौयला–तुन्तोवाला–चन्द्रबनी–गौतम कुण्ड–आईएबीटी–हरिद्वार बाईपास पुलिस चौकी–सरस्वती बिहार–माता मन्दिर मार्ग–धर्मपुर–आराघर–परेड़ ग्राउण्ड़ मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट देने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 के संकल्प सं0 5 में आईएसबीटी से सेवला कला–गौतम कुण्ड़ होते हुये आईएसबीटी तथा आईएसबीटी से हरभजवाला–तुन्तोवाला–चौयला–आईएसबीटी मार्ग पर 20 परमिट 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत किये गये थे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 के संकल्प सं0 29 में इस मार्ग का विस्तार आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास–पुलिस चौकी–सरस्वती बिहार–माता मन्दिर मार्ग–धर्मपुर–आराघर होते हुये परेड़ ग्राउण्ड़ तक किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.03.2011 में स्वीकृत परमिटों में से 17 प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त कर लिये थे तथा 03 प्रार्थियों के द्वारा स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किये गये थे। वर्तमान में इस मार्ग पर 04 अस्थाई ठेका परमिटो पर वाहनों का संचालन हो रहा है।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 72 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–ट** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 16 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग पर ठेका गाडी परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रो को जिनका विवरण **परिशिष्ट–ट** में दिया गया है, पर विचार करना स्थगित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इस मार्ग को स्टैज कैरिज मार्ग के रूप में वर्गीकृत कर मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शासन से पुनः अनुरोध किया जाये।

संकल्प सं0–27 इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों का संचालन करने के सम्बन्ध में मामले को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। चौकी धौलास मार्ग की लम्बाई 17 किमी0 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.2006 में इस मार्ग पर 04 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। मार्ग पर 02 वाहनों का संचालन हो रहा था। लेकिन वर्तमान में दोनों वाहन स्वामियों के परमिट कार्यालय में समर्पित हैं तथा मार्ग पर एक भी बस का संचालन नहीं हो रहा है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस मार्ग पर छोटे वाहनों को परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग को मोटर गाडी अधिनियिम 1988 की धारा 74(2)(1) दिये गये प्राविधानों के अनुसार हल्के वाहनों को ठेका गाडी के रूप मे संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था तथा मार्ग पर 10 परमिटो की संख्या निर्धारित की गई थी। क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उददे्श्य से 04 अस्थाई सवारी गाडी परमिट 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों को जारी किये गये हैं।

बुलाये जाने पर प्राधिकरण के सम्मुख अस्थाई परमिट धारक एंव कुछ अन्य प्रार्थी उपस्थित हुये। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि क्षेत्रीय जनता की सुविधा एंव उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुये स्थाई परमिट जारी किये जायें। इसके अतिरिक्त श्री एस0के0 श्रीवास्तव एंव श्री रामकुमार सैनी उपस्थित हुये उन्होंने अवगत कराया कि उक्त मार्ग पर देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग की बसें संचालित होती थी परन्तु सवारियॉ न मिलने के कारण वर्ष 2003 से बसों का संचालन बन्द कर दिया है। उनके द्वारा उक्त मार्ग पर छोटी वाहनों को परमिट जारी करने का विरोध किया गया है।

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–ठ** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पूर्व में देहरादून शहर के अनेक मार्गो पर हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु परमिट जारी किये गये हैं परन्तु इन वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप मे किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में भी कुछ याचिकायें दायर की गई हैं। मा0 न्यायालय ने इन याचिकाओं का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये हैं कि ठेका गाडी परमिटों से आच्छादित वाहनों को स्टैज कैरिज की भॉति संचालिन होने की आज्ञा प्रदान न की जाये। अतः प्राधिकरण ने मामले पर पुनः विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त मार्ग को स्टैज कैरिज परमिट

के रूप में संचालित करने हेतु वर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये तथा इस मार्ग के लिये ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों जिनका विवरण **परिशिष्ट–ठ** में दिया गया है को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त मार्ग शासन से स्टैज कैरिज के रूप में निर्मित होने पर स्टैज कैरिज परमिटों हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जायेगे।

संकल्प सं0–28 इस मद के अन्तर्गत सैन्य कॉलोनी–कालीदास–रोड से कारगी चौक आई0एस0बी0टी0 मार्ग का विस्तार आर्दश विहार, पथरी बाग, इन्द्रेश अस्पताल होते हुये घंटाघर करने तथा मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सैन्य कालोनी–कालीदास रोड़ से कारगी चौक–आईएसबीटी मार्ग पर वर्तमान में 26 स्थाई ठेका गाड़ी परमिट 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों जारी किये गये हैं। 02 अस्थाई ठेका गाड़ी परमिट जारी हैं जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति के आरक्षित श्रेणी के प्रार्थी को जारी किया गया है।

श्री एल. पी. थपलियाल, अध्यक्ष, आर्दश विहार, आवासीय कल्याण समिति, 61 कारगी रोड़, देहरादून ने इस मार्ग का विस्तार कारगी से इन्द्रेश अस्पताल से घंटाघर तक करने के सम्बन्ध में निवेदन किया था। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या/मन्तब्य उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था। उन्होंने आख्या उपलब्ध करायी है कि उक्त मार्ग से इन्द्रेश हासपिटल की दूरी काफी कम है। मार्ग का विस्तार करने से अन्य मार्ग की वाहनों के साथ प्रतिस्पर्द्धा बढने दुर्घटना की संभावना रहेगी तथा मुख्य मार्ग घंटाघर से इन्द्रेश अस्पताल तक प्रबल संभावना है। उन्होंने उक्त कारणों से मार्ग का विस्तार न करने की संस्तुति नही की है। मार्ग पर हो रही ओवरलोड़िग तथा क्षेत्रीय जनता को मार्ग पर समुचित यातायात की सुविधा के दृष्टिगत उन्होंने 10 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की है।

बुलाये जाने पर प्राधिकरण के सम्मुख श्री उमा नरेश तिवारी, श्री अजय मिश्रा एंव अन्य प्रार्थी उपस्थित हुये उनके द्वारा मार्ग पर परमिट जारी करने का निवेदन किया गया है

इस मार्ग पर 07/08 सीटर, चार पहिया हल्की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु 113 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–ड** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

07/08 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट जारी करने पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। अतः प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग पर ठेका गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को जिनका विवरण **परिशिष्ट–ड** में दिया गया है, पर विचार करना स्थगित किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इस मार्ग को स्टैज कैरिज मार्ग के रूप में वर्गीकृत कर मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में शासन से पुनः अनुरोध किया जाये।

संकल्प सं0–29 इस मद के अर्न्तगत परेड ग्राउण्ड–सचिवालय चौक–दिलाराम बाजार–ग्रेटवैल्यू होटल–पुलिस कॉलोनी–आईटी पार्क–सहस्त्रधारा मसूरी बाईपास–नागल हटनाला मार्ग को 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की ठेका वाहनों के संचालन हेतु वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है कि मार्ग की लम्बाई 11.6 किमी0 एंव मार्ग पक्का है। मार्ग में घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। उन्होंने नया मार्ग सृजित करने तथा स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु मार्ग पर 08 हल्की स्टैज कैरिज वाहनों को परमिट जारी किये जाने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68 (3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग को स्टैज कैरिज मार्ग के रूप में निर्मित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये। मार्ग पर 07/08 सीटर, 04 पहिया हल्के वाहनों के लिये 08 परमिट की संख्या निर्धारित की जाती है।

संकल्प सं0–30 (अ) इस मद के अन्तर्गत टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 19.12.11 के द्वारा इस वाहन को राज्य के मैदानी मार्गो पर यात्री वाहनों के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। यह वाहन डीजल चालित है। वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं।

प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर देहरादून ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी, श्री उमा नरेश तिवारी, श्री इन्दरजीत कुकरेजा उपस्थित हुये। उनके द्वारा इन वाहनों को ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर आपत्ति व्यक्त की गई है। अस्थाई परमिट धारकों के द्वारा निवेदन किया है कि उनके वाहनों को स्थाई परमिट जारी किये जायें।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सचिव उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने हेतु नीति प्रस्तावित करेंगे।

(ब) इस मद के अन्तर्गत श्री आदेश चौहान, मा0 विधायक बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार का मा0 परिवहन मंत्रीजी, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित पत्र दिनांक 18.03.14 एंव श्री प्रदीप बतरा, मा0 विधायक, रूडकी, पर्यटन सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार का मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 28.08.2014 को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रों में कहा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद जनपद में अनेक उद्योग स्थापित होने के कारण जनसंख्या में तेजी वृद्धि हो रही है। उन्होंने अनुरोध किया है कि हरिद्वार, रूडकी एंव लक्सर में 4+1 व 5+1 सीटर ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट जारी किये जायें।

4/5 सीटर ऑटो रिक्शा परमिटो हेतु प्राप्त 16 प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–त** में दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धब्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धब्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।

1–हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2–आवेदक बेरोज़गार हो।

3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।

4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।

5–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि ऑटो रिक्शा वाहनों के संचालन हेतु लक्सर केन्द्र का निर्धारण करने के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), हरिद्वार सर्वेक्षण कर अपनी आख्या उपलब्ध करायेगें जिसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प सं0:–31 इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर 22 परमिटों की सख्या निर्धारित है तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.101.10 में 04 परमिट स्वीकृत किये गये थे। जिसमे से 02 प्रार्थीयों के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये हैं। जिस कारण मार्ग पर 02 परमिटों की रिक्ति है। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमिट पर संचालित हो रही है।

इस मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–थ** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर मार्ग यूनियन के पदाधिकारी सहित श्री अनुज चन्देल उपस्थित हुये उनके द्वारा मार्ग पर परमिट दिये जाने का विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त अस्थाई सवारी गाडी के परमिट धारक श्री आशीष के पिता श्री जे0के0 कम्पानी के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके बेटे के नाम जारी अस्थाई परमिट के स्थान पर स्थाई सवारी गाडी परमिट में स्वीकृत किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त नीति स्थापित होने पर आवेदनों पर विचार किया जायेगा। तब तक उक्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0:–32 इस मद के अन्तर्गत एमडीडीए–डालनवाला–डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है। एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग की लम्बाई 16 किमी0 है। इस मार्ग हेतु प्रांधिकरण के द्वारा 14 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई है। वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों तथा एक वाहन अस्थायी सवारी गाडी परमिट पर संचालित है।

इस मार्ग हेतु स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–द** में दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर अस्थाई सवारी गाडी के परमिट धारक श्री कमल कुमार उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी वाहन को स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी कर दिया जाये।

प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक, पारदर्शी एंव युक्तियुक्त नीति स्थापित होने पर आवेदनों पर विचार किया जायेगा। तब तक उक्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 :–33 इस मद के अन्तर्गत विकासनगर– लांघा बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। विकासनगर– लांघा मार्ग की लम्बाई 18 किमी0 है। इस मार्ग पर 08 परमिट स्वीकृत हैं। वर्तमान में मार्ग पर 04 वाहनों का संचालन स्थाई परमिटों पर तथा 01 वाहन का संचालन अस्थाई परमिट पर हो रहा है। इस प्रकार उक्त मार्ग पर 04 रिक्तियॉ उपलब्ध है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त है। जिनका विवरण **परिशिष्ट–ध** में दिया गया है।

उक्त मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस मार्ग पर 08 परमिट स्वीकृत किये गये थे परन्तु वर्तमान में केवल 04 वाहनों का ही संचालन हो रहा था। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह मार्ग आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है। मार्ग पर एक वाहन का संचालन अस्थाई परमिट पर हो रहा है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु केवल 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिसमें से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई परमिट पर संचालित वाहन स्वामी के द्वारा दिया गया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि मार्ग पर 04 रिक्तियों के सापेक्ष प्राप्त 03 प्रार्थना पत्रों को नई वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक सामान्य शर्तो के साथ आगामी 05 वर्षों की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है। तद्पश्चात स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

संकल्प सं0 34 इस मद के अन्तर्गत तेलपुरा डाडा वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हसनावाला– बिहारीगढ वाया बुग्गावाला–बन्दरजूड– मजाहिदपुर– पिरान कलियर– रूडकी मार्ग वर्गीकृत किया गया था। इस मार्ग का 2.5 किमी0 भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता था। प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 04.12.13 में अनुपूरक संकल्प सं0 2 में उक्त मार्ग के परमिटों में से उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग को हटा दिया था। उत्तर प्रदेश में पडने वाला भाग हटा देने के फलस्वरूप मार्ग की लम्बाई 43.5 किमी0 रह गई है। वर्तमान में मार्ग पर 7 वाहनों का संचालन स्थाई परमिटों पर तथा 02 वाहन का संचालन अस्थाई परमिट पर हो रहा है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मार्ग का सर्वेक्षण कर मार्ग हेतु रिक्तियों की संख्या प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0–35 पर्वतीय क्षेत्र में नवनिर्मित मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

इस मद के अन्तर्गत टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी तथा उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नवनिर्मित मार्गो का सर्वेक्षण करने के पश्चात इन मार्गो को यातायात के लिये खोलने की संस्तुति की है।

1. **जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग**:–

(1) पौड़ीखाल– मासों सिमलासू मोटर मार्ग (1.5किमी0)– हल्के एंव भारी वाहन हेतु।
(2) चाका–पिछवाडा मोटर मार्ग (4 किमी0)– हल्की मोटर वाहनों हेतु।
(3) पौडीखाल–कोटी–चामीन मोटर मार्ग (2 किमी0)– हल्के एंव भारी वाहनों हेतु
(4) सिंगोली– चौण्ड़ी मोटर मार्ग (5 किमी0)– हल्की मोटर वाहनों हेतु।
(5) पौड़ीखाल– पातावाला गॉव (6 किमी0)– हल्के एंव भारी वाहन हेतु।

(6) **खैराट– भुटगॉव– सतवाडी मोटर मार्ग (8.18 किमी0)**
(7) **पातनीयदेवी से गेंवली मोटर मार्ग (3 किमी0)।**
(8) **पातनीयदेवी से सैंणधाल्डी मोटर मार्ग (2 किमी0)।**
(9) **लामरीधार स्टेडियम तक मोटर मार्ग (1.5 किमी0)।**
(10) **टिपरी रौडधार मोटर मार्ग के किमी0 16 से पेटव तक मोटर मार्ग (0.750 किमी0)।**
(11) **जाखणीधार नवाकोट मोटर मार्ग से कोटधाल्डा मोटर मार्ग (0.425 किमी0)।**
(12) **जीरो ब्रिज से सैण पिपोला मोटर मार्ग (10.250 किमी0)।**
(13) **छड़ानामे तोक से कुम्हारधार मोटर मार्ग (2.0 किमी0)।**
(14) **पजियारा से कपरियासैण मोटर मार्ग (4.50 किमी0)।**
(15) **पाली–सुनाली मोटर मार्ग (1.7 किमी0)।**
(16) **अंजनीसैण पुनाणू कपरियासैण मोटर मार्ग (7.50 किमी0)।**

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जनपद टिहरी के उपरोक्त नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातयात के लिये खोलने की स्वीकृत प्रदान की जाती है। हल्के मार्गों को छोडकर अन्य मार्गों को मार्ग सूची सं0 1 (ऋषिकेश केन्द्र) के स्टैज कैरेज परमिटों पर पृष्ठांकित किया जाये।

2. <u>जनपद उत्तरकाशी के नवनिर्मित मार्ग</u>:–

(1) **एक्टेंशन राजगढ़ी– सरनौला से गंगटाडी– सरनौला मोटर मार्ग (15.77 किमी0)**
(2) **धरासू पुल से दिखोली– अदनी–रौंतल मोटर मार्ग।**

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि जनपद उत्तरकाशी के उपरोक्त नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातयात के लिये खोलने की स्वीकृत प्रदान की जाती है तथा इन मार्गों को मार्ग सूची सं0 4 (उत्तरकाशी केन्द्र) के स्टैज कैरेज परमिटों पर पृष्ठांकित किया जाये।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि धरासू–मडगांव– चमियारी–उलण मार्ग के सम्बन्ध सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी की संस्तुति कटिपय आपत्तियों के साथ प्राप्त हुई है। अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कर, आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या सहित संस्तुति प्रस्तुत करेगें। जिसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प सं0–36 इस मद के अन्तर्गत विक्रम टैम्पो वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज के रूप में करने तथा इन वाहनों के मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

विक्रम जन कल्याण सेवा समिति, इन्दिरा मार्केट देहरादून ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 126/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.01.14 के अनुपालन में विक्रम जन कल्याण समिति के प्रत्यावेदन का निस्तारण परिचालन पद्वति द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.14 द्वारा कर दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा गठित सर्वे कमेटी ने मार्गो का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है। जिसका उल्लेख मद में किया गया है। समिति ने विक्रम वाहनों का संचालन स्टैज कैरिज में करने के लिये देहरादून शहर में 18 मार्गों को प्रस्तावित किया है।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2076/एमएस/14 दायर की गई है। जिसमें विक्रम टैम्पो, महेन्द्रा मैक्सिमो तथा टाटा मैजिक वाहन वाहनों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। अतः प्राधिकरण के द्वारा याचिका के निस्तारण होने तक मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–37 इस मद के अन्तर्गत बिष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग पर संचालित 7/8 सीटर, 04 पहिया हल्की वाहनों का संचालन वाया डाकरा होकर करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून की आख्या के अनुसार सप्लाई डिपो से मिलिट्री हॉस्पिटल होते हुए डाकरा बाजार से कैन्ट थाना के निकट एक मार्ग निकलता है। इस मार्ग की लम्बाई मिलिट्री हॉस्पिटल से 1.5 किमी0 है। यह मार्ग हल्की वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उन्होने मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विष्ट गॉव– आईएसबीटी मार्ग का विस्तार मिलिट्री हॉस्पिटल से डाकरा बाजार मार्ग संकरा होने के कारण मार्ग विस्तार किया जाना स्थगित किया जाता है एंव गढी चौक से दुर्गा मन्दिर मार्ग को वैकल्पिक विस्तार हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), देहरादून से आख्या प्राप्त की जाये।

संकल्प सं0–38 इस मद के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 के निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 में मद सं0 6 में के द्वारा परिशिष्ट–छः में वर्णित सभी प्रार्थीयों को हरिद्वार केन्द्र से एक–एक आटोरिक्शा परमिट अन्य शर्तो के साथ आवेदक पूर्व में किसी परमिट का धारक न हो, की शर्त के साथ स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में श्री अरोड़ा ने दिनांक 20.03.2010 को वाहन सं0 यूके 08टीए 1283 के वैध प्रपत्रों को प्रस्तुत कर ऑटो रिक्शा परमिट सं0 7461 प्राप्त किया गया। परमिट प्राप्त करते समय श्री पंकज अरोड़ा द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया था कि वह किसी प्रकार के परमिट का धारक नहीं है। परन्तु परमिट जारी होने के पश्चात सज्ञांन में आया कि श्री पंकज अरोड़ा के नाम पर टैम्पो परमिट सं0 3428 है जिस पर वाहन सं0 यूके08टीए–0819 संचालित है। कार्यालय के पत्र सं0 5848/आरटीए/ऑटो–7461/धारा–86/13 दिनांक 12.09.2013 द्वारा उन्हें धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था कि आपके द्वारा तथ्यों को छिपा कर हरिद्वार केन्द्र का ऑटो रिक्शा परमिट प्राप्त किया गया है जबकि आप टैम्पो परमिट सं0 3428 के पूर्व से ही परमिट धारक हैं। श्री अरोड़ा को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया था कि क्यों न आपको जारी परमिट के निरस्तीतरण की कार्यवाही की जाये। परन्तु उक्त पत्र बिना प्राप्त हुये कार्यालय में वापस आ गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पंकज अरोड़ा के नाम से जारी पूर्व परमिट सं0 3428 दिनांक 07.02.13 को श्री अमन कुमार पुत्र श्री हुक्म सिंह, नत्थूखेरी, मंगलौर, हरिद्वार के नाम हस्तांतरित हो गया है।

उक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.13 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने संकल्प सं0 31 में निम्न आदेश पारित किये थे किः–

"परमिट धारक को पुनः धारा–86 का नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाये तथा मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में परमिट धारक श्री पंकज अरोड़ा को पंजीकृत पत्र सं0 7385/आरटीए/ऑटो 7461/धारा–86/14 दिनांक 13.01.2014 प्रेषित किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर श्री पंकज अरोडा को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना दें तथा मामले को पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

संकल्प सं0–39 इस मद के अन्तर्गत श्री विनोद रांगड पुत्र श्री जयपाल सिंह रांगड, 301 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2014 को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया।

श्री विनोद रांगड़ की बस संख्या यूके 07पीसी–0320 को मार्ग सूची सं0 1 (ऋषिकेश केन्द्र) का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट सं0 3682 दिनांक 11.05.2010 से दिनांक 10.05.2015 तक जारी किया गया है। श्री विनोद रांगड ने सूचित किया है कि उनकी वाहन में यातायात एंव पर्यटन विकास सहकारी संघ के अन्तर्गत संचालित होती थी। परन्तु जून, 2013 से यातायात कम्पनी के द्वारा उनकी बस को रोटेशन में चलने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, जिस कारण उनकी बस का संचालन नहीं हो रहा है, और उनको आर्थिक हानि हो रही है।

मै0 यातायात कम्पनी ने भी सूचित किया है कि वाहन स्वामी रोटेशन व्यवस्था के नियमों के विरूद्ध अपनी वाहनों का संचालन करता है। उन्होंने सूचित किया है कि इनको अलग से समय दिया जाता है तो इससे सारी रोटेशन व्यवस्था चरमरा जायेगी तथा सभी परमिट समर्पण कर दिये जायेंगे।

प्राधिकरण के सम्मुख श्री विनोद रांगड एंव मै0 टीजीएमओसी एंव यातायात कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। श्री रांगड के द्वारा सूचित किया गया कि उनकी वाहन को पिछले वर्ष से रोटेशन नहीं दिया जा रहा है। जिससे उनकी वाहन का संचालन नही हो रहा है। उनके द्वारा अपनी वाहन हेतु समय सारणी निर्धारित करने हेतु निवेदन किया गया है।

श्री रांगड के प्रति उत्तर में परिवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया है कि श्री रांगड ने अपनी वाहन स्थानीय सेवाओं में न लगा कर यात्रा में सचालित की गई है। जिससे स्थानीय सेवाये बाधित हो गयी। उन्होनें यह भी अवगत

कराया कि मार्ग सूची सं0 1 में कुछ मार्ग लाभकारी हैं तथा कुछ मार्ग अलाभकारी हैं। श्री रांगड केवल लाभकारी मार्गों पर ही अपनी वाहन का संचालन करना चाहते हैं।

प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के द्वारा दोनों पक्षों को सुना जायेगा तथा प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी आख्या/मन्तब्य एंव संस्तुति से सचिव को अवगत कराया जायेगा, जिसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प सं0–40 इस मद के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.11 में रूडकी केन्द्र से स्वीकृत स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने हेतु समय बढाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 15 द्वारा रूडकी केन्द्र से टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया गया था तथा परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.12.11 तक का समय दिया गया था। मद में वर्णित 17 प्रार्थियों ने सूचित किया है कि वाहन उपलब्ध न होने, आर्थिक स्थिति एंव स्वास्थय ठीक न होने के कारण वे नया वाहन क्रय नहीं कर सके। परमिट प्राप्त करने हेतु दिया गया समय समाप्त हो गया। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वीकृत परमिट प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सभी आवेदकों को परमिट प्राप्त करने हेतु पूर्व में पर्याप्त समय दिया जा चुका है। समय बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त कारण से परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के लिये प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–41 इस मद के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 11.11.11 में लक्सर केन्द्र से स्वीकृत स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने हेतु समय बढाने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.11.11 में संकल्प सं0 16 द्वारा लक्सर केन्द्र से टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया गया था तथा परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.12.11 तक का समय दिया गया था। मद में वर्णित 09 प्रार्थियों ने सूचित किया है कि वाहन उपलब्ध न होने, आर्थिक स्थिति एंव स्वास्थय ठीक न होने के कारण वे नया वाहन क्रय

नहीं कर सके। परमिट प्राप्त करने हेतु दिया गया समय समाप्त हो गया। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वीकृत परमिट प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सभी आवेदकों को परमिट प्राप्त करने हेतु पूर्व में पर्याप्त समय दिया जा चुका है। समय बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त कारण से परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के लिये प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–42 इस मद के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र के स्वीकृत स्थाई ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.2010 के संकल्प सं0 4(अनु0) द्वारा हरिद्वार केन्द्र के सभी प्रार्थियों को ऑटो रिक्शा परमिट मद उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकृत किये गये थे तथा स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.08.10 तक नई ऑटो रिक्शा पर परमिट जारी करने के आदेश दिये गये थे। निम्नलिखित प्रार्थियों ने सूचित किया है कि प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में वाहन क्रय कर ली थी लेकिन स्वास्थय ठीक न होने तथा अन्य कारण से वे परमिट प्राप्त नहीं कर सके हैं।

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन सं0
1.	27.08.2014	श्री अमित कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र, ब्रहमपुरी, मंशादेवी रोड़, हरिद्वार।	यूके 08टीए–2267
2.	27.08.2014	श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, देवपुरा हरिद्वार	यूके 08टीए–2234

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि आवेदकों को परमिट प्राप्त करने हेतु पूर्व में पर्याप्त समय दिया जा चुका है। समय बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त कारण से परमिट जारी करने हेतु समय बढाने के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक हरिद्वार/रूडकी केन्द्रो हेतु संकल्प सं0 30(ब) में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

संकल्प सं0–43 इस मद के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के परमिटों पर संचालित वाहनों के विरूद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों को जारी किये गये धारा–86 के नोटिस को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मद में वर्णित मामलों पर निम्न प्रकार निर्णय लिया गयाः–

(1) परमिट सं0 पीएसटीपी– 1429, वाहन सं0 यूए 07डी– 6267– इस वाहन के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई कि परिचालक के द्वारा अधिक किराया लेना, टिकट न देना एंव अभद्र ब्यवाहर की शिकायत की गई है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी के पुत्र उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि परिचालक को हटा दिया गया था एंव भविष्य में किसी प्रकार की अनियमिता व अभद्रता नहीं की जायेगी। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुये।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वाहन स्वामी को भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की चेतावनी जारी की जाये।

(2) पीएसटीपी–1965, वाहन सं0 यूके 07पीए–0422– सुराज, भष्टाचार उन्मूलन एंव जनसेवा विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये समाधान पोर्टल में वाहन के कन्डक्टर के द्वारा अधिक किराया लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। वाहन स्वामी प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्धारित किराये की दर के अनुसार प्रथम 4 किमी0 या उसके भाग के लिये 5.00 रू0 किराया निर्धारित है। परन्तु यदि कोई यात्री 04 किमी0 से आगे 100 मीटर पर उतरता है तो उससे रू0 8.00 किराया निर्धारित है। जिससे यात्रियों के द्वारा अक्सर अधिक किराया लिये जाने की शिकायत की जाती है। परन्तु यदि शिकायत कर्ता प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो उनसे यह पता किया जा सकता है उनके द्वारा किस स्थान से किस स्थान तक यात्रा की गई है। पुकारे जाने पर शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुये, प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(3) परमिट सं0 मैक्सी–4023, वाहन सं0 यूके 07टीए–5315– उक्त वाहन दिनांक 02.01.2014 को नाडा– लाखामण्डल मार्ग पर खनउधार के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई एंव कई अन्य व्यक्ति घायल हुये। विभागीय जॉच में मुख्यतयाः यह पाया गया कि बस में निर्धारित क्षमता 09 के सापेक्ष अधिक सवारियॉ बैठी थी। जिससे ओवरलोड़िग के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

वाहन स्वामी को इस कार्यालय के पत्र सं0 7340/आरटीए/मैक्सी–4023/धारा–86/14 दिनांक 08.01.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है एंव ना ही वे प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये हैं।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट को 06 माह के लिये निलम्बित किया जाता है।

(4) परमिट सं0 मैक्सी– 4525, वाहन सं0 यूके 07टी 5977– उक्त वाहन के चालक के द्वारा निर्धारित से अधिक किराया लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।

शिकायत के सम्बन्ध में वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही वे प्राधिकरण के सम्मुख भी उपस्थित नहीं हुये है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट 03 माह के लिये निलम्बित किया जाता है।

(5) पीएसटीपी–2120, वाहन सं0 यूके 07पीए–0484– उक्त वाहन के परिचालक के द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई है। वाहन स्वामी को धारा–86 का नोटिस दिया गया था। वाहन स्वामी ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2014 के द्वारा सूचित किया है कि शिकायत कर्ता शिवानन्द जोशी तथा परिचालक के बीच शिकायत का निवारण हो गया है। शिकायत कर्ता ने भी सूचित किया है कि इस विषय में परिचालक उनके पास आया था और भविष्य में इस प्रकार की गलती न करने का आश्वासन दिया है। इसलिये अब उनको कोई शिकायत नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(6) परमिट सं0 ऑटो 7262, वाहन सं0 यूके 07टीए–2997– उक्त वाहन चालक के द्वारा अधिक किराया लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। परमिट धारक को पंजीकृत पत्र सं0 8995/आरटीए/ऑटो 7262/14 दिनांक 05.08.2014 के द्वारा धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। परन्तु वाहन स्वामी के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है एंव ना ही वे प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून श्री सन्दीप सैनी प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन चालक के द्वारा 04 किमी0 दूरी हेतु उनसे रू0 100/– लिये गये हैं। जो कि शासन के द्वारा निर्धारित किराये की दर से काफी अधिक है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त वाहन के परमिट को 03 माह के लिये निलम्बित किया जाता है।

(7) परमिट सं0 सीसी–568, यूके 07पीए–0679– उक्त वाहन के चालक के द्वारा अधिक किराया एंव अभद्र व्यवाहर की शिकायत प्राप्त हुई है। वाहन स्वामी को शिकायत के सम्बन्ध में धारा–86 का नोटिस जारी किया गया था। वाहन स्वामी के द्वारा सूचित किया कि उनकी वाहन दिनांक 28.09.2013 को सुबह 8 बसे देहरादून से घनसाली के लिये बुकिंग पर गई तथा उनकी वाहन ने रास्ते में किसी को नहीं बैठाया। उनकी वाहन दिनांक 28.09.2013 को सॉय 5 बजे देहरादून से ऋषिकेश के लिये संचालित नहीं हुई। शिकायत कर्ता ने तंग करने व परेशान करने की नियत से शिकायत प्रेषित की है। वाहन स्वामी ने पत्र के साथ देव भूमि टूर एंव ट्रैवल, त्यागी रोड़, देहरादून की बुकिंग रसीद की छायाप्रति तथा दिनांक 29.09.2013 को वाहन का चालान जो लाटा रोड पर पुलिस विभाग द्वारा किया गया था, की छायाप्रति संलग्न की है।

शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुये है। प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(8) परमिट सं0 टैम्पो– 2961, वाहन सं0 सं0 यूके 07टीए– 0229– वाहन के चालक द्वारा अभद्रता की एंव असभ्य भाषा का प्रयोग किये जाने वाहन को पूरे मार्ग पर संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। परमिट धारक को धारा–86 का नोटिस दिया गया था। परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकरण के सम्मुख परमिट धारक उपस्थित हुये उनके द्वारा सूचित किया कि उनका चालक उस दिन छुटटी पर था। जिस कारण उनके द्वारा अन्य चालक को एक दिन के लिये वाहन चलाने हेतु दिया था। उनके द्वारा चालक द्वारा किये गये व्यवाहर हेतु माफी मॉगी गई तथा भविष्य में ऐसी गल्ती दोबारा न होने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया है।

शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुये। प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

(9) परमिट सं0 पीएसटीपी 2174, वाहन सं0 यूके 07पीए– 0578– परिचालक द्वारा अधिक किराया एंव चालक, परिचालक के द्वारा अभद्र व्यवाहर की शिकायत की गई है। परमिट धारक को धारा–86 का नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के प्रति उत्तर में वाहन स्वामी ने सूचित किया है कि तहसील से लाल पुल तक का किराया रू0 6 लिया गया है। जो एशोसिएशन द्वारा जारी की गई किराया सूची के अनुसार लिया गया है। उन्होंने सूचित किया है कि शिकायत कर्ता को टिकट दिया गया था व किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है।

परमिट धारक प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुये तथा उन्होंने अवगत कराया कि शिकायत कर्ता से नियमानुसार किराया लिया गया है तथा किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवाहर नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुये।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त शिकायत को निक्षेपित किया जाता है।

संकल्प सं–44 इस मद के अन्तर्गत मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत ओवरलोड के अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्नवत आदेश पारित किये हैंः–

क्र0 सं0	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	अभियोगों का विवरण एंव प्राधिकरण के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
1.	श्रीमती बबली देवी	टैम्पो–4136 यूके07टीए–3733	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
2.	श्रीमती सरोज	टैम्पो–4250 यूके07टीए–0845	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
3.	श्री रोहिताश सैनी	टैम्पो–4051 यूके07टीए–3642	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
4.	श्री राम गोपाल	टैम्पो–3192 यूके07टीए–2519	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
5..	श्रीमती उषा शर्मा	टैम्पों–3905 यूए07टी–1412	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
6	श्रीमती हेमलता	टैम्पों–4169 यूके07टीए–4169	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
7	श्री रतन सिंह	टैम्पो–422 यूके07टीए–7378	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
8	श्री गवेश कुमार	टैम्पो–4293 यूके07टीए–2094	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
9.	श्री सलीम अहमद	मैक्सी–4179 यूके07टीए–5561	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित

10	श्री विनोद कुमार जोशी	मैक्सी–4135 यूके07टीए–5493	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
11	श्री प्रवीन कुमार	टैम्पो–0294 यूके07टीए–7230	03 ओवर लोड के चालान परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
12	श्री रमेश तोपवाल	पीएसटीपी–2112 यूके07पीए–0290	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
13	श्री इमरान खान	टैंम्पो–3715 यूए07टी–1577	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
14	श्री शुरवीर सिंह	यूपीसीओपी–1486 यूके07सीए–4742	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
15	श्री जनरैल सिंह	मैक्सी–4123 यूके07टीए–5481	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
16	श्री असलम परवेज	मैक्सी–3144 यूके07टीए–4535	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
17	श्री सरदार खान	मैक्सी–4182 यूके07टीए–5562	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
18	श्री कृपाल नेगी	मैक्सी–3457 यूके07टीए–4920	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
19	श्री अंकित कुमार	मैक्सी–3233 यूके07टीए–4634	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
20	श्री राजेन्द्र सिंह ढिल्लों	मैक्सी–4150 यूके07टीए–5479	06 ओवर लोड के चालान। धारा–86(अ) के अन्तर्गत परमिट निरस्त।
21	श्री चतर सिंह	मैक्सी–1917 यूके07टीए–2749	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित

22	श्री कुलदीप	मैक्सी–4026 यूके07टीए–5319	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
23	श्री गुलाब गिरी	मैक्सी–4139 यूके07टीए–5491	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
24	श्री असद अली	मैक्सी–3193 यूके07टीए–4598	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
25	श्री मदन सिंह भण्डारी	टैम्पों–2990 यूके07टीए–2407	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
26	श्री राजेन्द्र कुमार	टैम्पों–3401 यूके07टीए–3629	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
27	श्री विजय यादव	टैम्पो–965 यूके07टीए–5602	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
28	श्री मनोज पन्त	टैम्पो–2660 यूके07टीए–4183	05 ओवर लोड के चालान। धारा–86(अ) के अन्तर्गत परमिट निरस्त।
29.	श्री नरेन्द्र कुमार	टैम्पो–2707 यूके07टीए–3811	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित
30	श्री मोहन कुमार डोडी	टैम्पो–429 यूके07टीए–2230	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
31	श्री फुरकान	टैम्पो–779 यूके07टीए–3785	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
32	श्री सुनील कुमार	मैक्सी–4125 यूके07टीए–5483	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित
33	श्री सतेन्द्र कुमार	मैक्सी–4177 यूके07टीए–5554	04 ओवर लोड के चालान। परमिट 4 माह हेतु निलम्बित

34	श्री धर्म सिंह	टैम्पो–3397 यूए07टी–6024	03 ओवर लोड के चालान। परमिट 3 माह हेतु निलम्बित

उपरोक्तानुसार निलम्बित परमिट के धारकों को पंजीकृत डाक से सूचित करते हुये परमिट समर्पित करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। पत्र प्राप्त के दो सप्ताह के भीतर परमिट का समर्पण अनिवार्य होगा। निलम्बन की अवधि परमिट समर्पण की अवधि से प्रभावी मानी जायेगी। विफलता पर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार निरस्त परमिटों के धारकों को परमिटो को तत्काल समर्पित करने हेतु सूचित किया जायेगा।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 की अनुपूरक कार्य सूची।

संकल्प सं0– 1 (अनुपूरक) इस मद के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड–सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–कांवली रोड मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है।

श्री दानवीर ंसिंह नेगी के द्वारा याचिका सं0 2023/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि उन्हें परेड ग्राउण्ड–सेलाकुई मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने की कृपा करें।

इस मार्ग के लिये परमिटों हेतु 253 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट– य** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

बैठक में प्राधिकरण के समक्ष याचिका कर्ता श्री दानवीर सिंह एंव अन्य प्रार्थी उपस्थित हुये उन्होने निवेदन किया कि मार्ग पर उनके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाये तथा उनको परमिट स्वीकृत किये जायें।

इसके अतिरिक्त देहरादून–डाकपत्थर बस यूनियन के अध्यक्ष श्री राम कुमार सैनी एंव मार्ग के बस आपरेटर श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा इस मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियॉ व्यक्त की गई हैः–

1. यह कि एजेन्डे की प्रति आज दिनांक 10.09.14 को प्रातः 10:30ए0एम0 पर प्राप्त हुई, जिसके कारण विस्तृत आपत्ति पत्र तैयार नहीं किया जा सका है।

2. उक्त मार्ग अभी तक मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (ग–क) के अन्तर्गत शासन द्वारा सृजित नही किया गया है। शासन द्वारा सृजित करने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।

3. यह कि दिनांक 26.06.10 की बैठक की कार्य सूची के मद सं0 5(12) में सचिव, द्वारा नगर बस सेवा हेतु एंव मद सं0 12 में अंकित मार्गों की सूची में क्रमॉक 28 पर ठेका वाहनों के लिये प्रस्तावित किया था। इसलिये प्राधिकरण पहले नगर बस सेवा अथवा ठेका वाहन में से किस प्रकार की वाहन संचालन करना चाहता है पर निर्णय ले। तदुपरान्त निश्चित हो जाने के पश्चात ही विचार करें।

4. वर्ष 1996 में मार्ग पर 39 परमिट स्वीकृति/जारी थे तदुपरान्त वर्ष 1998 में 67 और 28.12.09 में कुल स्वीकृत परमिट जारी 81 तथा 30 परमिट कालसी + 19 परमिट कुल्हाल मार्ग पर स्वीकृत हो चुके हैं।

5. यह कि नये परमिट स्वीकृत करने से समय सारणी (मार्ग) रा0प0प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत में अन्तर करने हेतु रा0प0प्रा0 से सहमति आवश्यक है।

6. यह कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण आख्या कार्यालय में बैठकर तैयार की गयी है। उक्त आख्या भ्रामक है पुनः से समिति द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

श्री राम कुमार सैनी द्वारा लिखित आपत्ति पर विचार किया तथा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया गया है।

1. याचिका सं0 2023/एमएस/14 में उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को उक्त मार्ग पर याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा 06.09.14 को कार्यालय में प्राप्त कराया गया। जबकि प्राधिकरण की बैठक हेतु एजेण्डा दिनांक 05.09.2014 को अन्तिम रूप से सार्वजनिक किया जा चुका था। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त प्रकरण को अनुपूरक मद के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है। बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व आपत्तिकर्ता को उक्त अनुपूरक मद उपलब्ध करा दिया गया था। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।

2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 के द्वारा नगर बस संचालन योजना को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 102 के अन्तर्गत राष्ट्रीकरण की संशोधित योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य के अन्य महानगरों के साथ–साथ देहरादून शहर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना में राष्ट्रीयकत मार्गो पर परिवहन निगम की सेवा के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की बसों का 20 किमी0 अर्द्धब्यास एंव विशेष परिस्थितियों में 25 किमी0 तक संचालन अनुमन्य किया गया है। उक्त के क्रम में नगर बस योजना के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 16.02.1999 की मद सं0 13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त देहरादून शहर हेतु 14 मार्गों का अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें प्रश्नगत मार्ग यथा देहरादून– सेलाकुई मार्ग भी क्रम सं0 4 पर अंकित है। प्रश्नगत मार्ग को छोडकर अन्य सभी मार्गों पर नगर बस सेवा परमिट निर्गत हैं। जिसमें से एक मार्ग क्लेमेन्टाउन–राजपुर मार्ग पर आपत्तिकर्ता श्री रामकुमार सैनी द्वारा अस्थाई एंव स्थाई परमिट हेतु आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्ता के द्वारा वर्ष 2010 में इस प्रश्नगत मार्ग के परमिट हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। जो कि परिशिष्ट के क्रमॉक सं0 213 पर अंकित है। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित नगर बस सेवा के मार्गों मे से कुछ मार्गों पर परमिट हेतु आवेदन करने एंव प्रश्नगत मार्ग पर नियमानुसार निर्मित न होने की आपत्ति करने से आपत्तिकर्ता के कृत्यों में स्पष्ट विरोधाभास स्थापित होता है। जिस कारण आपप्ति मान्य नहीं है।

3. पूर्व में प्रश्नगत मार्ग पर याचिका लम्बित होने के कारण नगर बस सेवा परमिट जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। जनहित में परिवहन सुविधा की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग में ठेका परमिट जारी किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में उक्त याचिका के खारिज हो जाने के फलस्वरूप नगर बस मार्ग होने के कारण नगर बस सेवा के परमिट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।

4. प्रश्नगत मार्ग नगर बस सेवा का मार्ग है। वर्ष 2006 में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा अवगत कराया गया है कि **सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एंव सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थान भी खुल गये है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनें बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकडना पडता है, जिनमें काफी भीड़ होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पडता है। इस प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते–जाते भर जाती है। जिससे फैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनें भी बदलनी पडती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा।** इससे स्पष्ट है कि इस मार्ग पर नगर बस सेवा की आवश्यकता परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तर्गत अनिवार्य है। चूकिः आपत्तिकर्ता देहरादून–विकासनगर मार्ग के परमिटधारक हैं जोकि प्रश्नगत मार्ग को बल्लूपुर चौक से सेलाकुई तक ओवरलेप करता है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने व्यवासायिक हितों से प्रभावित होकर आपत्ति की जा रही है।

5. प्रश्नगत मार्ग संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत आता है। प्राधिकरण अपने क्षेत्र के अन्तर्गत परमिट जारी करने एंव समय सारणी जारी करने हेतु विधिक रूप से पूर्णतया सक्षम है। जिस कारण परमिट जारी करने तथा समय सारणी निर्धारित करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण से सहमति आवश्यक नहीं है।

6. प्रश्नगत संयुक्त सर्वेक्षण नियमानुसार गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा किया गया है। साक्ष्य के अभाव में लगाये गये आरोप स्वीकार्य नहीं है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मा0 न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचारण के निर्देश दिये हैं। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण बैठक से सम्बन्धित दिनांक 22.08.14 को प्रकाशित विज्ञप्ति में भी सम्मलित नहीं था। जबकि मार्ग हेतु याचिकाकर्ताओ सहित 253 आवेदको के द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है, जिन्हे इस बैठक में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक में 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। सभी आवेदकों को नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के आधार पर सुनवाई का समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0 – 2 (अनुपूरक) इस मद के अन्तर्गत देहरादून संभाग के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रो से जारी विक्रम टैम्पो तथा ऑटो रिक्शा परमिटों पर संचालित वाहनों के लिये केन्द्र बिन्दु (स्थान) निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो वाहनों के केन्द्र बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक सभागीय परिवहन अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में पडने वाले स्थानों के केन्द्र बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये एंव मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के यातायात प्रवाह, कन्जेशन पांवन्ट, पार्किग की सुविधा, पीक आर्वर आदि कारकों को आधार मानते हुये अपनी आख्या उपलब्ध करायेगें।

रमेश बुटोला,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–

दिनेश चन्द पठोई, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।